डाक पंजीयन क्र. ई-2/भो.स./186/2018-2020
लाइसेंस क्र. टेक/WPP/21-1/2018-20
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल, 07.09.2020 से 13.09.2020 ▶ वर्ष-37 ▶ अंक-36 ▶ मूल्य ₹10.00

उद्यानिकी मिशन का केंद्रीय कार्यालय शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा

मध्यप्रदेश में आगामी तीन वर्षों में स्थापित होंगे पांच अत्याधुनिक क्लस्टर - मुख्यमंत्री

"मध्यप्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए आगामी 3 वर्षों में 5 अत्याधुनिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक क्लस्टर विश्वस्तरीय होगा। मध्यप्रदेश में परम्परागत फसलों की तरह ही उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का सपना किसान कल्याण से ही पूरा होगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में 'उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण: भविष्य की रणनीति' विषय पर आयोजित वेबिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुये कहीं।"

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुये।

भोपाल, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वेबिनार में कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में बागवानी के क्षेत्र में गंभीर चिंतन हो रहा है। इसके निष्कर्षों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्यप्रदेश को कृषि की ही तरह बागवानी के क्षेत्र में ऊंचाईयों पर ले जाएंगे।

मुख्यमंत्री की किसानों के प्रति संवेदना तथा किसान हितैषी नीतियां अद्भुत हैं। बागवानी से किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में उद्यानिकी मिशन का केंद्रीय कार्यालय शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर किसानों की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे।

वेबिनार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 'शिवराज जी आपने गेहूं उत्पादन में हमारे पंजाब को पीछे छोड़ दिया है'। इसके साथ ही जैविक कृषि में भी मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। प्रदेश में दो मेगा फूड पार्क (खरगोन और देवास) तथा आठ कोल्ड चेन पर कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 800 करोड़ रुपये के कुल 30 प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहा है। इसमें 250 करोड़ रुपये का अनुदान, 24 हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा तथा एक लाख किसानों को फायदा होगा। साथ ही प्रतिवर्ष 15 हजार करोड़ रुपये की 'एग्रो प्रोसेसिंग' हो सकेगी। उन्होंने मध्यप्रदेश के 'एक जिला एक उत्पाद' योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे मध्यप्रदेश के उत्पाद विदेशों में भी लोकप्रिय होंगे। केंद्र सरकार की 'ऑपरेशन ग्रीन' योजना के अंतर्गत कम से कम 100 किलोमीटर की दूरी तक किसानों द्वारा फल एवं सब्जियों का परिवहन करने पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरेज में अपनी उपज रखे जाने पर आगामी तीन महीनों में 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से आग्रह किया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बिजली को कृषि दर पर प्रदान किया जाए।

केंद्रीय दल से शीघ्र सर्वे का अनुरोध

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में इस बार बाढ़ से किसानों की फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्रीय दल शीघ्र मध्यप्रदेश आकर किसानों की फसलों का सर्वे करे जिससे कि किसानों को जल्दी से जल्दी केंद्र की राहत भी मिल सके।

वेबिनार के निष्कर्षों पर तैयार होगा रोडमैप

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वेबिनार के निष्कर्षों के आधार पर मध्यप्रदेश में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का रोडमैप तैयार किया जाएगा। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 308 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक उद्यानिकी फसलें होती हैं।

उत्पादन और प्रसंस्करण दोनों में आगे बढ़ेगा मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री...

(शेष पृष्ठ 6 पर)

मध्यप्रदेश

विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए मिलेगी निःशुल्क परिवहन सुविधा

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी निर्णय लिया है जो इस साल जेईई मेन और नीट 2020 में सम्मिलित हो रहे हैं। इन विद्यार्थियों को कोरोना के कारण समस्या न हो, इस उद्देश्य से आने-जाने का निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी को 181 या मध्यप्रदेश ई पास पोर्टल https/mapit.gov.in/covid-19 पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा की तारीख और स्थान (कहां से कहां) उल्लेख करना होगा। संबंधित जिला प्रशासन परीक्षार्थी को यह सुविधा उपलब्ध करवाएगा। परीक्षार्थी यदि चाहे तो उसके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए दो तरफ की निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय में उपस्थित होना होगा। यहां से परीक्षा केंद्र तक आने-जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

नियमित विद्यार्थियों की प्रवेश तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ी

भोपाल, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में 12 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश पारित किये गये थे। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त को पारित आदेश के अनुक्रम में मंडल द्वारा नियमित विद्यार्थियों की प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितम्बर कर दी गई है।

खास ख़बर

पद्म पुरस्कार समिति का किया गया गठन

भोपाल, राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा स्थापित पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्मभूषण एवं पद्म श्री) के संबंध में व्यक्तियों का चयन करने के लिए समिति का गठन किया है।

गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समिति के सदस्य सचिव होंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल और युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अथवा सचिव, समिति के सदस्य होंगे।

अंदर के पृष्ठों पर

- **कॅरियर की राहें-** कृषि
- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** सप्ताह भर के प्रमुख चर्चित व्यक्तियों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की खबरों का संक्षिप्त विवरण

पूरी क्षमता के साथ चलेंगी बसें

यात्री बसों के पांच माह का वाहन कर किया जाएगा माफ

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता के हित में और बस ऑपरेटर्स की समस्याओं को दूर करने के लिये यात्री बसों के सुचारु संचालन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बस संचालकों एवं उससे जुड़े लोगों की परेशानियों के दृष्टिगत यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि तक पूर्णतः माफ किया जाएगा। साथ ही यात्री बसों के संचालन की स्थिति पुनः सामान्य रूप से हो सके इसको दृष्टिगत रखते हुए माह सितंबर 2020 के देय मासिक वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट एवं वाहन कर जमा करने की तिथि को 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाया गया है।

श्री चौहान ने कहा कि बस ऑपरेटर्स और प्रदेश की जनता के हित में लिये गये इस निर्णय से अब प्रदेश में पूर्ण क्षमता के साथ बसें पुनः चालू हो जाएंगी। इससे जहां एक ओर आमजन को आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर यात्री बसों से जुड़े रोज़गार प्रारंभ हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए मार्च 2020 से लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन प्रतिबंधित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप उनके संचालन की क्रमशः अनुमतियां भी दी गयी हैं। किन्तु व्यावहारिक रूप से बसों का संचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका। राज्य शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय से प्रदेश के बस ऑपरेटर्स की परेशानियां खत्म होंगी और आमजन की सुविधा के लिये अब बसों का पूरी क्षमता के साथ संचालन शुरू हो सकेगा। इसी क्रम में यात्री किराये के पुनर्निर्धारण के लिये किराया निर्धारण समिति को जिम्मेदारी सौंपते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये हैं।

- **कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण प्रदेश में बसों का संचालन किया गया था बंद।**
- **बस सेवा शुरू होने से बसों से जुड़े रोज़गार होंगे प्रारंभ।**

बाढ़ प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा मुआवजा - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान देवास में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेते हुये।

देवास, बाढ़ आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह बाढ़ प्रभावितों के साथ है। बाढ़ प्रभावित हर व्यक्ति को फसल, मकान, सामान आदि के नुकसान का भरपूर मुआवजा दिलवाया जाएगा। कोरोना संकट के चलते प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, परन्तु बाढ़ राहत कार्य तथा जनता की मदद में राशि की बिल्कुल भी कमी नहीं आने देंगे। आप धैर्य रखें, बिल्कुल चिंता न करें आपका 'मामा' हर समय आपके साथ है। प्रशासन आपको हरसंभव मदद देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास जिले में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लेते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घूमकर बाढ़ से हुए नुकसान को देखा तथा प्रभावितों से बातचीत कर उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भोजन, स्वच्छ जल, दवाइयां ....

(शेष पृष्ठ 6 पर)

(**स्रोत** : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग मध्यप्रदेश से साभार)

29 अगस्त

देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चुनौती प्रतियोगिता हुई शुरू

● देश के टियर-2 शहरों में स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये 'चुनौती' नेक्सट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स की पहचान करना और उन्हें 25 लाख रुपये तक की प्रारंभिक राशि और सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत तीन वर्षों की अवधि के लिए लगभग 95 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित स्टार्टअप्स को देशभर में फैले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी।

● संसद के मानसून सत्र के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सत्र के दौरान सांसदों की कोरोना जांच से लेकर सुरक्षा जांच में बदलाव किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने बताया कि सांसदों को सत्र शुरू होने से 3 दिन (72 घंटे) पहले कोरोना जांच करवानी होगी। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ सांसदों, बल्कि सांसदों के निजी स्टाफ की भी कोरोना जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार सुरक्षा जांच के लिए नए दिशा-निर्देश बनाए जा रहे हैं। इस बात की कोशिश होगी कि सुरक्षा जांच में किसी को छूना ना पड़े। सुरक्षा जांच में लगे सुरक्षाकर्मियों को पीपीई किट दी जाएंगी। सुरक्षा जांच के लिए ऑटोमैटिक मशीनें लगाए जाने की भी संभावना है।

● ब्रिटेन की दिग्गज तेल कंपनी शेल के खिलाफ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लंदन स्थित कंपनी के मुख्यालय में प्रदर्शन कर रहे एक पर्यावरण कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रदर्शनकारी ने तेल कंपनी के मुख्यालय में घुसकर वहां की दीवारों पर पेंट से ग्रैफिटी बनाए थे। प्रदर्शनकारी का आरोप है कि तेल कंपनी के कारण इलाके में प्रदूषण फैल रहा है।

30 अगस्त

आयुष्मान भारत योजना के तहत होगी अस्पतालों की स्टार रेटिंग

● आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अस्पतालों को स्टार रेटिंग मिलेगी। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल शामिल हैं। यह रेटिंग अस्पतालों को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सेवाओं के आधार पर दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। एनएचए ने कहा कि इस कदम को अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर को बेहतर करने के लिए उठाया गया है। इस व्यवस्था से मरीजों को भी सहूलियत होगी और अस्पतालों की स्थिति भी सुधरेगी। इस आकलन में 90 प्रतिशत से ज्यादा स्कोर करने वाले अस्पताल को फाइव स्टार, 75 से 90 प्रतिशत स्कोर करने वाले अस्तपाल को फोर स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसी तरह 50 से 75 प्रतिशत स्कोर वाले अस्पताल को थ्री स्टार, 25 से 50 प्रतिशत स्कोर वाले अस्तपाल को टू स्टार तथा 25 प्रतिशत से कम स्कोर वाले अस्पताल को सिंगल स्टार रेटिंग दी जाएगी।

● दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दखल के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर के पूर्वी तट पर सैन्य अभ्यास किया है। इस सैन्य अभ्यास के बाद तनाव और गहरा गया है। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से शंघाई स्थित सैन्य विशेषज्ञ नी लैक्सियनग ने कहा कि ताइवान को चीन में शामिल करने के लिये यह एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य युद्धकालीन हमलों से चीनी सेना की रक्षा करना है।

● इटली के निकट भूमध्य सागर में प्रवासियों से भरी एक नाव डूब गई। इटली के कोस्ट गार्ड ने नाव डूबने से पहले नाव में सवार सभी 219 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इस नाव में लीबिया के प्रवासी सवार थे। नाव में सवार लोगों ने भूमध्य सागर में फंसने के बाद इटली से मदद मांगी। इटली के कोस्ट गार्ड ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। नाव में 32 महिलाएं और 13 बच्चे भी सवार थे।

31 अगस्त

यूपीआई से लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते हैं बैंक

● केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी कर बैंकों को निर्देश दिए

Central Board of Direct Taxes
(CBDT)

कि एक जनवरी 2020 या इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मोड से किए गए लेन-देन पर वसूले गए चार्ज वापस किए जाएं। सर्कुलर में कहा गया कि बैंक यूपीआई के माध्यम से किए गए लेनेदेन पर अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। सर्कुलर के अनुसार आयकर कानून, 1961 की धारा 269 एसयू के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर 1 जनवरी या उसके बाद किए गए ई-लेनेदन पर बैंकों ने जो चार्ज वसूला है, उसे तुरंत रिफंड किया जाए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है।

● अमेरिका इराक में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में कटौती करने जा रहा है। अमेरिका ने कहा कि वह इराक में तैनात 3 हजार 500 सैनिकों को वापस बुलाएगा यह संख्या वहां तैनात कुल अमेरिकी सैनिकों का एक तिहाई है। सैन्यबल में कटौती के बाद इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या वर्ष 2015 के स्तर पर आ जाएगी।

● केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को बीमा सुरक्षा देगी। जनधन योजना के खाताधारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के छह वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कहा कि 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर दिया जाएगा। इसके अलावा खाताधारकों की ओवरड्राफ्ट की सीमा को बढ़ाकर 10 हजार किया जाएगा।

1 सितम्बर

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 सितंबर तक जारी रहेगी रोक

● केंद्र सरकार ने देश से आने-जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर

लगी रोक 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। नागर विमानन महानिदेशालय ने एक परिपत्र में कहा कि सभी निर्धारित यात्री उड़ानों को 30 सितंबर तक निलंबित रखा जाएगा। केवल सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ चुनिंदा मार्गों पर मामलों के आधार पर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत में 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन रुका हुआ है। केवल विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें संचालित हो रही हैं।

● मैक्सिकों में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। दवाओं की कमी, बेरोज़गारी और हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर राजधानी मैक्सिको सिटी में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि देश में बेरोज़गारी और हिंसा में वृद्धि हुई है। विरोध प्रदर्शन का आयोजन विरोधी संगठनों के समूह नेशनल फ्रंट ने किया। प्रदर्शनकारियों के नेता गिलबर्टो लोजानो ने कहा कि देश में दवाओं की कमी पर सरकार चुप है। राष्ट्रपति को इस्तीफा देना चाहिए।

● बांग्लादेश में आई भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़ की चपेट में 33 जिले आ गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में जून से अगस्त तक भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 251 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का प्रभाव 50 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं, वहीं करोड़ों रुपये की फसल भी बर्बाद हुई है।

2 सितम्बर

भारतीय रेलवे बढ़ाने जा रहा विशेष ट्रेनों की संख्या

● भारतीय रेलवे अधिक मांग वाले क्षेत्रों में यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। रेलवे विशेष ट्रेनों की संख्या में इजाफा करने के लिए राज्य सरकारों से सहमति मांग रहा है। रेलवे के अनुसार नई विशेष ट्रेनों के संचालन संबंधी घोषणा आगामी दिनों में की जाएगी। विशेष ट्रेनों की संख्या में वृद्धि पर रेलवे राज्यों से बात कर अंतिम फैसला लेगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण मार्च के आखिर से देशभर में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 230 विशेष ट्रेनें चलाई इनमें 30 राजधानी ट्रेनें भी शामिल हैं।

● केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि आयकर विभाग के अधिकारी अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के साथ करदाताओं की जानकारी साझा कर सकते हैं। इस संबंध में सीबीडीटी ने शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों को जानकारी साझा करने के लिए जरूरी संशोधन किए हैं। सीबीडीटी ने कहा इस कदम से बैंकों को यह तय करने में आसानी होगी कि उन्हें किस ग्राहक का टीडीएस काटना है और किसका नहीं। आयकर विभाग द्वारा जानकारी साझा करने के बाद बैंक अपने ग्राहक के फॉर्म 15 जी और 15 एच को वैलिडेट कर पाएंगे।

● सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) चुकाने के लिए 10 वर्षों की मोहलत दी है। टेलीकॉम कंपनियों की बकाया एजीआर पर फैसला सुनाते हुए कंपनियों को एजीआर चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को कुल एजीआर भुगतान का 10 प्रतिशत हिस्सा 31 मार्च 2021 तक देना होगा। साथ ही कंपनियों को एजीआर भुगतान का बकाया जमा करने के लिए हलफनामा भी दाखिल करना होगा।

3 सितम्बर

घरेलू विमानन कंपनियों को 60 प्रतिशत उड़ानें संचालित करने की अनुमति

● केंद्र सरकार ने घरेलू विमानन कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए 60 प्रतिशत घरेलू उड़ानें संचालित करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले विमानन कंपनियों को 45 प्रतिशत घरेलू उड़ानें संचालित करने की अनुमति थी। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी संकट के बीच देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू किया गया था, तब केवल 33 प्रतिशत उड़ानें ही संचालित हो सकती थीं, इसके बाद 26 जून को सरकार ने 45 प्रतिशत उड़ानें संचालित करने की अनुमति प्रदान की थी।

● भारत के विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर ने जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक

को संबोधित करते हुये कहा कि जी-20 देश अपने यहां रह रहे विदेशी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और फंसे लोगों की स्वदेश वापसी के लिये एकजुट हो जायें। विदेश मंत्री ने जी-20 समूह द्वारा अपने यहां लोगों की आवाजाही और क्वारेंटाइन की प्रक्रिया को लेकर प्रोटोकॉल तैयार करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री ने बैठक में कोविड-19 महामारी के इस दौर में सीमा पार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। उल्लेखनीय है कि इस बैठक का आयोजन सऊदी अरब ने किया है।

● भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एटीएम से सुरक्षित ट्रांजेक्शन के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की है। एसबीआई ने ट्वीट कर बताया कि जब भी बैंक को एटीएम से बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक करने का निवेदन मिलेगा, तो ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से अलर्ट भेजा जाएगा। इस सुविधा से यह कन्फर्म हो जाएगा कि ट्रांजेक्शन ग्राहक कर रहा है या कोई और। यदि कोई अन्य व्यक्ति ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो ग्राहक तुरंत अपना डेबिट कार्ड ब्लॉक करा सकेगा। एसबीआई के अनुसार इस सुविधा से एटीएम के जरिए होने वाले फ्रॉड के मामले कम होंगे और ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग की सुविधा मिलेगी।

4 सितम्बर

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिये जरूरी होगा फॉस्टैग लेना

● केंद्र सरकार ने फॉस्टैग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये एक नया नियम जारी

किया है। नये नियम के तहत अब चार पहिया वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराने के लिये फॉस्टैग अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि इसके लिये फॉर्म 51 (सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस) में बदलाव किया जायेगा। इस फॉर्म में फॉस्टैग आईडी की डिटेल का कॉलम जोड़ा जायेगा। यह व्यवस्था 2021 से लागू होगी। इसके साथ ही सरकार ने एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गये पुराने वाहनों के लिये भी फॉस्टैग अनिवार्य कर दिया है, इन गाड़ियों के लिये एक जनवरी 2021 से फॉस्टैग जरूरी हो जायेगा।

● बांग्लादेश में पहली बार विधवा हिन्दू महिलाओं को उनके पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि, दोनों में हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने विधवा हिन्दू महिलाओं के हक में फैसला देते हुये कहा कि विधवा हिन्दू महिलाओं का अपने पति की जायदाद पर पूरा हक है, फिर चाहे कोई भी सम्पत्ति हो। इसमें कृषि और गैर कृषि भूमि में कोई भेद नहीं किया जायेगा। हाईकोर्ट ने यह फैसला बांग्लादेशी नागरिक ज्योतिंद्रनाथ मंडल की एक सिविल रिविजन पिटीशन पर दिया है।

● दक्षिण कोरिया में तूफान मयसक ने जबरजस्त तबाही मचाई है। तूफान मयसक दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तटीय इलाकों से टकराया। इन इलाकों में तूफान के कारण 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलीं और तेज बारिश हुई। तूफान के कारण लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। तूफान के कारण कई घरों को जबरजस्त नुकसान हुआ है। तूफान के चलते समुद्र में एक जहाज भी लापता हो गया है। इस जहाज पर 42 सदस्यीय चालक दल और 5800 से ज्यादा गाय लदी हैं। जहाज की तलाश जारी है। तूफान के कारण देश में 750 से ज्यादा घरेलू उड़ानें भी रद्द की गई हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

वर्ष 37, अंक 36 07.09.2020 से 13.09.2020

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
● सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
● कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार वनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● आकल्पन - हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन, अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर सम्पादक, रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-

रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011, फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : mpmdtp@yahoo.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

हर जिले में बने कमांड कंट्रोल रूम

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासन द्वारा कोरोना महामारी के उपचार के लिये प्रत्येक जिले में डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों के माध्यम से उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। इसी के साथ कुछ निजी चिकित्सालयों को भी कोविड के इलाज के लिये अनुबंधित किया गया है, जहां पर सभी को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इलाज की अच्छी व्यवस्था के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट 76.4 प्रतिशत है। बहुत से कोरोना संक्रमित तथा कोरोना संदिग्ध, जिनके घर पर व्यवस्था है, 'होम आइसोलेशन' तथा 'होम क्वारेंटाइन' को प्राथमिकता देते हैं। इसके लिये प्रत्येक जिले में 'कमांड कंट्रोल रूम' बनाये जायें, जहां से 'होम आइसोलेशन' एवं 'होम क्वारेंटाइन' हुये व्यक्तियों की निरंतर देखभाल एवं निगरानी की जा सके। यहां एंबुलेंस भी आवश्यक रूप से रखी जाए। दिन में कम से कम दो बार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश धीरे-धीरे पूर्ण लॉकडाउन खोलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हमारी मशीनरी इसकी चुनौतियों के लिये पहले से ही पूर्ण रूप से तैयार हो जाये। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को गतिशील करना है तथा जन-जीवन को पूर्ण रूप से सामान्य एवं खुशहाल बनाना है। यदि कोरोना संक्रमण रोकने की सभी सावधानियों जैसे- मास्क लगाना और दो गज की दूरी रखना का पालन किया जाये तो हम संक्रमण को भी रोक सकते हैं और जन-जीवन को पूर्ण रूप से सामान्य बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शासकीय चिकित्सालय के साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी कोरोना के इलाज के निर्धारित प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार शासकीय अथवा निजी अस्पतालों में इलाज करवा सके। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निजी चिकित्सालय मरीजों से मनमाना शुल्क न वसूल सकें। कोरोना का इलाज कर रहे निजी चिकित्सालयों के पास सभी आवश्यक संसाधन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, यह भी देखा जाये। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्र में निजी चिकित्सालयों के साथ समन्वय कर कोरोना के इलाज के संबंध में उनके पास उपलब्ध संसाधनों एवं चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करें। कोरोना के इलाज के संबंध में निजी चिकित्सालयों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाये। निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकीय अमले एवं संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाये।

मध्यप्रदेश सरकार निरंतर कोरोना के बेहतर इलाज की व्यवस्था कर रही है। शासन जहां तक संभव हो पा रहा है, वहां तक स्थानीय स्तर पर ही कोरोना महामारी के उपचार की बेहतर व्यवस्था कर रहा है। कोरोना बीमारी को लगभग 6 महीने होने को आये हैं। हमारे प्रदेश के साथ ही देश और पूरी दुनिया में इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में लोग इससे हताहत भी हुये हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, जिससे बहुत हद तक सावधानी रखकर बचा जा सकता है। मध्यप्रदेश सरकार ने इससे सावधानी के लिये व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया है। इसके परिणाम भी काफी हद तक देखने को मिल रहे हैं। लोग अब समझने लगे हैं कि सावधानी बरत कर काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार पिछले छह महीने से लगातार कोरोना बीमारी से बचने के लिये लोगों को भरपूर मदद उपलब्ध करा रही है। शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेज, शासकीय और निजी चिकित्सालय में शासन द्वारा इस बात के पूरे प्रबंध किये गये हैं कि कोरोना पीड़ित व्यक्ति को तुरंत ही इलाज मुहैया करवाया जाये। शासन की तत्परता से मध्यप्रदेश में कोरोना बीमारी से पीड़ित लोगों में कमी आ रही है। बेहतर प्रबंधन से आने वाले दिनों में इसके मरीजों में और कमी देखने को मिलेगी।

ब्रह्मांड को जानें

पृथ्वी

गतांक से आगे- मरुस्थल- मरुस्थल पृथ्वी की सतह का वह हिस्सा है, जहां पर सूखे के कारण जीवन मुश्किल है। मरुस्थल को तीन भागों में विभक्त किया गया है।

1. ऊष्णकटिबंध (गर्म) उदाहरणार्थ- सहारा, अरबियन, अटाकामा, ऑस्ट्रेलियन एवं थार मरुस्थल। 2. मध्य याम्योत्तर (शीतोष्ण) उदाहरणार्थ- गोबी मंगोलिया, ग्रेट बेसिन (संयुक्त राज्य अमेरिका), पेंटागोनिया और तुर्किस्तान मरुस्थल। 3. उच्च याम्योत्तर (ध्रुवीय/ठंडे) उदाहरणार्थ अंटार्कटिका मरुस्थल में अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान -88 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहां औसत वार्षिक वर्षा 250 मिलीमीटर होती है।

- देवेश तिवारी
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

शिक्षक दिवस | 05 सितम्बर

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है

शिक्षक की गौरवमयी भूमिका को दर्शाता है यह दिवस

समाज में एक शिक्षक की भूमिका गौरवमयी और अप्रतिम होती है और इस भूमिका के पुनर्अविष्कार का अवसर देता है शिक्षक दिवस का यह राष्ट्रव्यापी आयोजन। शिक्षक दिवस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन देश के दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. राधाकृष्णन ने जो अमूल्य योगदान दिया वह निश्चय ही अविस्मरणीय रहेगा। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यद्यपि वे एक जाने-माने विद्वान, शिक्षक, वक्ता, प्रशासक, राजनयिक, देशभक्त और शिक्षा शास्त्री थे, तथापि अपने जीवन के उत्तरार्द्ध में अनेक उच्च पदों पर काम करते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में सतत योगदान करते रहे। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। शिक्षा और शिक्षक के ऐसे भाष्यकार के जन्मदिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक गौरव का विषय है। उनकी शिक्षा को लेकर सोच अत्यंत सुस्पष्ट थी। वे कहते थे शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है तथा इनका जीवन में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करती है। करुणा, प्रेम और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास भी शिक्षा के उद्देश्य हैं। वे कहते थे कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं मानता तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती।

शिक्षक दिवस पर देश शिक्षकों के अवदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है

देश में शिक्षक दिवस के आयोजन का लक्ष्य शिक्षकों के अमूल्य और अविस्मरणीय अवदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना और समाज में उनकी महत्ता को प्रतिपादित करना है। इस दिन केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा - 'शिक्षक सम्मान समारोह' का भव्य और गरिमामय आयोजन होता है। सरकारी आयोजन से इतर समाजसेवी संस्थाएं भी अपने स्तर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन करती हैं। शिक्षा और शिक्षक पर केन्द्रित व्याख्यानमाला का आयोजन भी इस दिन होता है। इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के बीच वेबिनार के माध्यम से शिक्षक दिवस का आयोजन हुआ। शिक्षक दिवस के सार्वजनिक समारोह के साथ ही सोशल मीडिया पर भी उपयोगकर्ता अपने शिक्षकों को बधाई देते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस दिन शिक्षकों को बधाई पत्र (ग्रीटिंग्स) देने और कोई गरिमामय उपहार देने की भी परम्परा है। शिक्षक दिवस पर शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलाव पर भी व्यापक विचार विमर्श होता है।

डॉ. राधाकृष्णन को अपने शिक्षक होने पर सर्वाधिक गर्व था

भारत के एक विलक्षण राजनेता, आदर्श शिक्षक और देश के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का महत्वपूर्ण निर्णय वर्ष 1962 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद लिया गया था। एक बार उनके कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने उनसे उनके जन्मदिन को समारोहपूर्वक मनाने की बात कही। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि - 'मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय अगर उस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे अत्यंत गर्व महसूस होगा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा गौरव की अनुभूति अपने शिक्षक होने पर है'। उनकी इसी इच्छा को सम्मान देने के लिये ही देश प्रतिवर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पांच सितम्बर को देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष पाँच अक्टूबर को - 'अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस' मनाने का निर्णय लिया था। शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। मगर भारत में पाँच सितम्बर को ही राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। विश्व के विभिन्न देश अलग-अलग तारीखों में शिक्षक दिवस को मानते हैं। कुछ देशों में इस दिन अवकाश रहता है, तो कहीं-कहीं यह कामकाजी दिन ही रहता है।

दर्शनशास्त्र के प्राध्यापक से राष्ट्रपति तक की उपलब्धियाँ जुड़ी हैं राधाकृष्णन के साथ

राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में 05 सितम्बर 1888 को हुआ था। राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम आठ वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। फिर अगले 4 वर्ष उनकी शिक्षा वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने बचपन में ही स्वामी विवेकानन्द और अन्य महान विचारकों के विचारों का अध्ययन किया। उन्होंने वर्ष 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1904 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। दर्शनशास्त्र में एम.ए. करने के पश्चात् वे मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए बाद में वहीं प्राध्यापक भी रहे। डॉ. राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। आज़ाद भारत की संविधान सभा के राधाकृष्णन एकमात्र गैर राजनैतिक सदस्य थे। बाद में उनको सोवियत संघ में विशिष्ट राजदूत बनाया गया। वर्ष 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद डॉ. राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और वर्ष 1962 में वे भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन दिनों राष्ट्रपति का वेतन दस हजार रुपए मासिक था, लेकिन प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मात्र ढाई हजार रुपए ही लेते थे और शेष राशि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करा देते थे। डॉ. राधाकृष्णन ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की इस गौरवशाली परंपरा को जारी रखा। देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचकर भी वे सादगी भरा जीवन बिताते रहे।

विश्व में मानव मात्र की भलाई की बुनियाद शिक्षा पर ही रखी जाती है

डॉ. राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है और विश्व में मानव मात्र की भलाई की बुनियाद शिक्षा पर ही रखी जा सकती है, अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबन्धन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिये अपने भाषण में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था- 'मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी सम्भव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शान्ति की स्थापना का प्रयत्न हो।' डॉ. राधाकृष्णन अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनन्ददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मन्त्रमुग्ध कर देते थे। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा वह अपने छात्रों को भी देते थे। शिक्षकों के बारे में डॉ. राधाकृष्णन का मानना था कि समाज और देश की विभिन्न बुराइयों को शिक्षा के द्वारा ही सही तरीके से हल किया जा सकता है। शिक्षक ही एक सभ्य और प्रगतिशील समाज की नींव रखता है। उनके समर्पित काम और छात्रों को प्रबुद्ध नागरिक बनाने के लिए उनके अथक प्रयास प्रशंसनीय हैं। डॉ. राधाकृष्णन की इच्छा थी कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए और शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा पद्धति के बीच एक मजबूत संबंध विकसित होना चाहिए। कुल मिलाकर वे पूरी शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते थे, उनके अनुसार शिक्षकों को विद्यार्थियों का स्नेह और सम्मान प्राप्त करने के लिए आदेश नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें इसके योग्य बनना चाहिए।

इस शिक्षक दिवस पर डॉ. राधाकृष्णन की एक सीख यदि हम ले पायें कि - 'शिक्षक उन्हीं लोगों को बनाया जाना चाहिए जो सबसे अधिक बुद्धिमान हों। शिक्षक को मात्र अच्छी तरह अध्यापन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, उसे अपने छात्रों का स्नेह और आदर भी अर्जित करना चाहिए। सम्मान शिक्षक होने भर से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है।' तो हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता शिक्षक की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे।

राजा दुबे (लेखक)
जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं

(फोटो गूगल से साभार)

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2019 (Phase-II)

विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक : 325/परीक्षा/सी.जे./2019 (Phase-II) **दिनांक - 05.09.2020**

आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	:-	**22 सितंबर, 2020 (मंगलवार) दोपहर 12:00 (pm) बजे से**
आवेदन करने की अंतिम तिथि	:-	**05 नवंबर, 2020 (गुरूवार) रात्रि 11:55 (pm) बजे तक**
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	:-	**10 नवंबर, 2020 (मंगलवार) दोपहर 12:00 (pm) बजे से**
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	:-	**12 नवंबर, 2020 (गुरूवार) रात्रि 11:55 (pm) बजे तक**
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि	:-	**बाद में अधिसूचित की जावेगी।**
मुख्य परीक्षा की तिथि	:-	**बाद में अधिसूचित की जावेगी।**

सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर-सीधी भर्ती) के रिक्त पदों हेतु MPHC की वेबसाइट- **www.mphc.gov.in** के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश व विधि नीचे दी गई है। कृपया आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। यह विज्ञापन, निर्देश सहित, उच्च न्यायालय की वेबसाइट- **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध है।

पोर्टल-शुल्क सहित परीक्षा शुल्क -

अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए ₹ 722.16/- सेवा प्रदाता का शुल्क तथा ₹ 400/- परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 722.16+400 = ₹ 1122.16/- तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क ₹ 722.16/- देय होगा।

नोट :-

(1) ऐसे अभ्यर्थी जो कि मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी माना जायेगा और तद्नुसार उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना होगा।

(2) ऊपर वर्णित शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी का आवेदन जमा तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन सफलतापूर्वक हो चुका हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन व शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

खण्ड - "अ"

एक - रिक्त पद :

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों से म.प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत **रिक्त कुल-252 (192+60* (Backlog from previous years)) सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के अस्थायी पदों के लिये** निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद श्रेणीवार निम्नानुसार हैं -

(अ)	अनारक्षित	- 96+6*	(स)	अनुसूचित जाति	- 31+2*
(ब)	अन्य पिछड़ा वर्ग	- 27+2*	(द)	अनुसूचित जनजाति	- 38+48**+2*

(*=Backlog PH posts & ** =Backlog posts)

उपरोक्त पदों (192) में से स्थायी दिव्यांग (Specially Abled) अभ्यर्थियों को "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात् जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी (अर्थात् आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा)।

दो - (1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा/अजजा/अपिव के आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।

(2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हों।

तीन - (अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

(स) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

चार - पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियाँ इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएँगी परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएँगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

पाँच - पद का विवरण - सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर)

(क) **श्रेणी -** राजपत्रित द्वितीय श्रेणी।

(ख) **वेतनमान -** रु. 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 एवं प्रचलित दर अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते (Pre-revised) VIth Pay Commission।

छः - आवश्यक अर्हता - कोई भी व्यक्ति सिविल न्यायाधीश वर्ग - 2 (प्रवेश स्तर सीधी भर्ती) के पद के लिए अर्ह तभी होगा जब कि वह-

(1) भारत का नागरिक हो।

(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो** और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो और उनके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन को मौजूद हों।

(3) वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो।

(4) आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

उच्चतम आयु सीमा में छूट -

(क) म.प्र. के मूल निवासी जो कि म.प्र. के लिये अधिसूचित अजा/अजजा/अपिव के हैं, उन्हें उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) म.प्र. शासन के समस्त श्रेणी के स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारियों (जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं) के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) दिव्यांग आवेदकों को भी उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तिथि को 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा।

नोट -

1. ऐसे सभी आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जावेगा और वे आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित ही भरें और उसी अनुसार परीक्षा शुल्क भी देय होगा और उन्हें अजा, अजजा एवं अपिव श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
2. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।
3. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः आवश्यक अर्हता प्राप्त आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।
4. यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय उसे संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा।

सात - अनर्हताएँ -

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. यदि किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं के चयन हेतु समस्त भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या
2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या
3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो।
9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-

(अ) पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ब) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(स) जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(द) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

आठ - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि :-

(1) **कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।** आप निर्देश/विज्ञापन म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट **www.mphc.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 05 नवंबर, 2020 रात्रि 11:55 (pm) बजे तक** भरे जा सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर **"Recruitment/Result"** की बटन में क्लिक करना होगा, "Click Here - Online Application Forms/Admit Cards" क्लिक करने के पश्चात् 04 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार है :-

1- Advertisement
2- Registrartion
3- Application
4- Edit Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई. डी. में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :- कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022-61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।

3. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

4. परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को दिनांक 05 नवंबर 2020 को रात्रि 11:55 (pm) बजे तक करना अनिवार्य है। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा।

5. ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर म.प्र. उच्च न्यायालय के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

खण्ड-"ब"

परीक्षा की योजना :- यह परीक्षा तीन चरणों में होगी :-

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

1. ऑनलाइन प्रारंभिक (अनुवीक्षण) परीक्षा (150 अंक)

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा।

एक- ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक समय/पाली व केन्द्र - प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन सेवा प्रदाता के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से **एक या एक से अधिक दिवसों में एक या एक से अधिक पाली (Shift)** में ली जावेगी। **परीक्षा की पालियाँ, दिनांक, समय एवं जिले बाद में अधिसूचित किये जायेंगे।** एक से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर प्रत्येक पाली (Shift) के प्रश्न पत्र के सेट अलग-अलग होंगे। किसी भी सेट के संबंध में परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थान होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा परन्तु परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा पाली के बारे में अंतिम निर्णय ऑनलाइन सेवा प्रदाता का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के संभावित जिले **जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन आदि होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुये, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले कम या अधिक** ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा किये जा सकेंगे। परीक्षा पाली, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले के आवंटन संबंधी ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

दो - प्रवेश पत्र - प्रवेश पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट (www.mphc.gov.in) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंट आउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

तीन - ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार है :-

स.क्र.	विषय (नवीनतम संशोधनों व अद्यतन जानकारी के साथ)	कुल प्रश्न	अंक
1.	भारत का संविधान	10	10
2.	सिविल प्रक्रिया संहिता	15	15
3.	संपत्ति अंतरण अधिनियम	7	7
4.	भारतीय संविदा अधिनियम	8	8
5.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	6	6
6.	परिसीमा अधिनियम	4	4
7.	म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम	5	5
8.	म.प्र. भू-राजस्व संहिता	5	5
9.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	15	15
10.	भारतीय दंड संहिता	15	15
11.	दंड प्रक्रिया संहिता	15	15
12.	नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट	5	5
13.	सामान्य ज्ञान	20	20
14.	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15.	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
	कुल	**150**	**150**

चार - ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया :-

(1) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार **एक या एक से अधिक पालियों** में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले प्रश्न पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय-सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी। **इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।**

(2) **Mock Test (मॉक टेस्ट) -** आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् शुरू हो जायेगी।

(3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन एवं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जावेगा। पहचान पत्र की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी।

(4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक-एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहिले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।

(5) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प दिखेंगे। आवेदक को इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सेव कर सकता है। सेव करने के बाद उत्तर में सुधार या परिवर्तन नहीं होगा।

(6) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

पाँच - ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम :-

(1) परीक्षा होने के उपरान्त प्रस्तावित मॉडल उत्तर म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित मॉडल उत्तर के संदर्भ में कोई आपत्ति/सुझाव करना चाहता है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित मॉडल उत्तर के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के भीतर स्वयं द्वारा लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अभ्यावेदन डाक या ई-मेल **(pregexamhcjbp@mp.gov.in)** द्वारा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबोधित करते हुए आपत्ति/सुझाव जिसपर आधारित है उससे सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसा कोई अभ्यावेदन जो आवेदक ने स्वयं नहीं किया हो और जो कि बिना किसी दस्तावेजों/स्रोतों या सबूतों के हो अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त हुआ हो, विचारणीय नहीं होगी तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा। 07 दिन की समयावधि के बाद प्राप्त कोई भी आपत्ति/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।

यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती हैं तो प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी को अंतिम आदर्श उत्तर कुंजी मानते हुए और प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा।

(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कम्प्यूटर आधारित होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम लगभग 10 गुना (जो कम हो सकती है) अभ्यर्थी श्रेणीवार (केटेगरीवाइस) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये योग्य/सफल घोषित किये जावेंगे, परन्तु समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जायेगा भले ही इस कारण उनकी संख्या 10 गुना से कुछ अधिक हो जाये, परन्तु यह भी कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 90 अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये उम्मीदवारों की केटेगरीवाइस लिस्ट एम.पी. हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इस सूचना के साथ अपलोड की जायेगी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है आवेदक अपना परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक अपनी ID एवं Password तथा उनके मोबाइल नंबर पर आये OTP से Login कर देख सकता है।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से 3 माह की अवधि तक अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका (रिस्पांस शीट) या उससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन सेवा प्रदाता से विहित शुल्क अदा कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकेंगे तत्पश्चात् परिरक्षित नहीं रखी जाएगी।

छः - आवश्यक सूचना :-

(1) आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केन्द्र पर **परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड-19 के कारण काल लैटर में दिये समय पर उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।**

(2) आवेदक का **बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जायेगा।**

(3) आवेदक द्वारा **निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि व समय परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगी।**

(4) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केल्कुलेटर, मोबाइल फोन, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच तथा संचारी यंत्र इत्यादि ले जाना वर्जित होगा। आवेदक अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेन्सिल, फेस मास्क एवं सेनिटाइजर की छोटी शीशी ले जा सकेगा।

(5) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केन्द्र से बाहर निकल सकेगा।

(6) अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किये जाएंगे।

सात - अनुचित साधन :-

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जाएगा :-

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।

(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(5) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुंचाना।

2 - मुख्य परीक्षा (400 अंक)

एक - (1) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र - मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रति के साथ, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थियों से बुलाये जावेंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा। उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही उसने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो। उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) प्रवेश पत्र - मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रिंट आउट की सुविधा मुख्य परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

दो - मुख्य परीक्षा की तिथि : बाद में अधिसूचित की जावेगी जो लगातार दो या अधिक दिनों में दो पालियों (शिफ्ट्स) में होगी।

तीन - मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम -

मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 04 (चार) प्रश्न पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल किये जावेंगे, मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी वह लगातार दो या अधिक दिनों में दो-दो पालियों (शिफ्ट्स) में संपन्न कराई जावेगी। पहले दिन प्रथम पाली (शिफ्ट) में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली (शिफ्ट) में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम पाली (शिफ्ट) में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली (शिफ्ट) में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। यदि परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी तथा उसकी उत्तर-पुस्तिका(ओं) का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त समझा जावेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

(अ) प्रथम प्रश्न पत्र - प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :-

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (अध्याय - I, II and VI to VIII)
6. परिसीमा अधिनियम, 1963 (भाग - II & III)

(ब) द्वितीय प्रश्न पत्र - द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. लेख सामाजिक विषय पर	- 30 अंक
2. लेख विधिक विषय पर	- 20 अंक
3. संक्षिप्तिकरण लेखन	- 20 अंक
4. हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद	- 15 अंक
5. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद	- 15 अंक

(स) तृतीय प्रश्न पत्र - तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
2. म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. भारतीय दंड संहिता, 1860
5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
6. नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (धारा 138 से धारा 147 तक)

(द) चतुर्थ प्रश्न पत्र - चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :-

1. विवाद्यकों का स्थिरीकरण	- 10 अंक
2. आरोपों की विरचना	- 10 अंक
3. निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)	- 40 अंक
4. निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)	- 40 अंक

नोट -

1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।
2. संक्षिप्तिकरण लेखन, के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-sheet)/परिवाद पत्र (Complaint) की कॉपी दी जा सकेगी और अभ्यर्थी से उसके एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा।
3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के प्रश्न में होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा।
4. सभी प्रश्न-पत्रों की उत्तर-पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
5. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित नहीं करेंगे जिससे की परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में परीक्षार्थी न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर "क, ख, ग" अथवा "अ, ब, स" का उल्लेख करेंगे। नाम का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

चार - मुख्य परीक्षा का परिणाम :-

1. मुख्य परीक्षा में सभी चार प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से श्रेणीवार विज्ञप्तित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना (जो कम हो सकती है) मेरिट में एवं समान अंक प्राप्त आवेदक को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किये जायेंगे।
3. अभ्यर्थी अपनी स्वयं की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Books) की सत्यापित प्रतिलिपि या उससे संबंधित जानकारी उच्च न्यायालय के आर.टी.आई. अनुभाग से विहित शुल्क अदा कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा विधि विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे

नोट -

1. प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे।
2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा से संबंधित पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

3. साक्षात्कार

एक - साक्षात्कार - मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। परीक्षार्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्थात् 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। **(शेष अगले पृष्ठ पर)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड आगर-मालवा
छावनी नाका सुसनेर रोड
फोन नंबर - 07362-259980, ई-मेल : eepheagar@yahoo.com

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर आगर जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाईप लाईन, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित है।

निविदा क्रमांक/ दिनांक	सिस्टम क्रमांक	विकास खण्ड	ग्रामों की संख्या	निविदा की कुल लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
06/ 2020-21	101973	आगर	07	200.95	200951	15000	4 माह	नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि : 15.09.2020 17.30 बजे
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि : **15.09.2020 17.30 बजे**
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि : 17.09.2020 11.00 बजे

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर (टेण्डर डाक्यूमेंट) क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं विस्तृत विवरण निविदा सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। यदि निविदा में आगे कोई संशोधन किया जाता है तो वह विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता हैं, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-13697/44334/2020 लो.स्वा.यां. खण्ड आगर-मालवा

हॉकी को स्कूल पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जायेगा

भोपाल, स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग में हॉकी खेल को अनिवार्य रूप से जोड़ा जायेगा। इससे हमें ना सिर्फ हॉकी को बढ़ावा देंगे बल्कि प्रदेश के कई स्कूल-कॉलेजों के बेकार पड़े परिसरों का अधोसंरचना विकास कर 'खेलो इंडिया' के तहत इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। यह बात खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने टी.टी. नगर स्टेडियम में मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कही। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार बजट उपलब्ध कराती है और राज्य सरकार को भूमि देनी होती है। प्रदेश के विभिन्न स्कूल परिसरों का इसमें उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं का चयन कर उनके खेल-कौशल को निखारने और उन्हें खेलों के पर्याप्त अवसर दिलाने के लिए स्कूल शिक्षा और खेल विभाग समन्वित सहयोग से आगे की कार्य योजना बनाएं। पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पैरा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर टेलेन्ट सर्च करें।

प्रमुख सचिव, खेल एवं युवा कल्याण श्री पंकज राग ने मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया की जानकारी देते हुए बताया कि गांव, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर कुल 291 खेल अधोसंरचनाओं की मैपिंग कर चिन्हांकित किया गया है। आगामी एक साल में मैपिंग की हमारी अपनी जीआईएस/एमआईएस विकसित की जायेगी। राज्य स्तरीय खेल मैदान संघों का गठन किया जायेगा। श्री पंकज राग ने बताया कि जल्द ही भारत सरकार को एथलेटिक्स, शूटिंग, फुटबॉल और हॉकी के रिफ्रेशर कोर्स के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा। साथ ही ब्लॉक समन्वयकों के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन एथलेटिक्स रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किये जाएंगे।

मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी.,
महाश्वेता नगर, इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.)
फोन नं. 0734-2527715, मोबा. 9406808103
ई-मेल : mpphcl_ujjain@yahoo.in
क्र. 744/पय/मप्रपुहाइडेकालि/20/ उज्जैन, दिनांक : 03.09.2020

निविदा सूचना क्र. 08/2020-21

मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा सूचना क्रमांक 08/2020-21 दिनांक 04.09.2020 के अंतर्गत जिला बड़वानी एवं देवास में महिला डेस्क एवं मरम्मत कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2020_MPPHC_104971, 2020_MPPHC_104972, 2020_MPPHC_104973 कुल 3 निविदा आमंत्रित की गई हैं।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 04.09.2020 17.00 बजे से क्रय किये जा सकते हैं एवं दिनांक 18.09.2020 18.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/98368/44337/2020 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित
कार्यालय महाप्रबंधक (संपदा/निर्माण), संभाग-भोपाल
पंचानन भवन द्वितीय तल, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक : 0755-2673195
क्रमांक लउनि/निर्माण/संभाग/भोपाल/2020/13(20-21)
भोपाल, दिनांक : 03.09.2020

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्य की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती हैं :- **कार्य का नाम - म. प्र. रोज़गार एवं प्रशिक्षण परिषद् (मेपसेट), श्यामला हिल्स, भोपाल के कार्यालय भवन में आंतरिक साज-सज्जा, विद्युतीकरण एवं सिविल कार्य, (द्वितीय आमंत्रण)** अनुमानित लागत राशि रु. 82.00 लाख। निविदा बिड जमा करने की **अंतिम तिथि 14.09.2020 सायं 05.30 बजे तक।** निविदा की समस्त जानकारी उक्त वेबसाइट पर दी जावेगी। निविदा में कोई संशोधन व परिवर्तन किया जाता है तो वह उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित है।

म.प्र.माध्यम/98377/44338/2020 **महाप्रबंधक(सं./नि.)**

AIMR
APEX INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH, INDORE
(Approved by AICTE, MP Higher Education & Affiliated to DAVV, Indore)
REQUIRED
FACULTY MEMBERS & STAFF FOR MBA & B.COM COURSE
• Principal / Director • Professors • Librarian
• Associate Professors • Assistant Professors
• Sports Faculty • Lab. Assistant & Other Supporting Staff
(Bus Driver, Conductor & Office Boy)
Qualification and Pay Scale as per AICTE/UGC norms.
Interested candidates may apply/mail with complete resume & testimonials with two photographs within 15 days for Under Code 28 Selection of DAVV University, Indore.
UG-12-13, Royal Platinum, Sch. No. 54, Vijay Nagar, Indore (M.P) 452010
Contact No.: 0731-4007190, 07389919190, 07389919192
Email: director@aimrindore.com
Director
ANIL PUR.
R-44336/2020

(पिछले पृष्ठ का शेष)

दो - अंतिम चयन का आधार - अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट :- साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।

खण्ड-''स''

एक - परीक्षा सम्बन्धी अन्य निर्देश :-

1. परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परीक्षा के समय अनुचित साधन का उपयोग/प्रयास करना, दी गई उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
3. उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक, धार्मिक शब्द या चिन्ह या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
4. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, अन्य संचारी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस डिवाइस लाना वर्जित है।
5. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि उसके आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति पत्रक पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किये गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

दो - अंक सूची-
अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा अथवा/तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सूची म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी। ऐसे आवेदक, जिनकी उम्मीदवारी पहचान चिन्ह अंकित करने अथवा अन्य किसी कारण से निरस्त कर दी गई हो, को अंकसूची जारी नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन संबंधी कोई प्रावधान नहीं है और इस संबंध में कोई अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त किया जायेगा।

तीन - यात्रा व्यय का भुगतान- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है।

चार - शुद्धि पत्र - भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत किसी भी समय यदि किसी भी स्पष्टीकरण, संशोधन आदि को उच्च न्यायालय की ओर से किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट और सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर शुद्धि पत्र को जारी करके किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट जारी पर शुद्धि पत्र को सभी उम्मीदवारों उम्मीदवारों को पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जाएगा और इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि उम्मीदवार को इस तरह के शुद्धि पत्र की कोई जानकारी नहीं थी।

पाँच - विनष्टीकरण- परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर-पुस्तिकाओं, आवेदन-पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री, चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दी जावेगी। सक्षम प्राधिकारी या माननीय न्यायालय के आदेश से या माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित होने पर ही संबंधित रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
आर-44339/2020 रजिस्ट्रार जनरल

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मध्यप्रदेश में .....

श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उद्यानिकी फसलों के उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो मध्यप्रदेश से अपेक्षाएं की हैं, उनको मध्यप्रदेश अवश्य पूरी करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन महत्वपूर्ण

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना होगा। देश में किसानों एवं उद्यमियों के लाभ के लिए 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में 08 मेगा/मिनी फूड पार्क, कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदि पर कार्य चल रहा है। 'एक जिला एक उत्पाद' योजना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी।

पंजाब हमारा आदर्श भी और प्रेरणा भी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में पंजाब हमारा आदर्श भी है और प्रेरणा भी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्रीमती हरसिमरत कौर एवं श्री रामेश्वर तेली द्वारा मध्यप्रदेश को निरंतर दिए जा रहे सहयोग की सराहना की।

बाढ़ प्रभावित .....

आदि की आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहे। साथ ही निरंतर साफ-सफाई, बिजली आपूर्ति, नालों व सड़कों से गाद निकालना, मृत जानवरों को हटाना आदि कार्य भी किए जाएं। पेयजल स्रोतों के शुद्धिकरण एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना के मद्देनजर राहत शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

दूसरी बार किया खातेगांव दौरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे निरंतर आपकी चिंता रहती है। नर्मदा नदी के किनारे होने से यहां बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। मैं गत दिनों में दूसरी बार खातेगांव-नेमावर क्षेत्र में आया हूं। पहले आपकी फसलों की नुकसान का जायजा लेने तथा अब आपको सहायता पहुंचाने। आप निश्चिंत रहें, संकट की इस घड़ी में सरकार आपको हरसंभव सहायता देगी।

फ्लाई ओवर के लिए केंद्रीय मंत्री से करेंगे बातचीत

श्री चौहान ने कहा कि नेमावर क्षेत्र में एक और फ्लाई ओवर के लिए केंद्रीय भूतल, परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से बातचीत करेंगे। साथ ही फसल बीमा करवाने की तिथि 4-5 दिन और बढ़ाए जाने के लिए भी केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। अभी इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। बहुत से किसान इस तिथि तक अपना बीमा नहीं करवा पाए हैं।

राहत राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किये। मकान व खाद्यान्न क्षति के लिए नेमावर निवासी सूरज बाई पति जगदीश, सिरालियारेवातीर निवासी रमेश पिता श्यामलाल, भंवर सिंह पिता जस्सू, मोहनलाल पिता चुन्नीलाल तथा मिर्जापुर निवासी रासत खां पिता कालू को 95-95 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किये। दुकान के सामान की क्षति होने से नेमावर निवासी कृष्णकांत पिता नर्मदा प्रसाद शर्मा, राकेश व्यास पिता कमल किशोर, बसंत राठौर पिता सुंदरलाला, उपकार पिता वंशीधर तथा शरद पिता जुगल किशोर को 12-12 हजार रुपये राशि के स्वीकृति-पत्र वितरित किये गये।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मण्डला (म.प्र.)

दूरभाष - 07642-252443, ई-मेल - eepedmal@mp.nic.in, फैक्स - 07642-253622

निविदा क्र. 53 से 54/2020-21/नि.शाखा/लो.स्वा.यां./2020 मण्डला, दिनांक 27.08.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नानुसार कार्य हेतु ऑनलाइन वेबसाइट **http://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत किये जाने की **अंतिम तिथि 12.09.2020** सायं 17.30 बजे तथा निविदा खुलने का दिनांक 14.09.2020 सायं 15.00 बजे के पश्चात है। निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन ई-टेण्डरिंग पोर्टल पर प्रदर्शित है। विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट **http://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर देखा जा सकता है।

Name of Work :- Retrofitting of Pipe Water Supply Scheme of FHTC (UNDER JAI JEEVAN MISSION) at various Villages of different Blocks of District Mandla Including Cost of All Matarial and Labour with 90 Days Trail Run/Commissioning period of Successful Entire Scheme.

NIT No.	Tender ID No.	Name of Villeges	Name of Block	Probable Amount	EMD	Tender Doc. Fee	Time
53/ 20-21	2020_ PHED_ 103941_1	Bargi, Kamta Mal and Mohgaon (Chatarwada)	Nainpur	54.37	54370	10000	06 Month Incuding Rainy Season
54/ 20-21	2020_ PHED_ 103958_1	Duba	Mawai	8.24	16500	2000	

नोट :- निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट पर कैश कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग एकाउण्ट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान पर क्रय किया जा सकता है। निविदा संबंधित आवश्यक दस्तावेज, रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते इस कार्यालय में **दिनांक 12.09.2020** तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री
जी-13530/44319/2020 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड मण्डला (म.प्र.)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, (भ/स) संभाग सतना (म.प्र.)
निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 13/2020-21 **सतना, दिनांक 26.08.2020**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर ई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	कार्य की अनुमानित राशि	अमानत राशि
1.	2020_ PWDRB_ 103724_1	उपसंभाग सतना के अंतर्गत जैतवारा डगडीहा मार्ग कि.मी. 1/4 (चैनेज क्र. 209 से 283 तक 75.00 मी.) में पी.सी.सी. सडक का मरम्मत कार्य। पार्ट-1	प्रथम	02 माह	443980/-	9000/-
2.	2020_ PWDRB_ 103725_1	उपसंभाग सतना के अंतर्गत जैतवारा डगडीहा मार्ग कि.मी. 1/4 (चैनेज क्र. 284 से 359 तक 75.00 मी.) में पी.सी.सी. सडक का मरम्मत कार्य। पार्ट-2	प्रथम	02 माह	443980/-	9000/-
3.	2020_ PWDRB_ 103726_1	उपसंभाग सतना के अंतर्गत सिविल लाइन सतना के शासकीय भवन क्र. आर-247 का मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	286651/-	5800/-
4.	2020_ PWDRB_ 103727_1	उपसंभाग नागौद के अंतर्गत नागौद सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग के कि.मी. 40/6 में पुलिया एवं रिटेनिंगवाल का मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	446369/-	9000/-
5.	2020_ PWDRB_ 103728_1	उपसंभाग अमरपाटन के अंतर्गत गोविन्दगढ़ जिगना झिन्ना मार्ग के कि.मी. 36/10 में क्षतिग्रस्त पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	405334/-	8200/-
6.	2020_ PWDRB_ 103729_1	उपसंभाग अमरपाटन के अंतर्गत गोविन्दगढ़ जिगना झिन्ना मार्ग के कि.मी. 46/2 में क्षतिग्रस्त पुलियों का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	445919/-	9000/-
7.	2020_ PWDRB_ 103730_1	उपसंभाग अमरपाटन के अंतर्गत स्थित विश्राम गृह के रसोई घर का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	444897/-	8900/-
8.	2020_ PWDRB_ 103731_1	उपसंभाग अमरपाटन के अंतर्गत न्यायालय परिसर अमरपाटन में बाउण्ड्रीवॉल गेट एवं डैश का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	441229/-	8900/-
9.	2020_ PWDRB_ 103733_1	उपसंभाग अमरपाटन के अंतर्गत स्थित आई टाईप आवासीय भवन क्र. 25 डी का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	356016/-	7200/-
10.	2020_ PWDRB_ 103734_1	उपसंभाग मैहर अंतर्गत देवी जी मंदिर मार्ग मैहर के शासकीय भवन क्र. 19 का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	355131/-	7200/-
11.	2020_ PWDRB_ 103735_1	उपसंभाग मैहर अंतर्गत देवी जी मंदिर मार्ग मैहर के शासकीय भवन क्र. 20 का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	368946/-	7400/-
12.	2020_ PWDRB_ 103737_1	उपसंभाग मैहर अंतर्गत देवी जी मंदिर मार्ग मैहर के शासकीय भवन क्र. 32 का विशेष मरम्मत कार्य।	प्रथम	02 माह	374796/-	7500/-
13.	2020_ PWDRB_ 103863_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत बारी कटहा मार्ग लंबाई 4/6 से 9/2 = 4.60 कि.मी. में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य।	प्रथम	04 माह	3638706/-	50000/-
14.	2020_ PWDRB_ 103866_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत विभिन्न मार्गों में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य - गौहानी मुख्य मार्ग से पुरानी बस्ती ग्रामीण मार्ग तक कि.मी. 1/2 से 2/8 = 1.70 कि.मी. न्यू रामनगर गंजास हरदुआ मार्ग के कि.मी. 3/2 से 5/2 = 2.20 कि.मी., सेमरिया मिरगौती मार्ग लंबाई 4.80 कि.मी., टेगना पहुंच मार्ग लंबाई 2.95 कि.मी., न्यू मिरगौती आंतरिक मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी. कुल लंबाई 14.65 कि.मी.।	प्रथम	04 माह	10080209/-	100802/-
15.	2020_ PWDRB_ 103870_1	उपसंभाग अमरपाटन अंतर्गत विभिन्न मार्गों में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य - नादन टोला फडक्का मार्ग लं. 1.70 कि.मी. इटमा कोठार पहुंच मार्ग लं. 2.45 कि.मी., चोडखड़ी पहुंच मार्ग लं. 0.60 कि.मी., रेस्ट हाउस अमरपाटन पहुंच मार्ग लं. 0.40 किमी., बिगौडी बदरखा मार्ग लं. 1.00 कि.मी., गढी टोला पहुंच मार्ग लं. 0.50 किमी., करिया पतर मार्ग लं. 1.30 कि.मी., ताला मेढुलिया टोला से छतुरिया टोला लं. 1.60 कि.मी., मुकुन्दपुर जंगल चौकी से जगन्नाथ मंदिर रोड लं. 1.20 कि.मी. कुल लंबाई 10.80 कि.मी.।	प्रथम	4 माह	7830569/-	78400/-
		योग -			**26362732.00**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने तथा ऑनलाइन बिड सबमिशन की **अंतिम दिनांक 15.09.2020** सायं 17.30 बजे तक निर्धारित है। स.क्र. 01 से 12 तक के ई.एम.डी. एवं अन्य दस्तावेज कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग सतना तथा स.क्र. 13 से 15 तक के कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रीवा परिक्षेत्र रीवा म.प्र. दिनांक 10.09.2020 सायं 17.30 बजे तक केवल रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट से प्राप्त की जावेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-13438/44313/2020 **लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सतना (म.प्र.)**

निविदा आमंत्रण सूचना (ई-पद्धति)
मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग
कार्यालय मुख्य अभियंता
रानी अवंती बाई लोधी सागर, परियोजना बरगी हिल्स, जबलपुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में केन्द्रीयकृत प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत ठेकेदारों एवं अपंजीकृत ख्याति प्राप्त फर्में जो पंजीकरण मापदण्डों को पूरा करती है, से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन प्रतिशत दरों में निविदा आमंत्रित की जाती है -

स. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख रुपये में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	07/सा./मु.अ./ 2020-21 दिनांक 25.08.2020 (द्वितीय आमंत्रण)	रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की आर.डी. 114.200 कि.मी. से आर.डी. 130.67 कि.मी., सुरगी वितरण नहर आर.डी. 0.00 कि.मी. से आर.डी. 12.00 किमी., रेहली वितरण नहर आर.डी. 0.00 कि.मी. से आर.डी. 11.88 कि.मी. तथा मुख्य नहर की केनाल सायफन की आर.डी. 115.30 कि.मी., आर.डी. 116.20 कि.मी. एवं आर.डी. 118.85 कि.मी. का साफ-सफाई, मिट्टी का कार्य, सीमेन्ट कांक्रीट लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर्स के मरम्मत एवं सुधार कार्य।	रु. 158.77 लाख (एक सौ अन्ठावन लाख सतहत्तर हजार मात्र) (यू.सी.एस.आर. 01.09.2017 पर लागू)	रु. 159000/- (एक लाख उनसठ हजार रुपये मात्र)	रु. 12500/- (बारह हजार पांच सौ रुपये मात्र)	12 माह वर्षाकाल सहित
2.	08/सा./मु.अ./ 2020-21 दिनांक 25.08.2020 (तृतीय आमंत्रण)	रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की आर.डी. 63.42 कि.मी. से आर.डी. 114.200 कि.मी., एवं हरेरी शाखा नहर की (आर.डी. 0.00 कि.मी. से आर.डी. 31.300 कि.मी., भदगवां शाखा नहर आर.डी. 0.00 कि.मी. से आर.डी. 16.32 कि.मी. तथा 09 नं. वितरण नहर की साफ-सफाई, मिट्टी का कार्य, सीमेन्ट कांक्रीट लाइनिंग एवं स्ट्रक्चर्स के मरम्मत एवं सुधार कार्य एवं चौकीदार हटमेन्ट तथा वेरीकेट्स का निर्माण कार्य तथा गोटेगांव संभाग क्र.2 के अंतर्गत कॉलोनी की आंतरिक सड़क का निर्माण कार्य।	रु. 1142.83 लाख (एक हजार एक सौ बयालीस लाख तिरासी हजार मात्र) (यू.सी.एस.आर. 01.09.2017 पर लागू)	रु. 1150000/- (ग्यारह लाख पचास हजार रुपये मात्र)	रु. 30000/- (तीस हजार रुपये मात्र)	12 माह वर्षाकाल सहित
3.	09/सा./मु.अ./ 2020-21 दिनांक 25.08.2020 (तृतीय आमंत्रण)	रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना सुरगी वितरण नहर की आर.डी. 9.60 कि.मी. पर सर्विस वैंक पर वाइडिंग का कार्य।	रु. 1.80 लाख (एक लाख अस्सी हजार मात्र) (एम.पी. आर.आर.डी.ए.) 01.09.2017 पर लागू)	रु. 4000/- (चार हजार रुपये मात्र)	रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र)	01 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये **www.mptenders.gov.in** का अवलोकन करें। 2. निविदा प्रपत्र डेबिट कार्ड या इंटरनेट एकाउंट से भुगतान करने के उपरांत केवल ऑनलाइन निविदा क्रय की जा सकती है। 3. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र क्रय करने का दिनांक एवं समय - **दिनांक 14.09.2020** सायं 17.30 बजे तक। 4. निविदा में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो वह केवल वेबसाइट पर दर्शाया जायेगा। समाचार पत्र में नहीं।

मुख्य अभियंता
जी-13502/44318/2020 **रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बरगी हिल्स, जबलपुर**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंदौर परिक्षेत्र, इंदौर

फोन - 0731-2541498, फैक्स : 0731-2536575
(Email ID cephedind@nic.in & cephedind@gmail.com)

निविदा सूचना क्रमांक - 15/2020-21

इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खण्डों की नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन कार्य हेतु निम्नानुसार निविदा सूचना ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-टेण्डर पोर्टल (http://www.mptenders.gov.in/nicgep/app) पर निविदा प्रपत्र "अपेन्डिक्स-2.10" प्रतिशत दर पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सिस्टम-टेंडर क्रमांक	जिले/ खण्ड का नाम	विकास-खण्ड	ग्राम का नाम	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि रु.
1.	2020_PHED 103660_1	Indore	Indore	1. Khandel 2. Mundla Jetkaran 3. Kharadiya 4. Asraward Bujurg (Renuka Tekri)	133.86	133866/-
2.	2020_PHED 103662_1	Neemch	Manasa	1. Kundla 2. Durgpura 3. Khankhedi 4. Mokadi 5. Dhakani 6. Achalpura	215.96	216000/-
3.	2020_PHED 103663_1	Indore	Indore	1. Khatri Khedi 2. Upadinatha 3. Nignoti 4. Semliya Chau	116.08	116080/-
4.	2020_PHED 103664_1	Indore	Mhow	1. Damali 2. Guwadi 3. Pipliya 4. Kushalgarh 5. Bardiya	142.07	142080/-
5.	2020_PHED 103665_1	Indore	Sanwer	1. sinnod 2. Khamod Kamliya 3. Hariya Khedi 4. Devali	123.47	123471/-
6.	2020_PHED 103666_1	Indore	Sanwer	1. Kankriya Bordiya 2. Segwal 3. Baldhara 4. Kayakheda	134.23	134231/-

नोट :- 1. निविदा के अन्य विवरण की विस्तृत जानकारी **http://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। 2. उपरोक्त निविदाओं की ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि 12.09.2020** दोपहर 5.30 बजे तक निर्धारित है। 3. उपरोक्त निविदाओं में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा। उक्त संशोधन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)
जी-13443/44314/2020 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर परिक्षेत्र इंदौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2, जबलपुर

AN ISO 9001:2015CERTIFIED Office
इंदिरा गांधी मार्ग, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) पिन-482001
फोन एवं फैक्स नं. : 0761-2622333, ई-मेल : eepwd2jbp@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 13/व.ले.लि./2020-21 जबलपुर, दिनांक 26.08.2020

निविदा आमंत्रण सूचना क्र.-13

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के मार्फत निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने पर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा।

स. क्र.	टेण्डर आई.डी.	कार्य का नाम	आमंत्रण	ठेके की अनुमा. राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र राशि	समयावधि
01	2020_PWDRB_103106	सिविल लाईन स्थित व्ही.आई.पी. बंगलों के बाहरी एवं आंतरिक भाग में प्लास्टर रिपेयरिंग का कार्य।	प्रथम	19.95 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
02	2020_PWDRB_103107	सिविल लाईन स्थित ऑफीसर्स बंगलों के बाहरी एवं आंतरिक भाग में प्लास्टर रिपेयरिंग का कार्य।	प्रथम	19.90 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
03	2020_PWDRB_103109	पचपेढ़ी उपखण्ड सिविल लाईन अंतर्गत व्ही.आई.पी. बंगलों में रिपेयरिंग एवं रेनोवेशन का कार्य।	प्रथम	19.99 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
04	2020_PWDRB_103110	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडीकल कॉलेज जबलपुर के अंतर्गत हॉस्पिटल भवन में रंगाई पुताई का कार्य।	प्रथम	20.00 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
05	2020_PWDRB_103111	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडीकल कॉलेज जबलपुर के अंतर्गत कॉलेज भवन के कॉरीडोर/बरान्डा/पैसेज/पोर्च एवं कमरों में रंगाई पुताई का कार्य।	प्रथम	20.00 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
06	2020_PWDRB_103112	शहपुरा उपखण्ड के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य।	प्रथम	5.00 लाख	10000/-	2000/-	04 माह
07	2020_PWDRB_103114	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडीकल कॉलेज जबलपुर के अंतर्गत भवनों में रखरखाव का कार्य।	प्रथम	20.00 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
08	2020_PWDRB_103115	मझगवां उपखण्ड सिहोरा के अंतर्गत मार्गों में वी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	प्रथम	5.00 लाख	10000/-	2000/-	04 माह
09	2020_PWDRB_103116	सिहोरा उपसंभाग के अंतर्गत मुख्यालय उपखण्ड में अत्याधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त मार्गों में वी.टी. पेंच रिपेयर का कार्य।	प्रथम	8.00 लाख	16000/-	2000/-	04 माह
10	2020_PWDRB_103117	सिहोरा उपसंभाग के अंतर्गत मझगवां एवं गोसलपुर उपखण्ड में रखरखाव एम.ओ.डब्ल्यू. एवं अन्य मरम्मत कार्य।	प्रथम	10.00 लाख	20000/-	2000/-	04 माह
11	2020_PWDRB_103118	सिहोरा उपसंभाग के अंतर्गत शासकीय अस्पताल भवन में मुख्य प्रवेश द्वार एवं काऊ केचर का निर्माण, भवन में वाटर सप्लाई का कार्य एवं उपसंभाग के अंतर्गत अन्य एम.ओ.डब्ल्यू. एस.आर. कार्य।	प्रथम	10.00 लाख	20000/-	2000/-	04 माह
12	2020_PWDRB_103120	एम.एल.वी. उपखण्ड जबलपुर के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में रंगाई पुताई, पेंटिंग एवं प्लास्टर मरम्मत का कार्य।	प्रथम	20.00 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
13	2020_PWDRB_103121	होम साइंस कैम्पस जबलपुर के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में रंगाई पुताई, पेंटिंग एवं रिपेयरिंग का कार्य।	प्रथम	15.00 लाख	30000/-	2000/-	04 माह
14	2020_PWDRB_103122	उपसंभाग क्र. 1 जबलपुर के अंतर्गत म्यूजियम उपखण्ड में रिपेयरिंग एवं रेनोवेशन का कार्य।	प्रथम	20.00 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
15	2020_PWDRB_103123	एम.एल.वी. एवं होमसाईस कॉलेज उपखण्ड के अंतर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में रिपेयरिंग का कार्य।	प्रथम	15.00 लाख	30000/-	2000/-	04 माह
16	2020_PWDRB_103124	उपसंभाग क्र.1 जबलपुर के अंतर्गत म्यूजियम उपखण्ड में विशेष मरम्मत कार्य एवं अन्य विभिन्न मरम्मत कार्य।	प्रथम	15.00 लाख	30000/-	2000/-	04 माह
17.	2020_PWDRB_103126	मुख्यालय उपखण्ड सिहोरा के अंतर्गत गैर आवासीय भवनों में रखरखाव विशेष मरम्मत एवं रेनोवेशन का कार्य।	प्रथम	8.00 लाख	16000/-	2000/-	06 माह
18.	2020_PWDRB_103127	मुख्यालय उपखण्ड सिहोरा के अंतर्गत आवासीय भवनों में रखरखाव विशेष मरम्मत एवं रेनोवेशन का कार्य।	प्रथम	8.00 लाख	16000/-	2000/-	06 माह
19.	2020_PWDRB_103691	म्यूजियम उपखण्ड जबलपुर के अंतर्गत आवासीय भवनों में मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	प्रथम	20.00 लाख	40000/-	2000/-	04 माह
20.	2020_PWDRB_103692	म्यूजियम उपखण्ड जबलपुर के अंतर्गत गैर आवासीय भवनों में मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य।	प्रथम	20.00 लाख	40000/-	2000/-	04 माह

टीप :- (1) निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि दिनांक 05.09.2020 समय 10.30 से **दिनांक 15.09.2020** समय 17.30 बजे तक है, अन्य निविदा ऑनलाइन पोर्टल पर देखी जा सकती है। (2) अन्य विस्तृत विवरण एवं संशोधन ऑनलाइन पोर्टल पर देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार के संशोधन का पुनः प्रकाशन नहीं कराया जावेगा। (3) निविदा के भौतिक दस्तावेज जैसे - अमानत राशि, निविदा शुल्क रसीद एवं अन्य लिफाफे कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.2 जबलपुर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 17.09.2020 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-13445/44315/2020 लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र.-2, जबलपुर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

नि.आ.सू. क्रमांक/02/व.ले.लि./2020-21 डिण्डौरी, दिनांक 27.08.2020

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

लो.नि.वि. संभाग डिण्डौरी जिला डिण्डौरी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों की ऑनलाइन निविदा **https://www.mptenders.gov.in** के माध्यम से आमंत्रित की गई है। कार्यों का विस्तृत विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है -

ई-टेण्डर नम्बर	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा प्रपत्र (रुपये में)	अमानत राशि (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	निविदा दस्तावेज जमा करने का स्थान
2020_PWDRB_103867	गाडासरई-बच्छरगांव-झिंझरी बौना मार्ग लंबाई 14.90 कि.मी. (लागत रु. 105.13 लाख) एवं सुरसाटोला-सुकुलपुरा मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. (लागत रु. 15.36 लाख) में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	120.49	12500/-	120500/-	05 माह वर्षाकाल छोड़कर	कार्यालय मुख्य अभियंता लो.नि.वि. मध्यक्षेत्र जबलपुर
2020_PWDRB_103869	गाडासरई-बजाग मार्ग लंबाई 14.49 कि.मी. (लागत रु. 194.94 लाख) एवं रामनगर-मेढाखार मार्ग लंबाई 2.40 कि.मी. (लागत रु. 18.35 लाख) में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	213.29	15000/-	213300/-	06 माह वर्षाकाल छोड़कर	कार्यालय मुख्य अभियंता लो.नि.वि. मध्यक्षेत्र जबलपुर
2020_PWDRB_103871	समनापुर-बजाग मार्ग लंबाई 6.00 कि.मी. (लागत रु. 60.48 लाख) एवं कुडा-चांदरानी मार्ग के लंबाई 7.30 कि.मी. (लागत रु. 54.40 लाख) एवं धुर्री पहुंच मार्ग के कि.मी. लंबाई 1.20 कि.मी. (लागत रु. 9.27 लाख) में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	124.15	12500/-	124200/-	05 माह वर्षाकाल छोड़कर	कार्यालय मुख्य अभियंता लो.नि.वि. मध्यक्षेत्र जबलपुर
2020_PWDRB_103872	अमरपुर-कुसमी मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. (लागत रु. 36.96 लाख) एवं अमदरी से अमरपुर कौशल विकास विकास केन्द्र पहुंच मार्ग लंबाई 1.20 कि.मी. (लागत रु. 8.97 लाख) में बी.टी. रिन्यूवल का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	45.93	5000/-	50000/-	03 माह वर्षाकाल छोड़कर	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग डिण्डौरी

(1) ऑनलाइन निविदा प्रपत्र खरीदने की तिथि **28.08.2020 से 24.09.2020 सायं 5.30 बजे** तक है।
(2) ऑनलाइन विड सबमिट करने की **अंतिम तिथि 24.09.2020** सायं 5.30 बजे तक है।
(3) टेण्डर डाक्यूमेंट तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित कार्यालय में मात्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही दिनांक 25.09.2020 के सायं 5.30 बजे तक ही स्वीकार किये जावेंगे। विभाग किसी भी तरह के पोस्टल विलम्ब हेतु जिम्मेदार नहीं होगा। निविदा **दिनांक 26.09.2020** से खोली जावेगी।
(4) संशोधन या शुद्धिपत्र सिर्फ वेबसाइट में अपलोड किये जावेंगे।
(5) निविदा प्रपत्र वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर भुगतान उपरांत प्राप्त हो सकेंगे। अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट पर टेण्डर डाक्यूमेंट में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-13532/44320/2020 लोक निर्माण विभाग भ/स संभाग डिण्डौरी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मन्दसौर

दूरभाष क्रमांक - 07422-256284, फैक्स - 07422-255215
महू नीमच रोड शासकीय महाविद्यालय के पास मन्दसौर, E-mail :- eephedmas@mp.nic.in

NIT No. 11/2020-21

क्रमांक 1824/व.ले.लि./का.यं./2020 मन्दसौर, दिनांक 25.08.2020

निम्नलिखित कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर प्रदर्शित की गई है। टेंडर का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

टेंडर आई.डी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	1. अर्नेस्ट मनी (रुपये में) 2. आमंत्रण क्र.	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	निविदा क्रय की अंतिम तिथि
2020_PHED_103513_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN MANDAUR BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103551_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN MANDAUR BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103566_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN SITAMAU BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103583_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN SITAMAU BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103590_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN MALHARGARH BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103601_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN MALHARGARH BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103604_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN GAROTH BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103606_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN GAROTH BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103610_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN BHANPURA BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक
2020_PHED_103613_1	CONSTRUCTION AND DRILLING OF 13 NOS. 200/150 MM DIA 240 MTR. DEEP IN BHANPURA BLOCK OF DISTT. MANDSAUR AS PER BOQ.	19.92	1) 39840/- 2) प्रथम आमंत्रण	45 दिवस	09.09.2020 17.30 तक

उक्त कार्य की निविदा क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग एकाउन्ट के माध्यम से भुगतान करने पर ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर क्रय की जा सकती है। निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

नोट :- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-13452/44316/2020 लोक स्वा.यां.खंड मंदसौर, मोबाइल नं. 9981467992

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, मुसाखेड़ी, इंदौर
ई-मेल - eephedind@nic.in

क्रमांक 1945/निविदा/लो.स्वा.यां.खंड/2020 इंदौर, दिनांक : 31.08.2020

निविदा सूचना क्र. 19/2020-21

इंदौर जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत नलजल योजनाओं की रेट्रोफिटिंग के कार्य की निविदा ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-टेण्डर पोर्टल **(http://www.mptenders.gov.in)** पर निविदा प्रपत्र "अपेन्डिक्स 2.10" पर आमंत्रित है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सिस्टम टेण्डर नं.	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	कार्य की अनु. लागत रु.
1.	2020_PHED_104489_1	सांवेर	02 ग्राम	55,02,116/-
2.	2020_PHED_104490_1	महू	05 ग्राम	1,51,16,961/-
3.	2020_PHED_104491_1	देपालपुर	04 ग्राम	1,52,59,548/-
4.	2020_PHED_104492_1	महू	04 ग्राम	1,30,60,600/-
5.	2020_PHED_104507_1	देपालपुर	05 ग्राम	1,76,54,738/-

नोट :- उपरोक्त निविदा में ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि 14.09.2020** दोपहर 03.00 बजे तक निर्धारित है। धरोहर राशि एवं अन्य विस्तृत विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-13624/44327/2020 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड इंदौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.1 ग्वालियर
निविदा विज्ञप्ति सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 27 दिनांक 31.08.2020

म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से म.प्र. की ओर से निम्नांकित कार्यों हेतु सड़क/भवन दिनांक 29.08.2017/01.08.2014 तथा निविदा सूचना जारी होने तक उसमें किये गये संशोधन सहित मोहरबंद निविदायें नवीन निविदा फार्म 2.10 में आमंत्रित की जाती है, प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यालय में निविदायें डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। पोस्टल विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. एम.एल.बी. कॉलेज के मुख्य भवन में रूफ ट्रीटमेंट कार्य विधानसभा के चुनाव सामान का वितरण कार्य हेतु बैरिकेट्स का कार्य। (इलेक्शन अर्जेंट)

निविदा प्रपत्र की राशि एवं फार्म	1. ठेके की अनु. लागत (लाख में) 2. अमानत राशि	कोरे निविदा प्रपत्र विक्रय का समय एवं दिनांक	1. निविदा प्राप्ति का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र.1	1. निविदा खोलने का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र.1	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्र.
2000/- "अ"	10.00 20000/-	**09.09.2020**	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

2. एम.एल.बी. कॉलेज के कक्ष क्र. 4, 5, 6 में रूफ ट्रीटमेंट कार्य एवं विधान सभा चुनाव के सामान की प्राप्ति वितरण कार्य हेतु बैरिकेट्स का कार्य (इलेक्शन अर्जेंट)

2000/- "अ"	9.99 20000/-	09.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

3. एम.एल.बी. सैक्शन के अंतर्गत स्ट्रॉग रूम एवं काउंटिंग रूम के ब्लॉक में सामग्री रख-रखाव हेतु बैरिकेट्स के विभिन्न कार्य (इलेक्शन अर्जेंट)

2000/- "अ"	9.99 20000/-	09.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

4. विधानसभा क्षेत्र 15 ग्वालियर के सेंट्रल लायब्रेरी भवन में रिपेयर एवं चुनाव कार्य की सामग्री वितरण एवं प्राप्ति कार्य (इलेक्शन अर्जेंट)

2000/- "अ"	9.95 20000/-	09.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

5. विधानसभा क्षेत्र 16 ग्वालियर पूर्व के चुनाव सामग्री वितरण एवं प्राप्ति एवं अन्य भवनों में मरम्मत कार्य (इलेक्शन अर्जेंट)

2000/- "अ"	9.96 20000/-	09.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

6. विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा के चुनाव सामग्री वितरण एवं प्राप्ति एवं अन्य भवनों में मरम्मत कार्य (इलेक्शन अर्जेंट)

2000/- "अ"	9.90 20000/-	09.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

7. एम.एल.बी. कैम्पस के बे-ऑफ एजेट एण्ड ऑफीसर फॉर काउंटिंग एन.सी.सी. भवन, टी.टी. भवन, ओल्ड एम.बी.ए. भवनों में काउंटिंग कार्य हेतु बैरिकेट्स का कार्य करना (इलेक्शन अर्जेंट)

2000/- "अ"	9.98 20000/-	09.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

कुल कार्य - 7 कुल अनुमानित लागत अधिकतम राशि रुपये 10.00 लाख
टीप - शेष शर्तें कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-13646/44328/2020 लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1 ग्वालियर

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री
म.प्र. लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

Website : www.mp.gov.in/pwdmp, Email : eepwdshivpuri@mp.nic.in
Phone : 07492-233353 (O), Fax : 07492-233644

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 10/2020-21 शिवपुरी, दिनांक : 27.08.2020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु नवीन निविदा प्रपत्र 2.10 पर आमंत्रण की सूचना क्रमांक 10/2020-21 शिवपुरी दिनांक 27.08.2020 द्वारा प्रचलित भवन/पथ कार्यों की दर अनुसूची दिनांक 01.08.2014/ 29.08.2017 पर निविदायें लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीकत ठेकेदार श्रेणी हेतु आमंत्रित की जाती है। जिसका सम्पूर्ण विवरण **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। विभाग तकनीकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा एवं किन्हीं कारणों से की जाने वाली परिवर्तन की सूचना वेबसाइट पर ही देखें। पृथक से प्रकाशित नहीं की जावेगी।

नोट :- उपरोक्त निविदाओं के दस्तावेज दिनांक 08.09.2020 में भौतिक रूप से कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्तर परिक्षेत्र) लोक निर्माण विभाग ग्वालियर में जमा होंगे।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. निर्माण कार्य नरवर चितौरी (छितरी) मार्ग से धमधौली मार्ग लम्बाई 6.50 कि.मी. छितरी धमधौली मार्ग से वरउआ मार्ग लम्बाई 1.90 कि.मी. एवं करैरा भितरवारा मार्ग से चंद्रपठा खाया हाजीनगर मार्ग लम्बाई 4.80 कि.मी. कुल लम्बाई 13.20 कि.मी. जिला शिवपुरी (म.प्र.)

टेण्डर आई.डी.	(1) ठेके की अनु. लागत राशि (2) अमानत राशि	टेण्डर फार्म की राशि (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	पंजीयन श्रेणी
2020_PWDRB_103995_1	(1) 827.81 लाख (2) 827810/-	20,000/- + (पोर्टल चार्ज)	18 माह वर्षाकाल सहित द्वितीय आमंत्रण	लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार

क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. निर्माण कार्य अमोला से सिरसौद खोड मार्ग वाया छान लम्बाई 7.00 कि.मी. जिला शिवपुरी (म.प्र.)

2020_PWDRB_104007_1	(1) 570.26 लाख (2) 570260/-	20,000/- + (पोर्टल चार्ज)	12 माह वर्षाकाल सहित द्वितीय आमंत्रण	लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार

क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. निर्माण कार्य रातिकिरार से बसई मार्ग ग्राम पंचायत रातिकिरार लम्बाई 5.20 कि.मी. सवाखेड़ी से अतवई मार्ग ग्राम पंचायत सेवाखेड़ी लम्बाई 1.40 एवं विधारी से टोंका मार्ग ग्राम पंचायत विधारी लम्बाई 3.20 कि.मी. कुल लम्बाई 9.80 कि.मी. जिला शिवपुरी (म.प्र.)

2020_PWDRB_104025_1	(1) 629.61 लाख 2) 629610/-	20,000/- + (पोर्टल चार्ज)	18 माह वर्षाकाल सहित द्वितीय आमंत्रण	लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार

ऑनलाइन निविदा जारी व डाउनलोड करने की आरम्भ तिथि : 28.08.2020 प्रातः 10:30 बजे से।
ऑनलाइन निविदा दर प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि : 07.09.2020 सायं 17:30 बजे तक।**
मुल धरोहर राशि मय कागजात जमा करने की तिथि : 08.09.2020 सायं 17:30 बजे तक।
ऑनलाइन निविदा दर खुलने की तिथि : 09.09.2020 प्रातः 11:00 बजे।
निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं तथा सम्पुर्ण जानकारी पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विलम्ब एवं अन्य समस्याओं के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-13604/44323/2020 लोक निर्माण विभाग संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, भिण्ड

फोन नम्बर : 07534-244633, ई-मेल आई.डी. : cephedbhi@nic.in

निविदा विज्ञप्ति/2020/लेखा/का.यं./लो.स्वा.यां./भिण्ड, दिनांक : 26.08.2020

ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्य हेतु निविदा ऑनलाइन वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 09.09.2020** को सायं 05:30 बजे से क्रय तथा दिनांक 09.09.2020 को सायं 05:30 बजे तक ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। लिफाफा 'स' (Envelope-C) Online ही जमा करना होगा। इसे भौतिक रूप से जमा नहीं किया जायेगा। निविदा दिनांक 11.09.2020 को खोली जायेगी। निविदा की संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकेगी।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. भिण्ड जिले के विकासखण्ड अटेर के अंतर्गत 300x100 मि.मी. व्यास के 90 मी. गहराई के ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन कार्य। 15 नग

सिस्टम क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य की अनु. राशि (रु. में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2020_PHED_102000_1	69	1627593	32552	2000	6 माह

क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. भिण्ड जिले के विकासखण्ड गोहद के अंतर्गत 300x100 मि.मी. व्यास के 75 मी. गहराई के ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन कार्य। 15 नग

2020_PHED_102001_1	70	1432743	28655	2000	6 माह

क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार के अंतर्गत 300x100 मि.मी. व्यास के 75 मी. गहराई के ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन कार्य। 15 नग

2020_PHED_102002_1	71	1432743	28655	2000	6 माह

क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार के अंतर्गत 300x100 मि.मी. व्यास के 75 मी. गहराई के ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन कार्य। 15 नग

2020_PHED_102003_1	72	1432743	28655	2000	6 माह

क्र. एवं कार्य का नाम :- 5. भिण्ड जिले के विकासखण्ड भिण्ड के अंतर्गत 300x100 मि.मी. व्यास के 90 मी. गहराई के ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन कार्य। 15 नग

2020_PHED_102004_1	73	1627593	32552	2000	6 माह

क्र. एवं कार्य का नाम :- 6. भिण्ड जिले के विकासखण्ड लहार के अंतर्गत 300x100 मि.मी. व्यास के 75 मी. गहराई के ग्रेवल पेक्ड नलकूप खनन कार्य। 15 नग

2020_PHED_103234_1	74	1432743	28655	2000	6 माह

कार्यपालन यंत्री

जी-13448/44324/2020 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड भिण्ड, म.प्र.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग देवास (म.प्र.)

website : www.mppwd.gov.in, e-mail : eepwddewas@nic.in, eepwddewas@gmail.com
Phone No. 07272-220397, 07272-220585

निविदा सूचना क्र. 06/2020-21/एस.एस.सी./3450 देवास, दिनांक 03.09.2020

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. उपसंभाग बागली अंतर्गत टप्पा से चाकरपुर मार्ग लंबाई 3.90 कि.मी. का निर्माण कार्य।

जिला	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	कार्य की समयावधि	भौतिक रूप से एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज) कार्यालयीन पता एवं अंतिम दिनांक व समय
देवास	2020_PWDRB_105062	354.34	10 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

2. उपसंभाग बागली अंतर्गत कांजर से डिगोद मार्ग लम्बाई 3.90 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105063	234.83	8 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

3. उपसंभाग देवास अंतर्गत बारोली से अमोदिया अंतराकोडी मार्ग लम्बाई 0.80 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105064	69.22	4 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

4. उपसंभाग देवास अंतर्गत सरपटी से सुतारखेड़ा मार्ग लम्बाई 0.90 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105065	104.89	6 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

5. उपसंभाग देवास के नावदाखेड़ी से बराय मार्ग लम्बाई 1.50 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105066	124.35	6 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

6. उपसंभाग देवास के गुराड़िया से धामन्दा मार्ग लम्बाई 1.60 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105067	125.24	6 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

7. उपसंभाग देवास के सुनवानी कराड़ से कुंता माता मार्ग लम्बाई 1.80 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105068	121.48	6 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

8. उपसंभाग देवास के देवर से बड़ोली मार्ग लम्बाई 1.50 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105069	101.52	6 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30

9. उपसंभाग बागली के टप्पा से जामनिया मार्ग लम्बाई 1.50 कि.मी. का निर्माण कार्य।

देवास	2020_PWDRB_105070	97.70	4 माह वर्षाकाल सहित	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन दिनांक - 18.09.2020 समय - 17.30
	योग	1333.57		

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ई-मेल : ceproc.encwrd.bpl@nic.in
फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक-746/2020-21/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक : 29.08.2020

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 14.10.2020 को 17:30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2020_WRD_104406	गायत्री कॉलोनी एवं जल संसाधन कॉलोनी की बिटुमन रोड का विशेष्ह मरम्मत कार्य।	गुना	24.91
2.	2020_WRD_104407	राष्ट्रीय जल परियोजना अन्तर्गत माही, पेंच एवं राजीव सागर बांधों के (SCADA) Control and Data Acquisition System कार्य का आपूर्ति, स्थापित परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन एवं रखरखाव का कार्य।	भोपाल	731.21
3.	2020_WRD_104408	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत वैनगंगा कछार में स्थापित RTDAS के पांच वर्ष हेतु AMC (Annual Maintenance Contract) का कार्य।	होशंगाबाद	147.00

जी-13571/44322/2020 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार

फोन नं. 07292-222342, फैक्स नं. 07292-235945, cepheddha@mp.nic.in

नि.सू.क्र. 19/2020-21 धार, दिनांक 28.08.2020

निविदा सूचना

खण्ड धार के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में नलकूप खनन कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका टेण्डर आई.डी. क्र. क्रमशः 2020_PHED_104042, 2020_PHED_104043, 2020_PHED_104044, 2020_PHED_104045, 2020_PHED_104046, 2020_PHED_104047, 2020_PHED_104048, 2020_PHED_104049, 2020_PHED_104050, 2020_PHED_104051, 2020_PHED_104052, 2020_PHED_104053, 2020_PHED_104054, 2020_PHED_104055, 2020_PHED_104056, 2020_PHED_104057, 2020_PHED_104058, 2020_PHED_104059, 2020_PHED_104060, 2020_PHED_104062, 2020_PHED_104063, 2020_PHED_104064, 2020_PHED_104065, 2020_PHED_104066, 2020_PHED_104067, 2020_PHED_104068, 2020_PHED_104069, 2020_PHED_104070, 2020_PHED_104071, 2020_PHED_104072, 2020_PHED_104073, 2020_PHED_104074, 2020_PHED_104075, 2020_PHED_104076, 2020_PHED_104077, 2020_PHED_104078, 2020_PHED_104079 है।

कार्य की अनुमानित लागत, धरोहर राशि एवं अन्य विवरण की विस्तृत जानकारी **http://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि दिनांक 15.09.2020 शाम 5.30 बजे तक** निर्धारित है।

कार्यपालन यंत्री

जी-13553/44321/2020 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार

कार्यालय अतिरिक्त परियोजना संचालक
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
निर्माण भवन, प्लाट नं.- 27-28, अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं. - 13/2020/निविदा आमंत्रण/सा/एपीडी/.... भोपाल, दिनांक 31.08.2020

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती है -

स. क्र.	पोर्टल टेंडर क्र.	कार्य का नाम	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
1.	2020_PWPIU_103685_1	सन्नौड़ जिला देवास में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत बालिका हायर सेकेण्डरी स्कूल में फिजिक्स लैब केमेस्ट्री लैब, बॉयलोजी लैब, 2 नग क्लास रूम एवं केवल ग्राउण्ड फ्लोर के स्टेयर केस का निर्माण कार्य द्वितीय आमंत्रण	देवास	62.02	62020	10000	05 माह वर्षाकाल सहित
2.	2020_PWPIU_103705_1	हरणगांव जिला देवास में आयुष औषधालय भवन का निर्माण कार्य द्वितीय आमंत्रण	देवास	28.37	50000	5000	06 माह वर्षाकाल सहित
3.	2020_PWPIU_104884_1	जिला रायसेन में नापतौल कार्यकारी मानक प्रयोगशाला सह-कार्यालय भवन का निर्माण कार्य।	रायसेन	21.74	43480	5000	06 माह वर्षाकाल सहित
4.	2020_PWPIU_104886_1	आर.एम.एस.ए. स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सेमरा विकास खण्ड सांची जिला रायसेन में नवीन हाईस्कूल भवन का निर्माण कार्य।	रायसेन	86.99	86990	10000	08 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित विड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा। 3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 31.08.2020 समय 10.30 से **दिनांक 14.09.2020** समय 17.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त परियोजना संचालक

जी-13701/44335/2020 (मुख्य अभियंता) लो.नि.वि. पी.आई.यू. भोपाल

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं ऑनलाइन विड सबमिशन की अंतिम दिनांक 17.09.2020 सायं 5.30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 18.09.2020 सायं 5.30 बजे तक दर्शित कार्यालय में प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री

जी-13696/44333/2020 लोक निर्माण विभाग, संभाग देवास

फसल नुकसान की भरपाई और पुनर्वास के होंगे पूरे प्रयास

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अतिवर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान के कारण किसान चिंतित नहीं हों। सरकार एक्शन में है और उनके साथ है। फसल बीमा योजना और आरबीसी के प्रावधानों को मिलाकर नुकसान की भरपाई की हरसंभव व्यवस्था कर पुनर्वास के सभी प्रयास होंगे। प्रदेश के 14 जिलों में लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। अब अधिकांश जगह जलस्तर कम हो रहा है, स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के राहत शिविर में भोजन, पेयजल आदि की व्यवस्था की गई है। राज्य की स्थिति से केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत करवाया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराब होने के साथ-साथ साफ-सफाई और बीमारी फैलने के खतरे से बचाव की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और बिजली आपूर्ति पुनः स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इस कार्य में प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। मंत्रीगण को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि सिवनी में पुल टूटने के कारणों की जांच कराई जाएगी।

श्री चौहान ने बाढ़ राहत में जुटी सभी एजेंसियों जैसे जिला प्रशासन, सेना, वायुसेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए तत्काल सक्रिय होने पर धन्यवाद दिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वायुसेना के पांच हेलीकॉप्टर द्वारा 264 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने विपरीत मौसम में घने बादलों के बीच हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य के लिए पायलट श्री आदर्श और संजय श्रीवास्तव को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने सेना के ग्रुप कमांडर तथा सभी पायलटों को भी धन्यवाद दिया।

राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा सितंबर माह

भोपाल, पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जायेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पोषण अभियान को प्रारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जनभागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। इस वर्ष पोषण माह 2020 दो मुख्य उद्देश्य पर आधारित है। पहला अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है।

प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पोषण माह के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों की दैनिक प्रविष्टि भारत सरकार के जन आंदोलन पोर्टल http://poshan abhiyan.gov.in पर की जाएगी। संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पोषण माह के दौरान सघन अभियान संचालित कर बच्चों की ग्रोथ मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। कोरोना संक्रमण काल में बच्चों की ग्रोथ मॉनीटरिंग प्रभावित हुई है। उन्होंने बच्चों को सूचीबद्ध करने, शारीरिक माप का रिकॉर्ड संधारण करने, गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन तथा निगरानी एवं मूल्यांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बाढ़ से प्रभावित सभी को दी जाएगी हर संभव राहत - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के शाहगंज में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुये।

सीहोर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के शाहगंज में सोमलवाड़ा, बमोरी, देहरी, नानभेट बाढ़ प्रभावितों से चर्चा करते हुए कहा कि बाढ़ और अतिवर्षा से प्रभावित सभी परिवारों की हर संभव सहायता कर संकट से हर हाल में बाहर लेकर आएंगे। उन्होंने कहा किसानों को आरबीसी 6(4) के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी मदद की जाएगी। प्रभावित परिवारों को गेहूं के साथ 5 लीटर केरोसीन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शाहगंज में बने रेस्क्यू सेंटर्स में पहुंच कर खाद्यान्न सामग्री वितरित की।

श्री चौहान ने ग्रामीणों से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार आपके साथ है, उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता थी कि बाढ़ से किसी को जान का नुकसान नहीं हो। मैंने स्वयं रातभर जागकर राहत और बचाव कार्यों पर निगरानी रखी। प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री और सेना से बात कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि उनके पास हर क्षेत्र की जानकारी है और उन्होंने प्रशासन को सभी क्षेत्रों में तत्काल सर्वे कर मदद पहुंचाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे नर्मदा की बाढ़ हो या नदी नालों की, धान और अन्य फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिनके घरों को क्षति पहुँची है, उन्हें भी हरसंभव राहत दी जाएगी।

श्री चौहान ने कलेक्टर को निर्देश दिये कि बाढ़ से जिन घरों को नुकसान हुआ है, उन परिवारों को तत्काल आधा-आधा क्विंटल गेहूं उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ प्रभावितों से अलग से भी बात की और शाहगंज में स्थापित रेस्क्यू सेंटर और तीन राहत शिविरों में भी पहुंचे, उन्होंने वहां खाद्य सामग्री वितरित की। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके पुनर्वास की सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। सांसद श्री रमाकांत भार्गव ने भी सरकार के प्रयासों को सराहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जब सरकार संभाली तब कोरोना का संकट था और इस संकट से लड़ने के कोई भी इंतजाम नहीं थे। अल्प समय में ही हमने न सिर्फ सुविधाओं की व्यवस्थाएं कीं और साथ ही कोरोना जांच को बढ़ाकर रिकवरी रेट को भी काफी बढ़ाया है। इसी क्रम में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण आये संकट का भी हम बहुत जल्द समाधान कर लेंगे। सभी प्रभावित परिवारों एवं किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

बाढ़ से जिंदगी बच गई, अन्य कष्टों की चिंता न करें

मुख्यमंत्री ने सभी बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया कि वह चिंता नहीं करें, प्रदेश सरकार द्वारा हरसंभव सहायता प्रदान की जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि हमें एक बात का संतोष है कि इस बाढ़ के तांडव में किसी भी प्रकार से जनहानि नहीं हुई है। चिंता न करें किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है।

विद्यार्थियों में तकनीकी शिक्षा को बनाना होगा लोकप्रिय

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की समीक्षा करती हुई।

भोपाल, प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच तकनीकी शिक्षा को लोकप्रिय बनाना होगा। इससे हमारे विद्यार्थियों को स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद सीधे रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। ये बातें तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक में कहीं।

बैठक में श्रीमती सिंधिया ने कहा कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों से तादात्म्य रखने वाले उद्योगों को चिन्हित कर बैठक का आयोजन किया जाये ताकि हमारे विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में लगाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस के मद्देनजर यह जरूरी है कि परम्परागत तरीके से पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को भी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में यथेष्ट जानकारी हो। इसके लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जायें। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाना है।

रिसर्च एरिया विकसित करें

आयुक्त तकनीकी शिक्षा श्री पी. नरहरि ने अनुसंधान कार्यक्रमों पर बल देते हुए कहा कि स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान ही विद्यार्थियों में किसी विषय पर अनुसंधान कर पाने की क्षमता विकसित हो सके। उन्होंने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रिसर्च एरिया विकसित किये जाने की जरूरत पर जोर दिया।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुनील कुमार ने कहा कि छात्र-हित में विश्वविद्यालय ने उपयोगी पहल की है। इसके तहत विश्वविद्यालय के सभी नामांकित विद्यार्थियों का बीमा किया गया है। बीमा पॉलिसी के तहत सड़क दुर्घटना होने पर छात्र का 25 हजार रुपये तक का कवर रहेगा। मृत्यु होने पर बीमा राशि दो लाख रुपये होगी।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना पर 40 फीसदी अनुदान का प्रावधान

नीमच, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों की स्थापना पर एम.एस.एम.ई. द्वारा चालीस प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है। नीमच जिले में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों, नवउद्यमियों को विकसित भूमि प्रदान करने का विकल्प उपलब्ध है। ये बातें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने नीमच में उद्योगपतियों से चर्चा करते हुये कहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर के तहत नीमच से दिल्ली व मुम्बई की दूरी कम हो जायेगी। इससे जिले के उद्योगों को भी लाभ होगा। कोविड-19 को चुनौती के रूप में लेते हुए उद्योगों के क्षेत्र में नीमच का नाम प्रदेश में अग्रणी हो, यह मध्यप्रदेश सरकार का प्रयास है।

कोरोना के चलते पाठ्यक्रम को बनाया गया रुचिकर एवं संक्षिप्त

भोपाल, कोरोना संकट काल में विद्यालय बंद रहने के दौरान बच्चों के सीखने के स्तर में कमी न हो तथा वे घर पर ही कुछ न कुछ सृजनात्मक एवं सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पहली से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रमों को और अधिक रुचिकर एवं संक्षिप्त किया गया है।

आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 के तहत कक्षा पहली से आठवीं तक के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु को 'फेस-टू-फेस मोड' जैसे- क्लास रूम, डिजिटल क्लास, रेडियो, टी.वी. क्लास आदि के माध्यम से लगभग 60 प्रतिशत तथा होम असाइनमेंट एवं प्रोजेक्ट वर्क लगभग 40 प्रतिशत के रूप में पुनर्नियोजित किया गया है। पाठ्यक्रम के पुनर्नियोजन से अब बच्चे घर पर ही रुचिकर गतिविधियों के साथ बिना किसी दबाव के अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकेंगे।

गौशालाओं को प्रतिदिन प्रति गौवंश 20 रुपये की दर से ही मिल रही है राशि

भोपाल, मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में गौशालाओं को प्रतिदिन 20 रुपये प्रति गौ-वंश के मान से ही राशि प्रदाय की जा रही है। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अन्तर्गत गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का आदेश यथावत है। अप्रैल 2020 में प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं के गौवंश के चारे-भूसे के लिये 29 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 28 करोड़ रुपये की राशि और जारी की जा रही है। गौशालाओं के गौवंश के चारा-भूसा अनुदान के लिये सरकार द्वारा किये गये बजट प्रावधान के अतिरिक्त भी यदि राशि की आवश्यकता होती है तो शासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

उपसंचालक राज्य गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड ने बताया कि मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत नवीन 1 हजार गौशालाओं के लिये 2 माह का चारा-भूसा अनुदान राशि 11 करोड़ 68 लाख रुपये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समितियों को पहले ही प्रदाय कर दी गई थी ताकि जिला प्रशासन को गौशाला संचालन प्रारंभ करवाने में कठिनाई न हो। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत 1 हजार गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 700 गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष गौशालाएं आगामी 2 माह में पूर्ण हो जाएंगी। उक्त 700 गौशालाओं में से 260 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जिनमें लगभग 20 हजार गौवंश का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त 627 गौशालाएं पहले से ही बोर्ड में पंजीकृत हैं जिनमें एक लाख 66 हजार गौवंश का पालन किया जा रहा है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में

मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए करें विशेष उपाय

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मध्यप्रदेश में भीषण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई परन्तु हमारी मशीनरी ने जिस मुस्तैदी के साथ पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई वह काबिले तारीफ है। हमारे अमले ने कोरोना संकट, बाढ़ आपदा और त्योहारों पर जिस संवेदनशीलता एवं कर्तव्य परायणता के साथ कार्य किया, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। सबके समन्वित प्रयासों से हम जनहानि रोकने में सफल रहे। हमें बाढ़ प्रभावितों को हरसंभव सहायता देनी है, जिससे उनका जनजीवन सामान्य हो सके। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहीं।

मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के बाद मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाये। शुद्ध पेयजल, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश के कई स्थानों से सोयाबीन की फसल में यलो मोजेक कीट लगने की सूचना है। इसकी रोकथाम के लिए हरसंभव उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

बाढ़ से जिन लोगों के मकान पूर्णता क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनके लिए आरबीसी 6(4), के साथ-साथ मनरेगा के तहत तत्काल सहायता की व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी हरसंभव सहयोग के प्रयास किए जाएं।

कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

श्री चौहान ने कहा कि यूरिया की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्वरक वितरण करने में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध जो एफआईआर दर्ज की जाती है, उनमें 30 दिनों में विवेचना पूरी कर चालान पेश करने की कार्रवाई की जाए। असामान्य परिस्थिति में किसानों की जानकारी पंजी में दर्ज कर उन्हें तत्काल उर्वरक दिया जाए।

समय पर करें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट समय पर कराना सुनिश्चित करें, ताकि संकट के समय में किसानों को उपयुक्त मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन किसानों के आवेदन पेक्स में जमा हैं, पोर्टल खुलवाकर उनका बीमा कराया जाए।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 15 सितंबर से पंजीयन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष धान उपार्जन का लक्ष्य 40 लाख मीट्रिक टन का है। पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितम्बर से आरंभ होगी। उपार्जन के लिए बारदाना की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा खरीदी केन्द्र की संख्या बढ़ाई जाए जिससे संपूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध व सुगम तरीके से संभव हो सके।

खराब ट्रांसफार्मर तुरंत बदलें

मुख्यमंत्री ने कहा कि जले हुए और खराब ट्रांसफार्मर युद्ध स्तर पर बदले जाएं। सुनिश्चित करें कि बिजली की अनावश्यक कटौती कतई न हो। बिजली के गैर वाजिब बिल न आएं।

पथ विक्रेता उत्थान योजना

श्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर समन्वयक की भूमिका निभाकर पथ विक्रेता उत्थान योजना के पात्र हितग्राहियों के प्रकरण शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी अथवा नगरीय निकाय का अमला पथ विक्रेताओं को कार्य करने में अथवा ठेला लगाने में परेशान न करे।

वनाधिकार पट्टे प्रदान करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के पूर्व में निरस्त किए गए वनाधिकार पट्टों के दावों का पुनः परीक्षण किया जाए तथा पात्र पाए जाने की स्थिति में उन्हें वनाधिकार पट्टा प्रदान किया जाए। बैठक में सिंगरौली, शहडोल और बैतूल को कार्य में गति देने के निर्देश दिए गए।

श्री चौहान ने दुग्ध उत्पादकों और मछली पालकों को क्रेडिट कार्ड समय-सीमा में बनवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों से अर्जित अतिरिक्त आय जीवन स्तर में सुधार में सहायक रहती है।

नए मंडी एक्ट से किसान आर्थिक रूप से बनेंगे सशक्त

भोपाल, प्रदेश के किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, बिचौलिया प्रथा को समाप्त करने और किसानों के व्यवसाय के लिए अनेक प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिये मॉडल मंडी एक्ट बना कर प्रदेश में लागू किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर कृषि विपणन बोर्ड मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित वेबिनार को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उक्त बात कही।

श्री पटेल ने कहा है कि खेती- किसानी को लाभ का धंधा बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार रूप देने के लिये नए-नए संशोधन किए जा रहे हैं। कृषि आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए सहकारी समितियों को 1 हजार करोड़ रुपये का ऋण सस्ते ब्याज पर उपलब्ध कराया गया है। इससे गांव के किसानों को वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलो, फूड प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग इत्यादि की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे।

किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें संगठित करके एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इनके माध्यम से किसानों को खाद, बीज और दवाइयां गुणवत्तापूर्ण मिल सकेंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए अपनी उपज को आसानी से बेचने और अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए मंडी एक्ट में संशोधन किए गए हैं। अब किसानों की फसल खेत से, खलिहान से, घर से, गोडाउन से कहीं से भी खरीदी और बेची जा सकती है। किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धा के अनेक अवसर दिए जा रहे हैं। इससे न केवल बिचौलिया प्रथा को खत्म किया जा सकेगा, बल्कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिया जा सकेगा।

श्री पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश के किसानों ने कोरोना संक्रमण काल में भी अथक परिश्रम किया है। उनके परिश्रम से ही अर्थव्यवस्था को संबल मिला है। प्रदेश के किसानों ने अपने खून-पसीने से धरती को सींच कर प्रदेश को गेहूं उपार्जन में नंबर वन बनाया है। श्री पटेल ने सभी किसानों के परिश्रम को नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है।

श्री पटेल ने खेती को लाभ का धंधा बनाने में नई किस्मों की खोज और कृषक को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझाव के साथ ही उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।

अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास पर खर्च होंगे 80 करोड़ रुपये

भोपाल, प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास के लिये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा योजना संचालित की जा रही है। इस वर्ष चयनित बस्तियों के विकास पर विभाग द्वारा 80 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

पिछले वर्ष इस योजना में 755 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। इनमें से 522 कार्य पूरा कर विभाग द्वारा करीब 51 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। विभाग द्वारा अधोसंरचनात्मक विकास की योजना में संशोधन किया गया है। अनुसूचित जाति बस्तियों से आशय ऐसी बस्तियों से है, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसी बस्तियों में विभाग द्वारा इस योजना में सी सी रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हैण्डपम्प खनन, अनुसूचित जाति छात्रावासों से मुख्य सड़क तक पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने का प्रावधान है। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग की ऐसी बस्तियों में विद्युत लाइन के विस्तार का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है, जहां कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली नहीं है।

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे लघु एवं सीमांत किसानों के खेतों में विद्युत लाइन का पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च कर चयनित किसानों को लाभांवित किया जायेगा। विभाग द्वारा पिछले वर्ष योजना में 302 कार्य पूरे किये गये और इस पर विभाग द्वारा करीब 17 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

विद्युत कनेक्शन में मार वृद्धि या कमी के लिये ऑनलाइन करें आवेदन

भोपाल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के साथ-साथ कनेक्शन के भार में वृद्धि एवं कमी के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। यदि आपको बिजली कनेक्शन के भार में वृद्धि अथवा कमी कराना है तो बिजली कंपनी के portal.mpcz.in/UPAY App पर जाइए और ऑनलाइन आवेदन करें। यह व्यवस्था एक सितंबर से लागू हो गई है।

मध्यप्रदेश बना एक सीजन में किसानों को सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य

चार माह में दूसरी बार किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ

भोपाल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि दिलाने वाला राज्य बनने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया है। श्री भूपेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अथक परिश्रम और दिशा-निर्देशों का प्रतिफल बताया है।

मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां एक सीजन में किसानों को इस योजना का सर्वाधिक लाभ दिलाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी छह सितंबर को 20 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 4614 करोड़ रुपये की राशि जमा कराएंगे। योजना में बीमा कंपनियों ने 20 लाख 38 हजार 982 किसानों की 4614 करोड़ रुपये से अधिक की दावा राशि मंजूर की है। यह राशि किसानों के खातों में जमा की जाएगी।

वर्ष 2019 में अति वर्षा के कारण राज्य के बड़े इलाके में फसलें खराब हुई थीं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने राज्यांश जमा नहीं कराया, इस कारण किसानों को बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका। मार्च महीने में मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में पहला कदम उठाते हुए बीमा योजना की लंबित राशि का भुगतान करने का आदेश जारी किया। इसके बाद मई महीने में 16 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 3100 करोड़ रुपये की बीमा राशि जमा कराई गई थी। अब फिर चार महीने में ही प्रदेश के किसानों को दूसरी बार बीमा योजना का लाभ मिलने जा रहा है।

विद्युतीकरण से पिछड़ी बस्तियों में विकास को गति मिलेगी - ऊर्जा मंत्री

ग्वालियर, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बर्चुअल तरीके से ग्वालियर स्थित सती विहार एवं राधा विहार में 47 लाख की लागत से होने वाले विद्युतीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण का यह कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा। इस क्षेत्र में विद्युतीकरण होते ही हर घर की बिजली समस्या हल हो जाएगी। साथ ही विकास को गति मिलेगी। श्री तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पूरी शिद्दत के साथ घर -घर बिजली पहुंचाने में जुटी है।

प्रत्येक वर्ग का ध्यान रख रही है सरकार

ऊर्जा मंत्री ने सती विहार में 19 लाख 36 हजार रुपये एवं राधा विहार में 27 लाख 64 हजार रुपये की लागत से होने वाले विद्युतीकरण कार्य का भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए एक किलोवॉट तक के बिजली के 31 अगस्त तक के बिल स्थगित कर दिये हैं। आपको सितम्बर का बिल ही दिया जायेगा, पिछला बकाया जोड़कर नहीं दिया जायेगा।

श्री तोमर ने कहा कि पीताम्बरा कॉलोनी, झलकारी बाई कॉलेज, किरार कॉलोनी, दीनदयाल नगर के पीछे की बस्तियों में बिजली की समस्या बनी हुई थी।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में विद्युतीकरण के कार्य का भूमिपूजन करते हुये।

इन समस्याओं को देखते हुए विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए।

नहीं रुकेगा क्षेत्र का विकास

श्री तोमर ने कहा कि क्षेत्र का विकास अब रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि चार शहर का नाके से सागर ताल रोड, गांधी रोड जैसी चमकती हुई दिखेगी। इस सड़क पर डिवाइडर का कार्य चल रहा है। इसके बाद विद्युतीकरण किया जायेगा। बरसात के बाद डामरीकरण का कार्य सुचारु रूप से चालू हो जाएगा।

पानी की समस्या के निदान के लिए अमृत योजना के तहत पानी की लाईन डाली जा रही है। साथ ही नलकूप भी खनित किये जा रहे हैं, जिससे पानी की समस्या का निदान हो जायेगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

कोविड से लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की सुरक्षा जरूरी

उज्जैन, राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के योगेश्वर श्रीकृष्ण योग भवन एवं आचार्य सांदीपनि शिक्षा भवन के ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि कोविड-19 की लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि अपने सपनों को पूरा करने के प्रयासों में वे निरंतर जुटे रहें। सफलता निश्चित है। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जब बड़े संकटों, चुनौतियों के बाद सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य नई ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक हुआ है।

श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने आह्वान किया है कि एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। यह तय करना होगा कि साधारण से काम नहीं चलेगा। सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, सर्वश्रेष्ठ श्रम और सर्वश्रेष्ठ शासन को लक्ष्य बनायें। उन्होंने कहा कि देश और युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' से, गुणवत्तायुक्त नई शिक्षा व्यवस्था विकसित होगी जो भविष्य में आने वाली चुनौतियों को अवसर में बदलकर नए भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी और दूरगामी नीति है। सफल क्रियान्वयन के लिए शिक्षा में समावेशन, नवाचार और संस्थान संस्कृति की मजबूती के प्रयास जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय नवीन शिक्षा नीति के अनुसार संस्कृत भाषा तथा साहित्य के विस्तार की आधुनिक सन्दर्भों में व्यापक कार्ययोजना तैयार करें। छात्रों में आत्मनिर्भरता का गुण विकसित करने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के सैद्धान्तिक अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ उसके प्रायोगिक अध्ययन पर भी बल दिया जाये। संस्कृत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण है। श्रेष्ठ शिक्षक निर्माण के लिए विश्वविद्यालय में मूल्यपरक शिक्षा का समावेश कर, शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत की प्रतिज्ञा करें। यह तय करें कि आयात को कम से कम करने की दिशा में योगदान करेंगे। लघु उद्योगों को सशक्त बनाने लोकल के लिए वोकल बनेंगे। अधिक से अधिक नवाचार करेंगे। युवाओं, महिलाओं आदिवासियों दलितों, दिव्यांगों गरीब और पिछड़े व्यक्तियों और अन्य क्षेत्रों में सभी को सशक्त बनाने के लिए मन, वचन और कर्म से कार्य करने के प्रण के साथ प्रयास करेंगे।

बसई क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग पार्क बनेंगे, मजदूरों का रुकेगा पलायन

मंदसौर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने मंदसौर में आयोजित एक बैठक में कहा है कि बसई क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्योग पार्क बनाकर पलायन रोका जाएगा। उन्होंने बसई को इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर बनाये जाने पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विस्तार से संवाद किया।

बैठक में सांस्कृतिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र, हॉर्टिकल्चर, पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स, ऐतिहासिक धरोहरों को विकास से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री सखलेचा ने कहा कि इस क्षेत्र में छोटे-छोटे औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों के स्थापित हो जाने से जिले का आर्थिक विकास भी होगा और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। उन्होंने उद्योगों को विज्ञान एवं तकनीकी से जोड़े जाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि नये उद्योग शुरू करने और युवाओं को सहयोग देने के लिये राज्य शासन की प्रतिबद्धता है।

श्री सखलेचा ने कहा कि एमएसएमई के माध्यम से अब औद्योगिक क्षेत्र में 40 प्रतिशत सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि मिल्क के बाय प्रोडक्ट पर अब फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापना के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक टीम तैयार की जाएगी। मंदसौर जिले में गांधी सागर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन हब के निर्माण के लिए विशेष प्रयास होंगे।

फसल बीमा और आरबीसी का दिया जाएगा लाभ - मुख्यमंत्री

गरीबों और किसान भाईयों को हर संकट से पार निकालेगी प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान लोगों को संबोधित करते हुये।

हरदा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरदा जिले की बाढ़ प्रभावित तहसील हंडिया का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावितों से मिले और उनका हालचाल जाना। उन्होंने हंडिया में बाढ़ प्रभावितों को संबोधित करते हुए कहा कि इस भीषण बाढ़ आपदा के संकट में प्रदेश सरकार आपके साथ है। चिन्ता न करें, हर संभव सहायता मुहैया कराई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में फसल, मकान, सामान हर क्षति का पूरा आकलन कर शीघ्र राहत पहुंचाई जाएगी। आरबीसी 6(4) व फसल बीमा दोनों का लाभ प्रभावितों को मिलेगा। प्रभावितों की जिंदगी पुनः पटरी पर लाई जायेगी। सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद होंगी। मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि सहित कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, पूरी प्रशासनिक टीम जनता की सहायता के लिये लगातर सतर्क रहेगी, ताकि बेहतर व्यवस्थाएं बनाई जा सकें।

श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही कोरोना संकट की चुनौतियों से निपटने के लिये पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं एवं संसाधन उपलब्ध कराए। बाढ़ आपदा के इस संकट से भी जनता को शीघ्र पार निकालेंगे।

जन हानि को रोकने में हुए सफल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 28-29 को हुई भारी बारिश, बरगी, तवा और बारना बांधों के ओवरफ्लो होने से तथा लगातार पानी छोड़े जाने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। श्री चौहान ने कहा कि हमारा पहला धर्म जनता की सेवा है। जब जनता संकट में हो तो शिवराज घर पर नहीं बैठ सकता। ऐसे संकट में हमने कंट्रोल रूम बनाकर मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ चौबीस घंटे लगातार निगरानी बनाये रखी। कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी को भी निर्देशित किया कि वे भी बिना सोये राहत एवं बचाव कार्य का मोर्चा संभालें। भीषण बाढ़ आपदा के संकट में लगातार फोन आ रहे थे 'मामा हमें बचा लो', लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। हमने प्रधानमंत्री जी, रक्षामंत्री, सेना प्रमुखों से बातचीत की और तुरन्त भारतीय वायु सेना और थल सेना का सहयोग प्राप्त हुआ। सेना के जवानों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड सहित पूरी प्रशासनिक टीम, स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके एक-एक जान की रक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरफोर्स की टीम द्वारा बाढ़ में फंसे तीन सौ लोगों को एयरलिफ्ट के माध्यम से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

मुख्यमंत्री ने हंडिया तहसील में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने में युवकों, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों द्वारा किये गये प्रयासों की भी सराहना की।

इतिहास में पहली बार रविवार को भी खोले गये बैंक

श्री चौहान ने कहा कि किसान भाईयों को फसलों के नुकसान से सुरक्षा के लिये इतिहास में पहली बार रविवार को भी बैंक खोलकर किसान भाईयों की फसलों का बीमा कराया गया। उन्होंने कहा कि जिन गरीब भाईयों, बहनों को राशन नहीं मिलता था, उन्हें भी इसी माह से राशन मिलना शुरू हो जाएगा।

बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जिनके घर डूब गये थे, उन्हें भी पचास किलो राशन उपलब्ध कराया जायेगा। बीस लाख किसानों के खाते में 4 हजार 600 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।

कृषि मंत्री दिन-रात जनता की सेवा के लिये तत्परता से जुटे हुए हैं

मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने कोरोना संकट काल और अतिवृष्टि के समय सक्रियता से कार्य कर किसानों से सतत सम्पर्क बनाये रखा।

प्रथम विमुक्त जनजाति दिवस

विमुक्त जनजाति वर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिये होंगे कार्य

भोपाल, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल ने पहले विमुक्त जनजाति दिवस के अवसर पर आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इन वर्गों के लोगों के विकास के लिये संकल्पित है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों की समस्याओं के निराकरण के लिये जल्द ही संभाग स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इन बैठकों में कमिश्नर और कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 4 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री निवास पर हुई विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ पंचायत में लिये गये फैसले का अमल किया जा रहा है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण राज्यमंत्री श्री रामखेलावन पटेल भोपाल में विभागीय बैठक को संबोधित करते हुये।

श्री पटेल ने कहा कि देशभर में जहां भी बड़े तालाब, झील, सरोवर और जलाशय बने हैं, उन्हें बंजारा समाज के बड़े व्यापारियों और समाजसेवियों ने तैयार किया है। संभागीय मुख्यालय सागर शहर के बीच 300 हेक्टेयर क्षेत्र में लाखावंजार झील समाज के गौरवमयी इतिहास को प्रदर्शित करती है। प्रदेश में बंजारा समूह द्वारा बनाये गये तालाबों का जीर्णोद्धार राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा। विमुक्त जाति के गौरवमयी इतिहास की चर्चा करते हुए श्री पटेल ने कहा कि वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इस जाति के अनेक वीर योद्धाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन जनजातियों का स्थायी ठिकाना न होने से अंग्रेजों ने वर्ष 1871 में इन्हें आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया था। देश की स्वतंत्रता के 5 वर्ष बाद 31 अगस्त 1952 को पहली बार इन जनजातियों को अपराधी होने की सरकारी मोहर से विमुक्त किया था। इन तमाम जनजातियों के लोग 31 अगस्त को विमुक्त दिवस के रूप में मनाते हैं। श्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र की समस्या के निराकरण के लिये शिविर लगाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के जरूरतमंदों को स्वरोज़गार के लिये 10 हजार रुपये तक के ब्याजमुक्त ऋण दिये जायेंगे। 10 हजार की राशि चुकाये जाने पर 20 हजार रुपये, इसके बाद 40 हजार रुपये और एक लाख रुपये तक की राशि ब्याजमुक्त उपलब्ध कराई जाएगी।

गंदगी भारत छोड़ो-मध्यप्रदेश अभियान में 35 लाख नागरिक बने सहभागी

भोपाल, प्रदेश में 'गंदगी भारत छोड़ो-मध्यप्रदेश' अभियान में 378 नगरीय निकायों में 16 से 30 अगस्त तक चले वृहद अभियान में लगभग 35 लाख नागरिकों की सहभागिता रही। प्रधानमंत्री के आह्वान को मूर्त रूप देने के लिये नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के निर्देश दिये। अभियान को 5 थीम में बांटकर कार्य किया गया।

अभियान में 7 लाख से अधिक नागरिकों ने स्वच्छता की शपथ ली। शहरों की विभिन्न बस्तियों में 2 लाख 80 हजार नागरिकों से संपर्क कर स्वच्छता का महत्व बताया गया। गीले कचरे से कम्पोस्ट बनाने के लिये 8 लाख 70 हजार नागरिकों से संपर्क किया गया और इस कार्य में लगे 18 लाख 35 हजार नागरिकों को सम्मानित किया गया। मास्क जागरूकता अभियान में झुग्गी-बस्तियों में नागरिकों के सहयोग से 4 लाख 65 हजार मास्क वितरित किये गये। लगभग 10 हजार कोरोना वारियर्स स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित किया गया।

पॉलीथिन कैरी-बैग के विरुद्ध कार्यवाही में बने 18,560 चालान

अभियान के अन्तर्गत 7 हजार 178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम किये गये। पॉलीथिन कैरी-बैग के विरुद्ध कार्यवाही में कुल 18,560 चालान बनाये गये। शहरों के 1,548 ऐसे स्थान जहां पर नागरिक और व्यापारी कचरा डालते थे, उनकी सफाई करने के साथ ही सौन्दर्यीकरण भी किया गया। क्वारेंटाइन केंद्रों और शौचालयों की सफाई की गई।

अभियान की 5 थीम

अभियान को 5 थीम में बांटा गया था। पहली थीम थी - स्वच्छता शपथ और व्यक्तिगत शौचालयों की साफ-सफाई एवं रख-रखाव। दूसरी - अनुपयोगी वस्तुओं और प्लास्टिक का रीसायकल, रीयूज, रीड्यूज के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक को रीफ्यूज करते हुए शहरी कचरे के उत्सर्जन में निरंतर कमी लाना। तीसरी - कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता, बायो मेडिकल कचरे, उपयोग किये गये मास्क का निपटान, सेनेटाइजेशन और कोविड क्वारेंटीन केंद्रों की साफ-सफाई और उनके शौचालयों के लिये विशेष स्वच्छता अभियान।

चौथी - घरों से निकलने वाले कचरे के स्रोत पर पृथक्कीकरण करना और घरों से निकलने वाले हानिकारक कचरे जैसे सेनेटरी पैड, डायपर्स और दवाओं आदि को सामान्य कचरे में जाने से रोकने के लिये जागरूकता और पांचवीं थीम थी - सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक शौचालयों के लिये विशेष स्वच्छता अभियान का संचालन करना।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

नीलकंठ भानु प्रकाश

शकुंतला देवी का रिकॉर्ड तोड़ा

हैदराबाद के 21 वर्षीय नीलकंठ भानु प्रकाश ने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीत लिया है। लंदन में हुई मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियन में नीलकंठ ने कई देशों के प्रतिभागियों को हराकर गोल्ड मेडल जीता। इस दौरान नीलकंठ ने सबसे तेज मानव कैलकुलेटर रहीं शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

राफेल डोमजेन

सौर ऊर्जा से संचालित विमान से लगाई छलांग

स्विट्जरलैंड के राफेल डोमजेन ने सौर ऊर्जा से उड़ने वाले विमान से पहली बार छलांग लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। दो सीटर प्रोटोटाइप विमान सोलर स्ट्राटोस ने दक्षिणी स्विट्जरलैंड स्थित एक एयरबेस से उड़ान भरी थी। करीब 5 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग के दौरान राफेल ने कुछ हजार मीटर के बाद पैराशूट खोला था।

दिनेश कुमार खारा

बन सकते हैं एसबीआई के चेयरमैन

भारतीय स्टेट बैंक के अगले चेयरमैन के लिये दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की गई है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की सिफारिश को सरकार के पास भेजा जायेगा। अगर खारा की सिफारिश मंजूर होती है तो वह एसबीआई के मौजूदा चेयरमैन रजनीश कुमार का स्थान लेंगे। जिनका तीन साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। ज्ञात रहे कि दिनेश कुमार खारा 2017 में भी चेयरमैन पद के दावेदारों में से एक थे। खारा को अगस्त 2016 में तीन साल के लिए एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

नूर इनायत खान

द्वितीय विश्व युद्ध की भारतीय जासूस को मिलेगा 'ब्लू प्लाक'

द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को "ब्लू प्लाक" से सम्मानित किया जाएगा। इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताया जाएगा। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की वंशज और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी नूर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के स्पेशल ऑपरेशन एग्जिक्यूटिव की एजेंट थीं।

जेफ बेजोस

अमेजन के फाउंडर की संपत्ति 200 अरब डॉलर के पार पहुँची

अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले अमीर बन गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी दौलत 204.6 अरब डॉलर हो गई है। गौरतलब है कि विश्व के 500 शीर्ष अमीरों की दौलत में जनवरी से अब तक 19 फीसदी का इजाफा हुआ है। टेस्ला इंक के एलन मस्क की संपत्ति भी बढ़कर 101 अरब डॉलर हो गई है।

जूलियो-वाल्ड्रमिना

सबसे उम्रदराज दंपति बने

इक्वाडोर के जूलियो सेजर मोरा और उनकी पत्नी वाल्ड्रमिना मैक्लोविया दुनिया के सबसे उम्रदराज शादीशुदा दंपति बन गए हैं। 112 साल के जूलियो और 104 साल की वाल्ड्रमिना ने शादीशुदा जीवन के 79 साल पूरे कर लिये हैं। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दोनों 1934 में पहली बार स्कूल में मिले थे। 7 फरवरी 1941 को उन्होंने शादी की थी।

जस्टिस अरुण मिश्रा

अपने विदाई समारोह में नहीं होंगे शामिल

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने विदाई समारोह में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को उन्होंने पत्र लिखकर सूचित किया है कि वे अपने लिए कोई विदाई समारोह नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इस समय देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। ऐसे में विदाई समारोह होना ठीक नहीं है।

राजकुमार ईश्वर रामलछमन

तीन मानद उपाधियों से नवाजे गए

दक्षिण अफ्रीका की जुलु रियासत के एकमात्र भारतीय मूल के दत्तक राजकुमार ईश्वर रामलछमन को उनके परोपकारी कार्यों के लिए तीन मानद उपाधियाँ दी गई हैं। रामलछमन को 'लॉस एंजिलिस डेवलपमेंट चर्च एंड इंस्टीट्यूट' की ओर से मानवतावाद और संघर्ष समाधान में मानद डॉक्टोरल डिग्री, ईसाई धार्मिक अध्ययन में मानद स्नातकोत्तर डिग्री और मानवतावाद और सामुदायिक विकास में मानद प्रोफेसर की डिग्री प्रदान की गई।

रानी रामपाल

पीपीई किट पहनकर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में पहुंचीं

भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल पीपीई किट पहनकर बेंगलुरु के साई केंद्र पहुंचीं। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने वर्चुअली राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये। खेल रत्न पाने वाली रानी रामपाल पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। कार्यक्रम में केन्द्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। ज्ञात रहे कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन किया गया था।

नेहा शुक्ला

भारतीय मूल की छात्रा ने बनाई सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस

अमेरिका में रहने वाली 15 वर्षीय भारतवंशी छात्रा नेहा शुक्ला ने 'गर्ल्स विद इम्पैक्ट' नाम के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस बनाई है। उद्यमशीलता स्किल सिखाने के लिए तैयार 'गर्ल्स विद इम्पैक्ट' कार्यक्रम में नेहा की बनायी डिवाइस को सराहना मिली है। इसके लिए नेहा ने अल्ट्रासोनिक सेंसर और माइक्रो-प्रोसेसरों का उपयोग किया, ताकि पता लगे कि कोई भी व्यक्ति छह फीट की दूरी को पार तो नहीं कर रहा। दूरी घटने पर डिवाइस कंपन करना और अलार्म देना शुरू कर देती है। इस डिवाइस को एक कैप में फिट किया गया है।

मारिके लुकास रिजनेवेल्ड

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनीं

नीदरलैंड की 29 वर्षीय मारिके लुकास रिजनेवेल्ड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है। इसका लक्ष्य विश्वभर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। लुकास को किताब 'द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग' के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।

मॉन्ट्रियल में

दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस बना

कनाडा के दूसरे सबसे बड़े शहर मॉन्ट्रियल में दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस बनाया गया है। यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यह 15,000 वर्ग मीटर यानि 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। इसे बनाने वाली कंपनी ने इस तरह का पहला ग्रीन हाउस 2011 में बनाया था। कंपनी अब तक न्यूयॉर्क, शिकागो और डेनवर में आठ ग्रीनहाउस बना चुकी है। पेरिस में भी इस तरह का ग्रीन हाउस बनाने की योजना है।

ताइक्वांडो चैम्पियनशिप

देश में पहली बार ऑनलाइन आयोजित होगी

इंडिया ताइक्वांडो ने घोषणा की है कि 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक देश की पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय ताइक्वांडो पूमसे चैम्पियनशिप आयोजित की जाएगी। प्रत्येक एथलीट को अंतिम समय सीमा से पहले "डिफेंस एवं अटैक" की पूमसे की अपनी वीडियो बनाकर भेजनी है। इस टूर्नामेंट को विश्व ताइक्वांडो का समर्थन प्राप्त है।

सुधा सुंदरी नारायण

तेरह साल बाद भारतीय महिला को मिली अमेरिका की नागरिकता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर सुधा सुंदरी नारायण को अमेरिका की नागरिकता प्रदान की है। सुधा को तेरह साल बाद रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के दौरान नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता देने के दुर्लभ समारोह में पांच अलग-अलग देशों के लोगों को अमेरिकी नागरिकता दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सुधा की तारीफ भी की।

फुटबॉलर रोनॉल्डिन्हो

छह महीने बाद हुए रिहा

ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनॉल्डिन्हो को फर्जी पासपोर्ट पर प्रवेश के मामले में छह महीने तक नजरबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। उनसे इसके साथ ही 16 लाख अमेरिकी डॉलर बतौर जुर्माना भी वसूला गया। उनके भाई को भी सजा दी गई थी। दोनों भाई रिहा होने के बाद रियो-डी-जेनेरियो रवाना हो गए।

रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल

आईआईटी मुंबई के छात्रों ने विकसित की स्कैनिंग एप

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के छात्रों ने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप 'AIR Scanner' विकसित किया है। यह एप दस्तावेजों को स्कैन करके सीधे डिवाइस में स्टोर करता है। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित इस एप को रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है। यह एप सभी दस्तावेजों को फोन के लोकल स्टोरेज में संग्रहित करता है।

स्मृति शेष

मशहूर अमेरिकी लेखक रैंडल केनन का निधन

अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रैंडल केनन का 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए कहानी लिखने के लिए जाने जाते थे। वह नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे।

ब्लैक पैंथर के स्टार चैडविक बोसमैन का निधन

हॉलीवुड स्टार चैडविक बोसमैन का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया। ब्लैक पैंथर फिल्म में शानदार किरदार निभाने के कारण बोसमैन लोकप्रिय हो गए थे। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने Marshall to Da 5 bloods आदि फिल्मों की शूटिंग पूरी की थी।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.आर. लक्ष्मणन का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मणन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। न्यायमूर्ति लक्ष्मणन का जन्म शिवगंगा जिले के देवकोट्टाई में वर्ष 1942 में हुआ था। वह मद्रास लॉ कॉलेज से स्नातक थे। 2007 में वह सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वह 18वें विधि आयोग के प्रमुख रहे।

छोटे पर्दे की प्रसिद्ध अभिनेत्री संगीता श्रीवास्तव का निधन

छोटे पर्दे की अभिनेत्री संगीता श्रीवास्तव का मुंबई में निधन हो गया। संगीता सीरियल 'इस प्यार को क्या नाम दूं', 'थपकी प्यार की' में निभाये अपने किरदार से बहुत लोकप्रिय थीं। वे लंबे समय से वस्क्यूलिटिस नामक रोग से पीड़ित थीं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, उसकी अपनी जंग ही उसे नष्ट करने के लिये काफी है – रतन टाटा

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि.यां.) संभाग उज्जैन
रेलवे ओव्हर ब्रिज के पास फ्रीगंज उज्जैन, म.प्र.

Email :- eepwdelecujn@mp.nic.in

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 04/(7)/टी.सी./2020-21 उज्जैन, दिनांक **31.08.2020**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

स. क्र.	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	भौतिक रूप से एनवलप प्रस्तुत करने का कार्यालय (मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज) कार्यालयीन पता एवं अंतिम दिनांक व समय
1.	2020_PWDRB_101661_1	उज्जैन	ए.आर	स्कार्पियो या समकक्ष वाहन (मॉडल 2017) शासकीय निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराना लो.नि.वि. (वि.यां.) संभाग उज्जैन	छटा	3.60	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (वि.या.) संभाग उज्जैन, दिनांक - 21.09.2020, समय सायं - 5.30 बजे तक
2.	2020_PWDRB_101663_1	नीमच	ए.आर	बोलेरो या समकक्ष वाहन (मॉडल 2017) शासकीय निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण हेतु वाहन किराये पर उपलब्ध कराना लो.नि.वि. (वि.यां.) उपसंभाग नीमच	छटा	2.40	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (वि.या.) संभाग उज्जैन, दिनांक - 21.09.2020, समय सायं - 5.30 बजे तक
3.	2020_PWDRB_101665_1	मंदसौर	डिपॉजिट	100 विस्तरीय कन्या छात्रावास डाईट परिसर जिला मंदसौर में विद्युतीकरण कार्य।	प्रथम	5.90	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (वि.या.) संभाग उज्जैन, दिनांक - 21.09.2020, समय सायं - 5.30 बजे तक
4.	2020_PWDRB_101668_1	मंदसौर	ए.आर	लोक निर्माण विभाग (वि.या.) उपसंभाग मंदसौर के अंतर्गत वर्ष 2020-21 गैर आवासीय भवनों में एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट/मरम्मत इत्यादि झोनल के (छोटे एवं अत्यावश्यक) विद्युतीकरण कार्य (आवश्यकतानुसार उज्जैन संभाग में कहीं भी कार्य कराया जा सकता है।)	प्रथम	15.00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (वि.या.) संभाग उज्जैन, दिनांक - 21.09.2020, समय सायं - 5.30 बजे तक
5.	2020_PWDRB_104706_1	उज्जैन	ए.आर	लोक निर्माण विभाग (वि.या.) उपसंभाग उज्जैन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 आवासीय भवनों में एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट/मरम्मत इत्यादि झोनल के (छोटे एवं अत्यावश्यक) विद्युतीकरण कार्य (आवश्यकतानुसार उज्जैन संभाग में कहीं भी कार्य कराया जा सकता है।)	प्रथम	10.00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (वि.या.) संभाग उज्जैन, दिनांक - 21.09.2020, समय सायं - 5.30 बजे तक
6.	2020_PWDRB_104709_1	उज्जैन	ए.आर	लोक निर्माण विभाग (वि.या.) उपसंभाग उज्जैन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 गैर आवासीय भवनों में एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट/मरम्मत इत्यादि झोनल के (छोटे एवं अत्यावश्यक) विद्युतीकरण कार्य (आवश्यकतानुसार उज्जैन संभाग में कहीं भी कार्य कराया जा सकता है।)	प्रथम	10.00	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (वि.या.) संभाग उज्जैन, दिनांक - 21.09.2020, समय सायं - 5.30 बजे तक
7.	2020_PWDRB_104710_1	उज्जैन	डिपॉजिट	सिविल अस्पताल उज्जैन में न्यू सब स्टेशन स्थापना कार्य।	प्रथम	26.53	कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन, दिनांक - 21.09.2020, समय सायं - 5.30 बजे तक
						कुल योग 73.43	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम दिनांक 18.09.2020 सायं 17.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।
मूल एफ.डी.आर. एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 21.09.2020 सायं 17.30 बजे तक दर्शित कार्यालय में प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि.यां.)
संभाग उज्जैन, फोन - 0734-2561560

जी-13650/44329/2020

कार्यालय कलेक्टर जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/7621/स्थापना/2020 धार, दिनांक **1.09.2020**

जिला कार्यालय सहायक (लोकसेवा) के पद पर भर्ती

कार्यालय कलेक्टर धार में जिला (लोकसेवा) के कार्यालय सहायक के एक पद की पूर्ति हेतु संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. जिला (लोकसेवा) कार्यालय सहायक को रुपये 8,500/- एकजाई प्राप्त होगा।

2. शैक्षणिक योग्यता -

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्त अंक के साथ स्नातक उपाधि। **तथा**
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अंतर्गत मैप आई.टी. (MAPIT) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) में उत्तीर्ण।

3. आयु :- आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य है, पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी।
(आयु सीमा की गणना के लिए तिथि दिनांक 01.01.2020 होगी)।

क्र.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	40
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित श्रेणी)	45
3.	पुरुष/महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी) संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45
4.	पुरुष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45
5.	पुरुष/महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45
6.	निःशक्तजन आवेदकों के लिए	45

4. आवेदन-पत्र कलेक्टर, जिला धार को प्रेषित किए जाएं। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 30.09.2020 है।**

कलेक्टर
जिला - धार (म.प्र.)

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,
कलेक्टर
जिला धार (म.प्र.)

विषय :- लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में कार्यालय सहायक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र।

1. अ. आवेदक का पूरा नाम हिन्दी में.....
   ब. अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में).....
2. लिंग - पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम उपनाम सहित.....
4. अ. पत्र-व्यवहार का पता.....
   ब. स्थाई पता (पिनकोड सहित).....
5. जन्मतिथि.....वर्ष.....माह.....दिन.....
   (10 + 2 परीक्षा प्रमाण-पत्र के आधार पर)
   शब्दों में.....
6. दिनांक 01.01.2020 को आयु :.....वर्ष.....माह.....दिन.....
7. क्या मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं? हाँ/नहीं.....
8. क्या आवेदक म.प्र. शासन द्वारा म.प्र. के लिये घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हाँ/नहीं.....
9. क्या आवेदक निःशक्त है हाँ/नहीं.....

10. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.	हाईस्कूल सर्टिफिकेट				
2.	हायर सेकेण्डरी (10+2)				
3.	स्नातक				
4.	सीपीसीटी				
5.	अन्य कोई योग्यता				
6.					

11. कार्य अनुभव के विवरण - इस संबंध में आवश्यक सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूँ। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म (यदि दो से अधिक बच्चे जीवित हों तो) 26.01.2001 के पश्चात नहीं हुआ है।

दिनांक :-
स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

जी-13663/44330/2020

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड परासिया

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य की निविदा प्रक्रिया ई-प्रोक्युरमेंट ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र डाउनलोड/क्रय करने की दिनांक 01.09.2020 से प्रारंभ है।
कार्य का नाम : छिन्दवाड़ा जिले के खंड परासिया के जामई विकासखण्ड के निम्न ग्रामों में जल जीवन मिशन अंतर्गत विद्यमान नलजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग कार्य यथा विभिन्न व्यास एवं प्रकार के पाईप लाइन बिछाने एवं जोड़ने तथा घरेलू नल कनेक्शन, समस्त सामग्री प्रदाय सहित 90 दिन ट्रायलरन पश्चात योजना के कमिशनिंग का कार्य।

ई-टेण्डर आई.डी. क्र.	निविदा क्रमांक/ दिनांक	विकासखण्ड का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि रुपये	निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये	बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/ समय	बिड ओपन करने की तिथि/ समय	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
2020 PHED-104735-1	30/20-21 /01.09.20	जामई	242.44	242440/-	15000/-	**18.09.20** 5.30 PM	21.09.20 1.00 PM	नवीन केन्द्रीयकृत पद्धति पर सक्षम श्रेणी एवं उससे ऊपर	270 दिन

निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क, कैश-कार्ड, ए.टी.एम. कम डेविट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग एकाउंट के माध्यम से उपरोक्त वेबसाइट पर भुगतान कर केवल ऑनलाइन पर ही क्रय किये जा सकते हैं।
विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा
जी-13669/44331/2020 **कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां. विभाग, खण्ड परासिया (म.प्र.)**

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 747/2020-21/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक 01.09.2020**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 23.09.2020 को 17.30 बजे** तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2020_WRD_104757	संजय सागर (बाह) परियोजना की मुख्य नहर के 5 नग ऐक्वाडक्ट के पाईप एक्सटेंशन का कार्य।	विदिशा	601.79

जी-13674/44332/2020 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग वि./यां. संभाग रीवा

क्रमांक/2050/कार्य/निविदा/2020-21 रीवा, दिनांक : 27.08.2020
निविदा क्र. D-22/2020-21 रीवा, दिनांक : 27.08.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। आमंत्रित निविदा का संक्षिप्त विवरण :-

क्र.	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	कार्य की अनुमानित राशि	अमानती राशि	भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने का कार्यालय
1.	2020_PWDRB_104503_1	उपखंड सतना, जिला-सतना के सर्किट हाउस सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के ए.आर./एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	31 मार्च 2021 तक	534983/-	10700/-	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां) रीवा संभाग रीवा, दिनांक 15.09.2020 तक समय 5:30 बजे तक।
2.	2020_PWDRB_104503_2	उपखंड सतना, जिला-सतना के सिविल लाईन मुख्यालय सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के ए.आर./एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	31 मार्च 2021 तक	444275/-	8886/-	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां) रीवा संभाग रीवा, दिनांक 15.09.2020 तक समय 5:30 बजे तक।
3.	2020_PWDRB_104503_3	उपखंड सतना, जिला-सतना के मैहर सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के ए.आर./एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	31 मार्च 2021 तक	444359/-	8887/-	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां) रीवा संभाग रीवा, दिनांक 15.09.2020 तक समय 5:30 बजे तक।
4.	2020_PWDRB_104503_4	उपखंड सतना, जिला-सतना के अमरपाटन रामनगर सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के ए.आर./एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	31 मार्च 2021 तक	444367/-	8887/-	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां) रीवा संभाग रीवा, दिनांक 15.09.2020 तक समय 5:30 बजे तक।
5.	2020_PWDRB_104503_5	उपखंड सतना, जिला-सतना के कलेक्ट्रेट सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के ए.आर./एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	31 मार्च 2021 तक	534899/-	10698/-	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां) रीवा संभाग रीवा, दिनांक 15.09.2020 तक समय 5:30 बजे तक।
6.	2020_PWDRB_104503_6	उपखंड सतना, जिला-सतना के नागौद सेक्सन के अंतर्गत आवासीय एवं गैर-आवासीय भवनों में विद्युतीकरण के ए.आर./एस.आर./एम.ओ.डब्ल्यू./डिपॉजिट के कार्यों का जोनल निविदा।	प्रथम आमंत्रण	31 मार्च 2021 तक	444248/-	8885/-	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (वि./यां) रीवा संभाग रीवा, दिनांक 15.09.2020 तक समय 5:30 बजे तक।

निविदा फार्म Online भुगतान कर **14.09.2020 को शाम 5:30 तक** क्रय किये जा सकते हैं। भौतिक दस्तावेज जमा करने की **अंतिम तिथि 15.09.2020 को शाम 5:30 बजे तक** होगी। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है। जिसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

निविदा दिनांक - 16.09.2020 को दोपहर 3 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

नोट :- प्रत्येक टेण्डर अलग-अलग लिफाफे में अलग-अलग स्पीड पोस्ट से प्रेषित करें अन्यथा मान्य नहीं होगा।

जी-13623/44326/2020 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि./यां.), संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, पन्ना (म.प्र.)

दूरभाष क्र. 07732-252084, ई-मेल - eephedpan@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **https://www.mptenders.gov.in** पर पन्ना जिले के विकासखण्ड पन्ना के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाईप लाईन, मोटर पंप स्थापना, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन आदि विभिन्न कार्य हेतु नवीन पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित हैं :-

स. क्र.	निविदा क्रमांक/ दिनांक	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	निविदा की कुल लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि
1.	23/2020-21/31.08.2020	104619	पन्ना	03	73.54	73540/-	10000/-	छः माह वर्षाकाल सहित

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय एवं निविदा दर डालने की अंतिम तिथि : **14.09.2020, 5.30 बजे शाम तक**
ऑनलाइन निविदा खोलने की तिथि : 16.09.2020, प्रातः 11.00 बजे

निविदा फॉर्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखी जा सकती है। निविदा से संबंधित समस्त संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे, जिन्हें पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-13620/44325/2020 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, पन्ना

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, टीकमगढ़ म.प्र.

"निविदा आमंत्रण सूचना"

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर टीकमगढ़ जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन के अंतर्गत पाइप लाइन, घरेलू कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित हैं।

निविदा क्रमांक/दिनांक	सिस्टम क्रमांक	विकासखंड	ग्रामों की संख्या	निविदा की कुल लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
07/2021-22	2020_PHED_104031_1	वल्देवगढ़	04	126.71	126710/-	12500/-	06 माह वर्षाकाल छोड़कर	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
08/2021-22	2020_PHED_104032_1	वल्देवगढ़	04	153.23	153230/-	12500/-	-,,-	-,,-
09/2021-22	2020_PHED_104033_1	जतारा	03	119.42	119420/-	12500/-	-,,-	-,,-
10/2021-22	2020_PHED_104034_1	जतारा	04	140.93	140930/-	12500/-	-,,-	-,,-
11/2021-22	2020_PHED_104035_1	पलेरा	03	105.99	105990/-	12500/-	-,,-	-,,-
12/2021-22	2020_PHED_104036_1	टीकमगढ़	05	148.43	148430/-	12500/-	-,,-	-,,-
13/2021-22	2020_PHED_104037_1	टीकमगढ़	05	186.61	186610/-	12500/-	-,,-	-,,-

निविदा से संबंधित समस्त दस्तावेज मय धरोहर राशि के **दिनांक 07.09.2020 सायं 5.30 बजे तक** ऑनलाइन ही अपलोड किये जावेंगे। ऑफलाइन प्राप्त दस्तावेजों या एफ.डी.आर. वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। समस्त विवरण **https://mptenders.gov.in/nicgep/app** वेबसाइट पर/अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन ही क्रय किये जा सकते हैं एवं निविदा दरें ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होंगी। समस्त प्रक्रिया "की डेट्स" अनुसार करनी होगी। भविष्य में निविदा आमंत्रण सूचना में किये जाने वाले संशोधन ऑनलाइन वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होंगे। समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित नहीं किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-13521/44312/2020 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, टीकमगढ़ (म.प्र.)

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 745/2020-21/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक 28.08.2020**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 24.09.2020 को 17.30 बजे** तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2020_WRD_103889	**टर्न की पद्धति पर** :- प्रहलाद ओरिया जलाशय योजना का निर्माण कार्य (बांध एवं नहर) विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	सागर	436.39
2.	2020_WRD_103896	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सिंध आर.बी.सी. (यू.एम.आर.) नहर की वितरिका डी-5 की माइनर 1 आर.(ए), 1 आर, 2 आर 2 आर (ए), 3 एल, 4 एल, 4 एल (ए), 5 आर (ए), 5 आर, 6 एल, 6 एल (ए), 7 आर, 8 एल, 9 एल, 10 आर एवं टेल माइनर माइनरों का मरम्मत कार्य।	शिवपुरी	36.14
3.	2020_WRD_103897	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सिंध आर.बी.सी. (बी.एम.आर.) नहर की एल.एम. 1, एल.एम.-2, एल.एम.-3 एल.एम.-4 एवं वितरिका डी-6 की एम-1 माइनर तथा वितरिका डी-7 की 1 एल. से 8 एल. एवं 1 आर से 8 आर माइनरों का मरम्मत कार्य।	शिवपुरी	38.37
4.	2020_WRD_103898	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सिंध आर.बी.सी. (बी.एम.आर.) नहर की वितरिका डी-7 की माइनर, 9 एल., 9 आर, 10 एल, 10 आर, 11 आर, 11 एल, 12 एल, 12 आर, 13 आर, 13 एल, 14 आर, 15 आर एवं एल.एम.-5 माइनर की 1 आर, 2 आर सब माइनर तथा वितरिका डी-8 की 1 एल, 2 एल माइनर एवं 3 एल की 1 एल सब माइनर 3 एल, 4 एल, 6 आर, 5 एल, 7 एल, 8 आर, 9 एल, 10 एल का मरम्मत कार्य।	शिवपुरी	34.81
5.	2020_WRD_103899	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत सिंध आर.बी.सी. (यू.एम.आर.) नहर की वितरिका डी-4 की माइनर, 1 एल, 2 एल, 3 एल, 4 एल, 5 एल, 6 एल, 7 एल, 8 एल, 9 आर, 10 आर, 11 एल, 12 आर और टेल माइनर/ माइनरों का मरम्मत कार्य।	शिवपुरी	25.12

जी-13492/44317/2020 मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)

हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का साक्षात्कार

सपने को साकार करना है तो सतत प्रयास जरूरी है - हरिओम पाटीदार

जाने-माने रेडियो उद्घोषक डॉ. रत्नाकर भारतीय ने एक बार अपने कार्यक्रम में एक मेधावी छात्र से साक्षात्कार में उस पीढ़ी के यशगान में यह पंक्तियां कही थीं कि-

'कुछ भी असम्भव नहीं है अब
परखो इनके विश्वास को।
अरमानों के पंख लगा जो,
नाप रहे आकाश को।'

भारतीय जी की इन पंक्तियों का मुझे बरबस स्मरण हो आया जब मैंने मध्यप्रदेश के गरोठ के बरडिया अमरा के मेधावी छात्र हरिओम पाटीदार से बात की। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2019-20 की हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में राज्य में सबसे अव्वल यानी प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च स्थान पाने वाले **हरिओम पाटीदार** से बातचीत में वही विश्वास दिखा, जिसका जिक्र रत्नाकर भारतीय ने अपनी पंक्तियों में किया था। हरिओम पाटीदार से '**रोज़गार और निर्माण**' के लिये की गई बातचीत के कुछ अंश -

❍ **इस सफलता के लिये आपको हार्दिक बधाई हरिओम, आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे?**

◆ बधाई के लिये धन्यवाद सर, मेरे लिये इस सफलता का बड़ा मायना है, क्योंकि मैंने एक बड़ी सॉफ्टवेयर कम्पनी की स्थापना का जो बड़ा सपना देखा है यह सफलता उस दिशा में एक अच्छी शुरुआत है। यदि हमें किसी बड़ी सफलता को प्राप्त करना है तो उसके लिये सतत प्रयास जरूरी है। मैं इस सफलता का श्रेय मेरे स्कूल के शिक्षकों और अपने माता-पिता तथा परिजन को देना चाहूंगा, जो हमेशा मुझे पूरी मेहनत के साथ पढ़ने की प्रेरणा देते रहे और मुझे आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहन देते रहे।

❍ **क्या आपको इस सफलता की उम्मीद थी?**

◆ हमारी सारी उम्मीदें हमारी मेहनत पर निर्भर करती हैं और मैंने इस परीक्षा के लिये साल भर जो मेहनत की थी, उससे मुझे परीक्षा में अच्छे अंक पाने की पूरी उम्मीद थी और जब रिजल्ट खुलने पर मुझे इस परीक्षा में 300 में से 300 अंक आये और प्रावीण्य सूची में राज्य में अव्वल रहा तो लगा मेरी मेहनत सफल हो गई। केवल उम्मीद से नहीं एक प्लान बनाकर यदि हम परीक्षा की तैयारी करें तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। केवल परीक्षा के दिनों में पढ़ने से आप परीक्षा तो पास कर सकते हैं मगर बड़ी सफलता नहीं पा सकते हैं।

❍ **आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और परिवार ने आपको इस सफलता पाने में कैसे मदद की?**

◆ मैं एक किसान परिवार से हूं। मेरे पिता अरविन्द पाटीदार एक प्रगतिशील किसान हैं और मेरी मां श्रीमती ममता पाटीदार वैसे तो एक गृहिणी हैं मगर वो खेती किसानी के काम में भी पूरा सहयोग करती हैं। मेरे परिवार ने मुझे हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई में ही लगाने को कहा। कभी-कभी मैं भी पिता के काम में मदद करता हूं मगर पिताजी हमेशा मुझसे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाने को कहते। इस प्रकार यदि मैं यह कहूं कि इस सफलता में मेरे परिवार ने मेरी पूरी सहायता की तो वो गलत नहीं होगा।

❍ **अब आपका अगला लक्ष्य क्या है, हरिओम?**

◆ मैंने दसवीं कक्षा की पढ़ाई करते समय ही यह तय कर लिया था कि मैं आगे जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.आई.टी.) में प्रवेश की परीक्षा की तैयारी आरम्भ कर दी थी। मैं आई.आई.टी. मुम्बई अथवा चेन्नई से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त कर एक सॉफ्टवेयर कम्पनी मध्यप्रदेश में ही स्थापित करना चाहता हूं। मेरे परिवार की भी इसमें सहमति है। ऐसा करके मैं अपने ज्ञान का उपयोग कर युवाओं को रोज़गार देने का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकूंगा। इसके लिये मुझे प्रवेश परीक्षा की चुनौती पार करनी होगी।

❍ **परीक्षा में इस उल्लेखनीय सफलता के लिये आपने क्या रणनीति बनाई थी ?**

◆ वही रणनीति जो अधिकांश विद्यार्थी ऐसी खास उपलब्धि के लिये बनाते हैं। केवल परीक्षा के पहले के कुछ महीनों में ही नहीं साल भर प्रतिदिन छह-सात घण्टे पढ़ाई करने से ही ऐसी सफलता मिलती है और मैंने भी ऐसा ही किया। इसके साथ ही परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्थान पर मैंने समूचे सिलेबस को आधार मानकर सभी सम्भव प्रश्नों की तैयारी की। इस हिसाब से तैयारी करने में मेहनत काफी लगती है मगर उसके नतीजे बेहद अच्छे होते हैं। इसके अलावा कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता है उसे भी यदि ध्यान से सुना जाये और नोट्स तैयार करें तो उससे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। सच तो यह है कि शिक्षा और परीक्षा दोनों ही मामलों में कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है।

❍ **परीक्षा की तैयारियों के सन्दर्भ में कोचिंग और ट्यूशन को आप कितना जरूरी मानते हैं?**

◆ सच तो यह है कि आपके इस सवाल का 'हाँ' या 'ना' में जवाब सम्भव ही नहीं है। अब मेरा ही सन्दर्भ लीजिये गणित की तैयारी को लेकर मैं थोड़ा आशंकित रहता था। इसी से मैंने घर में और अपने शिक्षकों से सलाह कर मैथ्स की कोचिंग लेने का तय किया। इस कोचिंग से गणित के बहुत-से अध्याय को लेकर जो समस्याएं थीं, वो तो हल हुई हीं साथ ही मुझ में एक कॉन्फिडेन्स भी आया। मैं समझता हूं यदि किसी विषय में हमें लगता है कि हमें परेशानी है तो उस विषय में ट्यूशन लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। वैसे ट्यूशन पर ज्यादा आधारित होना अच्छा नहीं है।

❍ **आपकी इस सफलता पर आपके क्षेत्र और शिक्षा संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही?**

◆ मेरी सफलता पर मीडिया ने तो इतनी प्रशंसा की कि मुझे लगा वाकई मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर, मनोज पुष्प साहब ने जिस प्रकार फोन पर मुझे बधाई दी और शुभकामनाएं दीं उससे मेरा हौसला और बढ़ा है। मेरे स्कूल के संचालक और प्राचार्य ने भी मुझे बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मुझे बधाई देने वालों में शिक्षा संकुल की प्राचार्य श्रीमती अर्चना मालवीय और स्कूल की शिक्षा सलाहकार समिति के सदस्य एन.डी. वैष्णव भी शामिल थे, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई।

❍ **हरिओम आप 'रोज़गार और निर्माण' के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे?**

◆ परीक्षा चाहे नियमित हो अथवा प्रतियोगी परीक्षा हो उसके लिये व्यापक तैयारी ही जरूरी होती है और नियमित अध्ययन से ही हम परीक्षाओं में सफलता पा सकते हैं। इसके लिये हमें अपने शौक पर नियंत्रण रखने के लिये भी तैयार रहना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये आजकल विभिन्न वेबसाइट और पत्र-पत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं और इसके साथ ही कोचिंग सेन्टर भी हैं। हमें इन सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए।

- राजा दुबे
(साक्षात्कारकर्ता, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं।)

हरिओम पाटीदार - परिचय

उपलब्धि - माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2019-20 की हाईस्कूल परीक्षा में प्रदेश में पहला स्थान अर्जित किया।
स्कूल - स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल, गरोठ (मध्यप्रदेश)
निवास - गांव बरडिया अमरा
जन्म दिनांक - 14.09.2004, **जन्म स्थान** - गरोठ (म.प्र.)
पिता - श्री अरविंद पाटीदार, कृषक
माता - श्रीमती ममता पाटीदार, गृहिणी और खेती-किसानी के काम में भी मदद
शौक - सभी आउटडोर खेलों में रुचि मगर पढ़ाई में कटौती की कीमत पर खेलना पसंद नहीं।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान- खेल

1. इनमें से कौन-सा भारतीय क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है।
(अ) सौरव गांगुली
(ब) राहुल द्रविड़
(स) सचिन तेंदुलकर
(द) अनिल कुंबले

2. सबसे ज्यादा बार सुदीरमन कप जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है।
(अ) मलेशिया
(ब) चीन
(स) दक्षिण कोरिया
(द) जापान

3. ओलिंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं।
(अ) निशानेबाजी (ब) कुश्ती
(स) मुक्केबाजी (द) बैडमिंटन

4. इनमें से किस खेल को वर्ष 2018 में पहली बार एशियाई खेलों में जगह मिली थी।
(अ) रोइंग (ब) रग्बी सेवंस
(स) ब्रिज (द) इनमें से कोई नहीं

5. चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक कितने बार आईपीएल का खिताब हासिल किया है।
(अ) दो (ब) तीन
(स) चार (द) इनमें से कोई नहीं

6. रॉबर्ट लेवानडोवस्की फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(अ) जर्मनी (ब) बेल्जियम
(स) स्वीडन (द) पोलैंड

7. वर्ष 2018 में रोम मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैम्पियन बने थे।
(अ) एलेक्जेंडर ज्वेरेव
(ब) राफेल नडाल
(स) डोमिनिक थिएम
(द) इनमें से कोई नहीं

8. ग्रीको रोमन स्पर्धा किस खेल का एक हिस्सा है।
(अ) तीरंदाजी (ब) कराते
(स) कुश्ती (द) कबड्डी

9. इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में इंग्लैंड की कप्तानी नहीं की है।
अ) नासिर हुसैन
(ब) एंड्रयू स्ट्रॉस
(स) माइकल वॉन
(द) पॉल कॉलिंगवुड

10. हाल ही में इनमें से किस क्लब ने चैम्पियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है।
(अ) बायर्न म्यूनिख
(ब) पेरिस सेंट जर्मेन
(स) बार्सिलोना
(द) लिवरपूल

11. स्वप्ना बर्मन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
(अ) तैराकी (ब) हेप्टॉथलॉन
(स) तलवारबाजी (द) पेंटाथलॉन

12. इनमें से किस देश ने वर्ष 2009 में आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप जीता था।
(अ) पाकिस्तान (ब) इंग्लैंड
(स) श्रीलंका (द) वेस्टइंडीज

13. स्टेपलचेज किस खेल की एक स्पर्धा है।
(अ) मार्शल आर्ट
(ब) एथेलेटिक्स
(स) जिम्नास्टिक
(द) इनमें से कोई नहीं

14. वर्ष 1999 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप में मैन ऑफ द सीरीज बने थे।
(अ) सचिन तेंदुलकर
(ब) मार्क वॉ
(स) सनथ जयसूर्या
(द) लांस क्लूजनर

15. जापानी खिलाड़ी रिकाको इके किस खेल से संबंधित हैं।
(अ) तैराकी
(ब) बैडमिंटन
(स) एथेलेटिक्स
(द) निशानेबाजी

16. नई दिल्ली ने किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी।
(अ) वर्ष 2006
(ब) वर्ष 2008
(स) वर्ष 2010
(द) वर्ष 2012

17. दिव्या काकरान किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
(अ) कुश्ती
(ब) शतरंज
(स) हॉकी
(द) टेनिस

18. इनमें से किस वर्ष एम.सी. मैरीकॉम ने मुक्केबाजी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता है।
(अ) वर्ष 2002
(ब) वर्ष 2004
(स) वर्ष 2006
(द) वर्ष 2018

19. श्रीलंका के क्रिकेटर कुमार संगाकारा ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं।
(अ) 36 (ब) 37
(स) 38 (द) 40

20. एशियाई खेल-2018 में कबड्डी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है।
(अ) भारत
(ब) दक्षिण कोरिया
(स) जापान
(द) ईरान

21. रियो ओलिंपिक-2016 में फुटबॉल में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है।
(अ) मैक्सिको
(ब) ब्राजील
(स) स्पेन
(द) अर्जेंटीना

22. अर्जेंटीना ने अब तक कितने बार फीफा फुटबॉल वर्ल्डकप जीता है।
(अ) दो
(ब) तीन
(स) चार
(द) पांच

23. इनमें से किस बल्लेबाज ने अपने पहले टेस्ट शतक को तिहरा शतक में नहीं बदला है।
(अ) वॉब सिम्पसन
(ब) ब्रायन लारा
(स) गैरी सोबर्स
(द) करूण नायर

24. पी.वी. सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में अब तक कुल कितने पदक जीते हैं।
(अ) एक
(ब) तीन
(स) चार
(द) पांच

25. टोक्यो में पहली बार ओलिंपिक खेल कब आयोजित हुए थे।
(अ) वर्ष 1964 (ब) वर्ष 1960
(स) वर्ष 1976 (द) वर्ष 1980

उत्तर

1. (अ), 2. (ब), 3. (अ),
4. (स), 5. (ब), 6. (द),
7. (ब), 8. (स), 9. (द),
10. (अ), 11. (ब), 12. (अ),
13. (ब), 14. (द), 15. (अ),
16. (स), 17. (अ), 18. (ब),
19. (स), 20. (द), 21. (ब),
22. (अ), 23. (ब), 24. (द),
25. (अ)

- पुष्पेन्द्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं।)

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking) (Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.)

REGIONAL OFFICE, INDORE : 101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, INDORE-452001 (M.P.),
Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311, Fax : 0731-2972629, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in, CIN : U51102MP1977SGC001392

क्रमांक / एमपीआईडीसी / क्षे.का.इं / तक / 2020 / 11645

जाहिर सूचना

दिनांक : 05.09.2020

मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन योजना पीथमपुर के अन्तर्गत प्रथम चरण का क्रियान्वयन निम्नलिखित भूमि पर किया जा रहा है :

क्र.	ग्राम का नाम	भू–स्वामी	खसरा नंबर	रकबा
1	रणमल बिल्लोद	हरीश बाबूराव जोशी	255/1/1	0.23
	रणमल बिल्लोद	हरीश बाबूराव जोशी	261/2	1.241
	रणमल बिल्लोद	हरीश बाबूराव जोशी	262/2	0.318
	रणमल बिल्लोद	हरीश बाबूराव जोशी	261/12	
	रणमल बिल्लोद	हरीश बाबूराव जोशी	262/4	0.318
2	रणमल बिल्लोद	शांताबाई पत्नी बाबूराव जोशी	261/10/1	0.505
	रणमल बिल्लोद	सुनीता पिता बाबूराव जोशी पत्नी ओमप्रकाश जोशी	261/10/2	0.506
	रणमल बिल्लोद	हेमलता पिता बाबूराव जोशी	261/10/3	0.506
	रणमल बिल्लोद	राजेन्द्र पिता बाबूराव जोशी	261/10/4	0.506
	रणमल बिल्लोद	सुभाष जोशी पिता बाबूराव जोशी	261/10/5	0.506
	रणमल बिल्लोद	महेश पिता बाबूराव जोशी	261/10/6	0.506
	रणमल बिल्लोद	हरीश पिता बाबूराव जोशी	261/10/7	0.506
3	रणमल बिल्लोद	राजेन्द्र पिता बाबूराव जोशी	261/5/1	0.578
	रणमल बिल्लोद	शांताबाई पति बाबूराव जोशी	261/5/2	0.578
	रणमल बिल्लोद	सुभाष जोशी पिता बाबूराव जोशी	261/5/3	0.578
	रणमल बिल्लोद	सुनीता पिता बाबूराव जोशी पत्नी ओमप्रकाश जोशी	261/5/4	0.578
	रणमल बिल्लोद	हेमलता पिता बाबूराव जोशी	261/5/5	0.578
	रणमल बिल्लोद	महेश पिता बाबूराव जोशी	261/5/6	0.578
	रणमल बिल्लोद	हरीश पिता बाबूराव जोशी	261/5/7	0.578
4	रणमल बिल्लोद	महेश पिता बाबूराव जोशी	261/1	2.529
5	रणमल बिल्लोद	सुभाष चंद्र पिता बाबूराव जोशी	261/9	2.529
6	रणमल बिल्लोद	कैलाश सिंह पिता बापू सिंह	255/3/3	1.265
	रणमल बिल्लोद	कैलाश सिंह पिता बापू सिंह	196	1.343
7	रणमल बिल्लोद	प्रेम सिंह पिता बापू सिंह	255/3/2	1.263
8	रणमल बिल्लोद	पवन सिंह पिता छगन सिंह	264/1	0.664
	रणमल बिल्लोद	माना बाई पत्नी छगन सिंह	264/2	0.667
9	रणमल बिल्लोद	तिबूबाई बेवा ओंकार सरदार	255/11	0.89
10	रणमल बिल्लोद	बहादूर पिता फतेह सिंह	261/4	1.035
11	रणमल बिल्लोद	हेमराज पिता बीरबल	267/7/4	0.259
12	रणमल बिल्लोद	गोपाल सिंह पिता भंवर सिंह	267/1/2	0.675
13	रणमल बिल्लोद	हरी सिंह पिता गाबा	255/8	0.08
	रणमल बिल्लोद	हरी सिंह पिता गाबा	255/1/2/3	1.943
14	रणमल बिल्लोद	रूकनाथ पिता सूरजमल बंजारा	257/9/1	0.506
	रणमल बिल्लोद	रूकनाथ पिता सूरजमल बंजारा	257/9/2	0.506
15	रणमल बिल्लोद	मान सिंह पिता गोपीलाल	267/9	1.348
16	रणमल बिल्लोद	मुन्नालाल पिता घासीराम	267/2	0.864
17	रणमल बिल्लोद	लखन सिंह पिता बानेसिंह	267/10	0.633
18	रणमल बिल्लोद	भूरा पिता बीरबल	267/7/1	0.259
19	रणमल बिल्लोद	उमराव सिंह पिता बाबू सिंह	255/3/1	1.264
20	रणमल बिल्लोद	सरदार पिता मुखराम	201/2	0.846
21	रणमल बिल्लोद	शांताबाई पति गोविन्द	255/16	0.263
22	रणमल बिल्लोद	सोमाबाई पति सूरजमल (सूरजमल, उदै सिंह, दुले सिंह, लाल भगवान पिता परथी)	255/4	1.055
23	रणमल बिल्लोद	गुमान सिंह पिता शोभाराम	255/12	1.415
24	रणमल बिल्लोद	मदन पिता मुखराम	199/4	0.83
25	रणमल बिल्लोद	करतार सिंह पिता मुखराम	195/2	0.485
26	रणमल बिल्लोद	करतार सिंह पिता मुखराम	199/5	0.345
27	रणमल बिल्लोद	शांतिबाई पति मुखराम	199/2	0.6
	रणमल बिल्लोद	शांतिबाई पति मुखराम	231/9	0.197
28	रणमल बिल्लोद	गुमान सिंह पिता शोभाराम	255/12	1.415
29	रणमल बिल्लोद	सल्का पति अजय सिंह	255/17	0.243
	रणमल बिल्लोद	सल्का पति अजय सिंह	267/6	1.052
30	रणमल बिल्लोद	दीप सिंह पिता राव सिंह	261/13	1.012
31	रणमल बिल्लोद	जगराम पिता कनवारा	261/8	0.405
	रणमल बिल्लोद	जगराम पिता कनवारा	262/3	0.639
32	रणमल बिल्लोद	धारा सिंह पिता बीरबल	267/7/2	0.259
33	रणमल बिल्लोद	प्रियंका पिता जगदीश जोशी	261/6	2.833
34	रणमल बिल्लोद	पुष्पा देवी पति जगदीश जोशी	262/1	20.234
35	रणमल बिल्लोद	रविन्द्र कौर खुराना	266/1	1.436
	रणमल बिल्लोद	रविन्द्र कौर खुराना	266/2	1.202
36	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	261/3/1	0.234
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	261/3/2	1.655
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	261/3/3	0.219
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	261/3/4	0.219
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	263/2	1.785
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	263/3	0.446
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	264/3	0.664
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	264/4	0.664
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	265/2	0.894
	रणमल बिल्लोद	शांतिदेवी	265/4	0.894
37	रणमल बिल्लोद	गिरधारी, हुकुम पिता नारायण	255/5	0.243
38	रणमल बिल्लोद	लालू पिता पार्थी	255/28	0.211
39	रणमल बिल्लोद	कालू	249	0.409
40	अम्बापुरा	मुशरफ बी	13/1	10.214
41	अम्बापुरा	मोहम्मद इलियास	2	6.534
42	अम्बापुरा	मोहम्मद इलियास	4/1	1.964
43	अम्बापुरा	श्रीमती रिजवाना	2/49	0.68
	अम्बापुरा	श्रीमती रिजवाना	9/2	0.486
44	अम्बापुरा	मोहम्मद अल्ताफ पित इलियास शेख	9/1	7.6
	अम्बापुरा	मोहम्मद अल्ताफ पित इलियास शेख	13/2	2.618
45	अम्बापुरा	मोहम्मद अयाज शेख	5	0.64
46	अम्बापुरा	मोहम्मद अयाज शेख	6	4.776
47	अम्बापुरा	मोहम्मद अयाज शेख	12/1	0.291
48	अम्बापुरा	मोहम्मद इरशाद	4/2	9.728
49	अम्बापुरा	मोहम्मद ऐजाज शेख	11	9.728
	अम्बापुरा	मोहम्मद ऐजाज शेख	13/3	0.486
50	अम्बापुरा	सलमा बी	7	4.521
	अम्बापुरा	सलमा बी	12/2	0.551
51	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	नन्द राम पिता मुखराम	199/3	0.83
	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	नन्द राम पिता मुखराम	234/1	0.02
52	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	सेतुबाई पत्नी दुधा	267/7	1.091
	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	सेतुबाई पत्नी दुधा	255/18	0.243
53	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	हुकुम पत्नी मुखराम	199/1	0.83
54	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	स्व. पार्वतीबाई पत्नी सूरजमल	194/2	0.182
	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	तितुबाई द्वारा पार्वती	255/20	1.133
	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	स्व. पार्वतीबाई	257/10	0.405
55	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	रघुनाथ	225/21	2.023
56	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	मोती सिंह	260/1/2	0.304
	चैदीपुर / रणमल बिल्लोद	मोती सिंह	260/2/2	0.225
57	सलमपुर	छगनबाई सतना	369/1/4/2	0.506
58	सलमपुर	मृदुल मंत्री	368/3	8.175
59	सलमपुर	सतीष मंत्री	368/2	4.249
60	सलमपुर	मंजुला मंत्री	368/6	4.249
61	सलमपुर	पुरूषोत्तम मंत्री	368/4	8.741
	सलमपुर	पुरूषोत्तम मंत्री	368/5	4.371
	सलमपुर	पुरूषोत्तम मंत्री	369/1/5	0.87
	सलमपुर	पुरूषोत्तम मंत्री	369/1/4/1	0.303
62	रणमल बिल्लोद	मान सिंह पिता नर सिंह	256/3	0.237
63	रणमल बिल्लोद	नन्दीबाई बेवा नर सिंह	254/4	0.5
64	रणमल बिल्लोद	गोपाल सिंह पिता बलू सिंह	257/6	2.023
	रणमल बिल्लोद	गोपाल सिंह पिता बलू सिंह	258/2	0.321
65	रणमल बिल्लोद	गंगाराम, गोविन्द पिता शंकरलाल	255/25	0.6
66	रणमल बिल्लोद	रूप सिंह, विक्रम सिंह, हुकुम सिंह पिता सरदार सिंह	263/4	0.446
67	रणमल बिल्लोद	प्रकाश पिता लुनाजी एवं राधाबाई पत्नी प्रकाश	255/26	0.6
68	रणमल बिल्लोद	चंदर पिता बीरबल	267/7/3	0.259
69	रणमल बिल्लोद	राम कन्या बाई पत्नी मांगीलाल	205/5	0.162
	रणमल बिल्लोद	राम कन्या बाई पत्नी मांगीलाल	205/6	0.238
	रणमल बिल्लोद	मांगीलाल पिता सेवाराम	255/22	0.1
70	रणमल बिल्लोद	देवी सिंह पिता सेवाजी	254/3	0.5
71	रणमल बिल्लोद	बाशुबाई राठौर	195/1	0.486
72	रणमल बिल्लोद	नंदी बाई द्वारा नरसिंह	254/4/4	-
73	रणमल बिल्लोद	जीवनीबाई पत्नी नारायण	256/5	0.297
74	रणमल बिल्लोद	सोदराबाई	255/24	0.6
75	रणमल बिल्लोद	रंजीत सिंह पिता सूरजमल	257/9/4	0.506
	रणमल बिल्लोद	रंजीत सिंह पिता सूरजमल	260/1/1	0.365
	रणमल बिल्लोद	रंजीत सिंह पिता सूरजमल	260/2/1	0.261
	रणमल बिल्लोद	रंजीत सिंह पिता सूरजमल	82/2/2	0.666
	रणमल बिल्लोद	रंजीत सिंह पिता सूरजमल	221/2	1.024
76	बरदरी	प्रमोद हाडिया (मेसर्स आल्विन इण्डस्ट्रीज)	230/2	6.27
77	सलमपुर	राजेश गिरि	349/1/2	1.432
	सलमपुर	राजेश गिरि	341/1/3/2	0.79
78	सलमपुर	भूपेन्द्र जैन	341/1/3/1/2	0.506
79	सलमपुर	अशोक गिरि	341/1/3/4	0.885
	सलमपुर	अशोक गिरि	349/1/5	1.337
80	सलमपुर	जितेन्द्र गिरि	349/1/1	0.33
	सलमपुर	जितेन्द्र गिरि	341/1/3/1/0001	1.386
81	सलमपुर	ओमप्रकाश गिरि	341/1/3/3	1.173
	सलमपुर	ओमप्रकाश गिरि	349/1/3	1.007
	सलमपुर	रघुवीर सिंह	349/1/4	0.042
82	सलमपुर	रघुवीर सिंह	341/2	0.728
	सलमपुर	ध्रुववेश लम्भाटे	349/2	0.789
83	सलमपुर	ध्रुववेश लम्भाटे	362/3	2.044
	सलमपुर	ध्रुववेश लम्भाटे	353/3	0.057
84	सलमपुर	रत्नप्रभा लम्भाटे	362/2	2.104
85	सलमपुर	सरदार सिंह	350	1.416
	सलमपुर	गजेन्द्र सिंह पिता रघुनाथ सिंह	359	0.324
	सलमपुर	सरदार सिंह	348/2	0.032
86	सलमपुर	भागीरथ कुंवरजी	340/3	0.607
87	सलमपुर	चम्पा बहादूर सिंह	329/11	0.506
88	सलमपुर	करण सिंह, केशर सिंह	338/1	0.321
	सलमपुर	करण सिंह, केशर सिंह	329/5	0.485
	सलमपुर	करण सिंह, केशर सिंह	329/4	0
	सलमपुर	करण सिंह, केशर सिंह	329/3	0.259
89	सलमपुर	बाबूलाल पिता केशर सिंह	337	0.101
90	सलमपुर	राजवीर सिंह	366/4	2.548
91	सलमपुर	महीपाल सिंह	366/2/1/1	2.141
92	सलमपुर	पृथ्वीराज सिंह	367/3	2.141
93	सलमपुर	भानुप्रताप सिंह	366/2/1/2	1.881
94	सलमपुर	लोकेन्द्र सिंह	366/1	2.547
95	सलमपुर	कमला गिरि	348/1	5.84
96	सलमपुर	कमला गिरि	341/1/1	0.502
97	सलमपुर	महेन्द्र गिरि	347	1.157
	सलमपुर	महेन्द्र गिरि	344	1.028
	सलमपुर	महेन्द्र गिरि	342	0.721
	सलमपुर	महेन्द्र गिरि	341/1/2	4.212
	सलमपुर	महेन्द्र गिरि	339	1.015
98	सलमपुर	हरपाल सिंह पिता नारायण सिंह	367/2	2.141
99	सलमपुर	रतन लाल खत्री पिता गोपाल	329/1/2/ख	0.674
100	सलमपुर	मदन लाल खत्री	329/1/2/क	0.674
101	सलमपुर	मोहन लाल खत्री	329/1/2/ग	0.675
102	सलमपुर	बाबू सिंह पिता केशर सिंह	329/1/2/4	0.809
	सलमपुर	बाबू सिंह पिता केशर सिंह	338/2	1.064
103	-	सलमपुर लिस्ट इन्क्लूडेड	---- ----	-----
104	बजरंगपुरा	निर्वाण डेवलपर्स (अनिल सैनी)	61/1	0.716
	बजरंगपुरा	निर्वाण डेवलपर्स (अनिल सैनी)	61/194	1.319
105	बजरंगपुरा	कपिल गर्ग पिता गोविन्द दास गर्ग	66/2	0.25
106	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	55/3	0.578
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	57/2	0.089
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	60/2	0.539
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	55/4	0.362
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	47/2	0.803
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	48	0.462
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	49	0.542
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	50	2.91
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	51	2.594
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	52	0.352
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	53/2	0.38
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	53/3	0.338
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	54/1	0.49
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	54/2	0.846
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	54/3	0.25
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	54/5	0.278
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	55/2	1.425
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	57/1, 60/1	0.628
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	57/3	0.38
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	65/1	0.664
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	66/1	0.575

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1 ग्वालियर
निविदा विज्ञप्ति सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना क्र.28 **दिनांक 31.08.2020**

म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से म.प्र. की ओर से निम्नांकित कार्यों हेतु सड़क/भवन दिनांक 29.08.2017/01.08.2014 तथा निविदा सूचना जारी होने तक उसमें किये गये संशोधन सहित मोहरबंद निविदायें नवीन निविदा फार्म 2.10 में आमंत्रित की जाती है, प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यालय में निविदायें डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी। पोस्टल विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

क्र. एवं कार्य का नामः- 1. होनरेबल जजेस के बंगला नं. ए-2 में किचन मरम्मत, वाटर सप्लाई एवं अन्य मरम्मत कार्य न्यू हाईकोट ग्वालियर।

निविदा प्रपत्र की राशि एवं फार्म	1. ठेके की अनु. लागत (लाख में) 2. अमानत राशि	कोरे निविदा प्रपत्र विक्रय का समय एवं दिनांक	1. निविदा प्राप्ति का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र.1	1. निविदा खोलने का दिनांक 2. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. स.क्र.1	1. कार्यपूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्र.
2000/- "अ"	9.90 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

2. न्यू हाईकोर्ट के सर्विस बिल्डिंग में विभिन्न स्थानों पर स्टोन क्लीडिंग कार्य।

2000/- "अ"	9.99 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

3. न्यू हाईकोर्ट के रोड डिवाइडर का मरम्मत एवं पेंटिंग एवं अन्य मरम्मत कार्य।

2000/- "अ"	9.95 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

4. न्यू हाईकोर्ट में मारबल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन एवं अन्य फ्लोरिंग कार्य।

2000/- "अ"	9.95 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

5. न्यू हाईकोर्ट के बंगला नं. ए-1 में एवं अन्य स्थानों पर मरम्मत एवं अन्य विविध कार्य।

2000/- "अ"	9.97 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

6. न्यू हाईकोर्ट में रिप्लेसमेंट ऑफ मारबल पिलर एवं विभिन्न स्थानों पर रैलिंग का कार्य।

2000/- "अ"	9.95 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

7. न्यू हाईकोर्ट के बंगला नं. ए-3 में एवं अन्य स्थानों पर रेनोवेशन, मरम्मत एवं अन्य विविध कार्य।

2000/- "अ"	9.98 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

8. न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग में ऑयल बांड, डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग एवं मरम्मत कार्य।

2000/- "अ"	9.92 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

9. न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग में प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, टाईल्स फिटिंग कार्य।

2000/- "अ"	9.95 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

10. न्यू हाईकोर्ट कैम्पस में विभिन्न बाउण्ड्रीओं का मरम्मत कार्य।

2000/- "अ"	9.97 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

11. न्यू हाईकोर्ट कैम्पस में विभिन्न टॉयलेटों का रेनोवेशन एवं मरम्मत कार्य।

2000/- "अ"	9.98 20000/-	10.09.2020	11.09.2020	11.09.2020	एक माह केन्द्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

कुल कार्य - 7 कुल अनुमानित लागत अधिकतम राशि रुपये 10.00 लाख
टीप - शेष शर्तें कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

कार्यपालन यंत्री
जी-13802/44343/2020 **लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1 ग्वालियर**

रियायतों के साथ अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स जारी

21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे कार्यक्रम

भोपाल, एक से 30 सितंबर तक की अवधि के लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के पालन हेतु प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि रियायतों के साथ अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी की गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना की चेन-ब्रेकिंग के लिये आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पुख्ता प्रबंध कर निश्चित लोगों की उपस्थिति में 21 सितंबर के बाद कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। गाइडलाइन्स का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी के बाद 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रम किये जा सकेंगे। इसमें भी फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजेशन के प्रबंध रखना अनिवार्य रहेगा।

21 सितंबर 2020 से कन्टेमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग की गतिविधियां संचालिक हो सकेंगी। स्कूलों में 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पालकों की सहमति से स्कूलों में शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये आ सकेंगे। राष्ट्रीय संस्थानों और इससे पंजीकृत संस्थानों में लघु कौशल शिक्षण की अनुमति रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय की सहमति से शोधार्थियों और तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को कोविड-19 की गाइडलाइन्स अनुसार अनुमति प्रदान कर सकेगा। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिये माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन को चिन्हांकित कर सकेंगे। जिला कलेक्टरों को इन जोन्स को वेबसाइट पर अधिसूचित करना होगा। राज्य में कहीं भी आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आने-जाने के लिये किसी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स में 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अत्यावश्यक नहीं होने पर घरों में रहने की सलाह दी गई है।

मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण में हुई ऑनलाइन लोक अदालत

भोपाल, मध्यप्रदेश भू-संपदा अपीलीय अधिकरण, भोपाल (रिएट) में 29 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन लोक अदालत आयोजित की गयी। लोक अदालत के लिये गठित खण्डपीठ के न्यायमूर्ति श्री सुभाष काकड़े एवं सदस्य अधिवक्ता श्री हिमांशु राय एवं श्री जितेन्द्र जादवानी के समक्ष कुल 8 प्रकरण प्रस्तुत किए गए।

इनमें से श्री कृष्णा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स विरुद्ध डॉ. रविन्द्र चतुर्वेदी, मैसर्स प्रशांत सागर बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स विरुद्ध सैयद सलीम हैदरी एवं एम.पी. हाउसिंग विरुद्ध सिद्धार्थ अग्रवाल कुल 3 प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया।

प्रकरण क्रमांक 150/2018 श्री कृष्णा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स विरुद्ध डॉ. रविन्द्र चतुर्वेदी के अधिवक्ता श्री दीपक पंजवानी द्वारा उनके जबलपुर स्थित कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर की गई चर्चा के उपरांत उनके द्वारा ई-मेल के माध्यम से अपनी सहमति भेजी गई।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

क्र.	ग्राम का नाम	भू–स्वामी	खसरा नंबर	रकबा
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	66/3	0.07
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	67/2	1.214
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	68,69	2.096
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	70/3	0.291
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	71/3	0.214
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	57/4	0.38
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	58	0.454
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	59/2, 59/3	2.098
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	59/4	0.7
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	60/3	0.248
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	60/4	0.248
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	61/2	0.712
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	63/1	0.817
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	64/1	1.315
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	64/2	0.202
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	16	1.501
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	44/166	0.121
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	44/167	0.121
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	45/154	0.162
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	45/155/1	0.712
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	45/155/2	0.117
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	45/163	0.028
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	46	2.642
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	46/153	0.15
	बजरंगपुरा	अनामी डेवलपर्स प्रा. लि.	47/1	1.965
107	रणमल बिल्लोद	संतोष पिता भूरा लाल	255/19	0.243
	रणमल बिल्लोद	संतोष पिता भूरा लाल	267/8	1.031
108	काली बिल्लोद	रामनारायण सिंह	195/2	2.322
	काली बिल्लोद	रामनारायण सिंह	195/9	0.784
109	काली बिल्लोद	राधाकृष्ण कन्हैयालाल धाकड़	195/5	1.161
110	काली बिल्लोद	प्रकाश एवं भरत धाकड़	188/1	1.769
	काली बिल्लोद	प्रकाश एवं भरत धाकड़	195/6	1.165
111	काली बिल्लोद	प्रकाश धाकड़	195/3	0.783
112	काली बिल्लोद	शकीर खान पिता शब्बिर	228/1	1.521
113	-	-	-	-
114	सलमपुर	सूर्यपाल सिंह पिता राजेन्द्र सिंह	360/1	3.9
	सलमपुर	सूर्यपाल सिंह पिता राजेन्द्र सिंह	360/2	1.519
	सलमपुर	सूर्यपाल सिंह पिता राजेन्द्र सिंह	360/3	0.253
	सलमपुर	सूर्यपाल सिंह पिता राजेन्द्र सिंह (जगदीश पिता रघुवीर सिंह)	360/4/1	0.083
	सलमपुर	प्रताप पिता रघुवीर सिंह	360/4/2	1.603
	सलमपुर	रमेश पिता रघुवीर सिंह	360/4/3	0.844
	सलमपुर	सूर्यपाल सिंह पिता राजेन्द्र सिंह	360/5	
115	सलमपुर	गिरिराज कुमारी पिता ओंकार सिंह	361/2	0.705
	सलमपुर	गिरिराज कुमारी पिता ओंकार सिंह	365	2.715
116	सलमपुर	कमला कुंवर	366/3	0.19
117	माटखेडी	डोमेनिका कन्सट्रक्शन	26	1.473
	माटखेड़ी	डोमेनिका कन्सट्रक्शन	30	0.781
118	माटखेडी	मांगीलाल/आईएसईबी खान	13/1	0.54
	माटखेड़ी	मांगीलाल/आईएसईबी खान	13/2	0.54
119	माटखेडी	ओमप्रकाश, मनोहर, गायत्री, मदीना	154/3	0.591
	माटखेड़ी	मोहम्मद सुहैल	154/5	0.592
120	माटखेडी	विजय धनवर	61/2	1.307
121	माटखेडी	मोहम्मद सुहैल कुरैशी (सूरज पिता मूलचंद)	96/2	0.506
122	माटखेडी	मोहम्मद सुहैल कुरैशी (सूरज पिता मूलचंद)	12/5	0.274
	माटखेड़ी	मोहम्मद सुहैल कुरैशी (सूरज पिता मूलचंद)	12/4	0.272
	माटखेड़ी	मोहम्मद सुहैल कुरैशी (उषाबाई)	12/3	0.274
	माटखेड़ी	मोहम्मद सुहैल कुरैशी (बद्रीलाल)	12/2	0.272
	माटखेड़ी	मोहम्मद सुहैल कुरैशी (केदार घनश्याम दास)	11/3	0.55
	माटखेड़ी	मोहम्मद सुहैल कुरैशी (सूरज पिता मूलचंद)	11/2	0.551
	माटखेड़ी	मुहम्मद सुहैल कुरैशी (रमेश पिता मूलचंद)	11/1/5	0.11
	माटखेड़ी	मुहम्मद सुहैल कुरैशी (कैलाश पिता मूलचंद)	11/1/4	0.11
	माटखेड़ी	मुहम्मद सुहैल कुरैशी (उषाबाई)	11/1/3	0.11
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	11/1/2	0.11
123	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	219	0
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	218	0
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	217/2	0.129
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	174	0.22
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	154/1	0.567
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	129	0.759
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	128	0.64
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	127	0.376
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	125	0.332
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	124	0.943
	माटखेड़ी	बालकृष्ण कटारा	123	0.194
124	गवला	शहनाज बी	79/2/2/2	1.881
125	माटखेड़ी	मोहम्मद बशीर पिता ए.कादिर	10/3/1	1.391
	माटखेड़ी	मोहम्मद बशीर पिता ए.कादिर	10/4	1.89
126	माटखेड़ी	मोहम्मद खान पिता शेर खान	133	1.821

यदि उक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय, शासकीय या अर्धशासकीय विभाग, वित्तीय संस्था, बैंक का कोई ऋणभार, हक, अधिकार तथा विवाद आदि हो अथवा इस भूमि के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो **इस सूचना के प्रकाशन से 10 दिनों में** निम्न पते पर मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करें। नियत अवधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर निगम विचार करने हेतु बाध्य नहीं रहेगा।

पता : एमपीआईडीसी, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल अतुल्य आई.टी. पार्क, खण्डवा रोड, इन्दौर
फोन : 0731–2970611, 2974363, 2971211, फैक्स : 0731–2972629, ईमेल : ed.roind@mpidc.co.in

म.प्र. माध्यम/98396/2020

कार्यकारी संचालक

R-44344/2020

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

सांख्यिकी

1. "सांख्यिकी अनुमानों तथा सम्भाविताओं का विज्ञान है" यह कथन किसका है?
A. वॉड्रिगटन
B. डॉ. वाउले
C. सेलिगमैन
D. प्रो. फिशर
उत्तर- A. वॉड्रिगटन

2. "अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकीय रीतियाँ अत्याधिक भयानक अस्त्र हैं' यह कथन किसका है?
A. यूल एंड केण्डाल
B. प्रो. फिशर
C. सेलिगमैन
D. या-तुन-चाऊ
उत्तर- A. यूल एंड केण्डाल

3. "एक आश्चर्यजनक सीमा तक हमारी संस्कृति सांख्यिकीय संस्कृति बन चुकी है" यह कथन किसका है?
A. वॉकर
B. डॉ. वाउले
C. लार्ड केल्विन
D. जॉनसन तथा जैक्सन
उत्तर- A. वॉकर

4. "सांख्यिकी का ज्ञान किसी विदेशी भाषा अथवा बीजगणित के ज्ञान के समान है, जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में उपयोगी हो सकता है" यह कथन किसका है?
A. डॉ. वाउले
B. जवेन्स
C. टिपेट
D. डिजरायली
उत्तर- A. डॉ. वाउले

5. "सांख्यिकी विज्ञान एक अत्यंत लाभदायक सेवक है, किन्तु उसका अधिक मूल्य केवल उन्हीं के लिए है जो इसका उचित प्रयोग जानते हैं।" यह कथन किसका है?
A. W.I. किंग
B. डॉ. वाउले
C. राबर्ट्स
D. प्रो. फिशर
उत्तर- A. W.I. किंग

6. "सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार तथा दिशा सूचक यन्त्र रहित जहाज के समान है।" यह कथन किसका है?
A. टिपेट
B. डॉ. वाउले
C. या-तुन-चाऊ
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- A. टिपेट

7. 'किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति हेतु एक स्पष्ट योजना बनाकर सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति से सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करते हुए संबंधित समंक संकलित करना तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना कहा जाता है?
A. सांख्यिकीय अनुसंधान
B. समंकों का सम्पादन (Editing)
C. उपसादन (Approximation)
D. सांख्यिकीय त्रुटि (Statistical Error)
उत्तर- A. सांख्यिकीय अनुसंधान

8. किसी पद के वास्तविक मूल्य तथा अनुमानित मूल्य के अंतर को कहते हैं?
A. समंकों का सम्पादन
B. सांख्यिकीय विभ्रम
C. उपसादन
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- B. सांख्यिकीय विभ्रम

9. जब अनुसंधान के विषय से संबंधित समग्र या समूह की प्रत्येक इकाई का सर्वेक्षण किया जाता है तो इसे कहते हैं?
A. निदर्शन (Sampling) अनुसंधान
B. संगणना (Census) अनुसंधान
C. A तथा B दोनों
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- B. संगणना (Census) अनुसंधान

10. "केवल कुछ पौण्ड कोयले की जाँच के आधार पर एक गाड़ी कोयला अस्वीकृत या स्वीकृत कर दिया जाता है, केवल एक बूंद रक्त की जाँच करके एक रोगी के रक्त के विषय में चिकित्सक निष्कर्ष निकालता है न्यादर्श (Sample) ऐसी युक्तियां हैं जिनके द्वारा केवल कुछ इकाइयों का निरीक्षण करके वृहद् मात्राओं के बारे में जाना जाता है" यह कथन किसके द्वारा लिखा गया है?
A. ए.सी. रोसेण्डर
B. स्नेडेकॉर
C. बॉकर
D. लार्ड केल्विन
उत्तर- B. स्नेडेकॉर

11. निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है?
A. भारतीय जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए प्राथमिक हैं परंतु अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए द्वितीयक होते हैं।
B. द्वितीयक समंक मौलिक होते हैं।
C. प्रत्येक समंकों को एकत्र करने की एक रीति है।
D. द्वितीयक समंकों को प्रयोग करते समय उनकी आलोचनात्मक जाँच एवं विश्वसनीयता की परख अवश्य कर लेनी चाहिए।
उत्तर- B. द्वितीयक समंक मौलिक होते हैं।
व्याख्या- द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं, क्योंकि वह पहले से विद्यमान होते हैं तथा अनुसंधानकर्ता केवल उनका उपयोग करता है।

12. "वर्गीकरण तथा क्रमबद्ध तथ्य स्वयं बोलते हैं अव्यवस्थित रूप में वे मांस के समान मृत होते हैं" यह किसका कथन है?
A. नेटर व वासरमैन
B. जे.आर. हिम्स
C. सेलिगमैन
D. यूल एंड केण्डाल
उत्तर- B. जे.आर. हिम्स

13. संकलित आंकड़ों को किसी गुण के आधार पर समान व असमान कर अलग-अलग वर्गों में बांटने की प्रक्रिया को कहा जाता है?
A. सांख्यिकीय अनुसंधान
B. वर्गीकरण (Classification)
C. सारणीयन (Tabulation)
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- B. वर्गीकरण (Classification)

14. जिस श्रेणी में प्रत्येक पद पूर्णतः स्वतंत्र होता है तथा प्रत्येक पद को स्वतंत्र रूप से महत्व दिया जाता है उस श्रेणी को कहते हैं?
A. खण्डित श्रेणी (Discrete series)
B. व्यक्तिगत श्रेणी (Individual series)
C. अखण्डित श्रेणी (Continuous series)
D. A तथा B दोनों
उत्तर- B. व्यक्तिगत श्रेणी (Individual series)

15. एक श्रेणी का वह मूल्य जो अन्य किसी मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आता है उसे कहते हैं?
A. माध्य (Average)
B. सामूहिक माध्य
C. बहुलक (Mode)
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- C. बहुलक (Mode)

16. 50 छात्रों के माध्य (Mean) अंक 40 पाये गए। बाद में पता चला कि एक स्कोर 23 को गलती से 32 पढ़ा गया। सही स्कोर के संगत सही माध्य होगा?
A. 38
B. 38.5
C. 39.82
D. 41
उत्तर- C. 39.82
हल - 50 छात्रों के स्कोर का कुल योग $= 50 \times 40 = 2000$
50 छात्रों के स्कोरों का सही कुल योग $= 2000$ — गलत स्कोर + सही स्कोर $= 2000 - 32 + 23 = 1991$
सही माध्य $= \frac{1991}{50} = 39.82$

17. एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 7 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष थी जो कि कक्षा छोड़कर चले गए एवं 05 विद्यार्थी जिनकी आयु 17, 16, 15, 14, 14 वर्ष थी कक्षा में प्रविष्ट हुए। कक्षा में विद्यार्थियों की वर्तमान औसत आयु क्या होगी?
A. 17 वर्ष
B. 17.5 वर्ष
C. 18 वर्ष
D. 18.5 वर्ष
उत्तर- C. 18 वर्ष
हल - 60 विद्यार्थियों की कुल आयु $60 \times 18 = 1080$ वर्ष, 7 विद्यार्थियों की कुल आयु जो कक्षा छोड़ गए $= 7 \times 16 = 112$ वर्ष, 5 विद्यार्थियों की कुल आयु जो कक्षा में प्रविष्ट हुए $17+16+15+14+14 = 76$ वर्ष अब $60 - 7 + 5 = 58$ विधार्थियों की कुल आयु $= 1080 - 112 + 76 = 1044$ वर्ष
इसीलिए वर्तमान औसत आयु $\frac{1044}{58} = 18$ वर्ष

18. निम्न में से कौनसा सूत्र चतुर्थक विचलन (Quartile Deviation) ज्ञात करने का है?
A. $Q_3 + Q_1$
B. $\frac{Q_3 + Q_1}{2}$
C. $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$
D. $\frac{Q_3 - Q_1}{4}$
उत्तर- C. $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

19. किसी वितरण में कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक + 0.4, प्रमाप विचलन 6.5 तथा माध्य 29.6 हो तो बहुलक (Mode) क्या होगा?
A. 25
B. 26
C. 27
D. 28
उत्तर- C. 27
हल - कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक (J)
$= \frac{\text{माध्य - बहुलक}}{\text{प्रमाप विचलन}}$
$= - = \frac{29.6 - \text{बहुलक}}{6.5}$
$= 0.4 \times 6.5 = 29.6 - \text{बहुलक}$
$2.6 = 29.6 - \text{बहुलक}$
बहुलक $= 29.6 - 2.6$
$= \boxed{27}$

20. यदि विषमता गुणांक = - 0.4 माध्यिका (Median) = 48 हो तथा माध्य (Mean) = 45 हो तो प्रमाप विचलन (Standard Deviation) क्या होगा?
A. 21.5
B. 22
C. 22.5
D. 23.78
उत्तर- C. 22.5
हल - विषमता गुणांक,

$$(J) = \frac{3(\text{माध्य} - \text{माध्यिक})}{\text{प्रमाप विचलन}}$$

$$-0.4 = \frac{3(45-48)}{\text{प्रमाप विचलन}}$$

$$-0.4 = \frac{3(-3)}{\text{प्रमाप विचलन}}$$

$$-0.4 = \frac{-9}{\text{प्रमाप विचलन}}$$

-0.4 प्रमाप विचलन $= -9$

प्रमाप विचलन $= \frac{-9}{-0.4} = \boxed{22.5}$

21. यदि दो प्रतीपगमन गुणांक - 0.8 तथा - 0.2 हों तो सहसम्बन्ध गुणांक (r) का मान क्या होगा?
A. + 0.4
B. + 0.2
C. - 0.4
D. - 0.2
उत्तर- C. - 0.4

$$r = \sqrt{bxy \times byx}$$
$$= \sqrt{-0.8 \times -0.2}$$
$$= -\sqrt{0.8 \times 0.2}$$
$$= -\sqrt{0.16}$$
$$= -0.4$$

नोट - प्रतीपगमन गुणांकों की सहायता से सहसम्बन्ध गुणांक (r) का परिकलन करते समय यदि दोनों प्रतीपगमन गुणांक ऋणात्मक हों तो सहसम्बन्ध गुणांक भी ऋणात्मक होता है।

22. सहसम्बन्ध (Correlatian) के सम्बन्ध में कौनसा कथन सत्य है?
A. सीमित सहसम्बन्ध उच्च स्तर, मध्य स्तर तथा निम्न स्तर का हो सकता है।
B. यदि दो चरों के मध्य सहसम्बन्ध पाया जाता है परन्तु परिणाम सम्बन्ध नहीं पाया जाता है तो उस सहसम्बन्ध को निरर्थक सहसम्बन्ध कहा जाता है।
C. प्रतीपगमन (Regrssion) तथा विचरण अनुपात (Ratio of Variation) की धारणाएं सहसम्बन्ध सम्बन्धी सिद्धांत पर आधारित हैं।
D. सभी कथन सत्य हैं।
उत्तर- D. सभी कथन सत्य हैं।

23. दो या दो से अधिक श्रेणियों में सहसम्बन्ध ज्ञात करने की कौनसी रीति है?
A. स्पीयरमैन की श्रेणी-अन्तर विधि
B. संगामी विचलन गुणांक रीति
C. कार्ल पियर्सन का सहसम्बन्ध गुणांक रीति
D. ये सभी
उत्तर- D. ये सभी

24. निम्न में से कौनसा सूत्र कार्ल पियर्सन सहसम्बन्ध गुणांक के परिकलन से संबंधित है?
A. $\frac{r = \sum dxdy}{N \times X \text{ श्रेणी का प्रमाप विचलन} \times y \text{ श्रेणी का प्रमाप विचलन}}$
B. $r = \sqrt{bxy \times byx}$
C. $r = \frac{\sum dxdy}{\sqrt{\sum dx^2 \times \sum dy^2}}$
D. ये सभी
उत्तर- D. ये सभी

25. सहसम्बन्ध गुणांक का मान सार्थक है या नहीं, इसके लिए प्रयोग किया जाता है?
A. सम्भाव्य विभ्रम (Probable Error)
B. प्रमाप विभ्रम (Standard Error)
C. A तथा B दोनों का
D. इनमें से कोई नहीं
उत्तर- C. A तथा B दोनों का

- डॉ. डी.सी. राठी
(लेखक, शासकीय महाविद्यालय, (राऊ) इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर (वाणिज्य) हैं।)

कोई भी काम शुरू करने से पहले यह पता करना जरूरी है कि आप क्यों, किसके लिये और कैसे काम का निष्पादन कर सकेंगे – चाणक्य

MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

MPRDC

(Govt. of M.P. Undertaking)
45-A, Arera Hills, Bhopal – 462 011, (Madhya Pradesh)
Phone : 0755-2527290, 2765205, Fax : (EPBX), 0755-2572643, Website : www.mprdc.gov.in
CIN : U45203MP2004SGC016758

NIT No. 5590/474/MPRDC/Procu/2020 Bhopal, Date : 04.09.2020

निविदा आमंत्रण

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा निम्न कार्यों हेतु प्रतिशत दर पर ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	धरोहर राशि (रुपये लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाकाल सहित)
1.	सुन्दरा-सिंहपुर-कोठी-जैतवारा-बिरसिंहपुर-सेमरिया मार्ग (पुराना एस.एच.-52, नया एस.एच.-13) किमी. 8 से 21, 48 से 52, 62 से 81, 84 से 86 (कुल लंबाई-42.00 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	622.90	6.23	20,000/-	6 माह
2.	बुढ़ार-अमरकंटक मार्ग (एस.एच.-34) किमी. 4, 5 (600 मी.), 6 (400 मी.), 13, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 33 से 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 53, 58 से 61, 63, 67, 69 से 74, 76, 77, 79, 81 (200 मी.) (कुल लंबाई-40.20 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	590.85	5.91	20,000/-	6 माह
3.	कटनी-बरही-ताला-जैसिंहनगर मार्ग छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक किमी. 13 से 21, 24 से 27, 29, 30, 32 से 35, 38, 44, 46, 48 से 53, 59 से 63, 68 से 70, 74 से 75 (कुल लंबाई-38 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	558.52	5.59	20,000/-	6 माह
4.	राहतगढ़-खुरई-खिमलासा मार्ग के किमी. 16 से 47.60 (कुल लंबाई-32.6 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	470.93	4.71	15,000/-	5 माह
5.	गुना-फतेहगढ़-पारोन मार्ग (एस.एच.-23) किमी. 01 से 29 (कुल लंबाई-29 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	408.39	4.08	15,000/-	5 माह
6.	सिवनी-नैनपुर मार्ग किमी. 19/10, 20/2-4, 27/2-8, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54/2-8, 55, 56, 59, 72, 73, 74 (कुल लंबाई-20.20 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	399.06	3.99	15,000/-	4 माह
7.	सागर-रेहली मार्ग के किमी. 01 से 15 एवं 32 से 42.20 (कुल लंबाई-26.20 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	385.07	3.85	15,000/-	4 माह
8.	जीरापुर-माचलपुर-सोयत मार्ग किमी. 57 से 76 (कुल लंबाई-20 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	351.21	3.51	15,000/-	3 माह
9.	सागरटोला-बजाग-पडरिया मार्ग किमी. 01 से 17, 20 से 22 एवं 26 से 28 (कुल लंबाई-22 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	339.21	3.39	15,000/-	4 माह
10.	बालाघाट-बैहर मार्ग (एस.एच.-47) किमी. 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 64 (कुल लंबाई-15 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	298.32	2.98	15,000/-	3 माह
11.	बैहर-सालेटेकरी मार्ग (एस.एच.-48) किमी. 29 से 43 (कुल लंबाई-15 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	283.10	2.83	15,000/-	3 माह
12.	पिपरिया-पचमढ़ी मार्ग में किमी. 109 से 114, 116 से 117, 24 से 28 (कुल लंबाई-13 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	153.35	1.53	12,500/-	3 माह
13.	पन्ना-अजयगढ़ मार्ग (एस.एच.-55) किमी. 15 से 24 (कुल लंबाई-10 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	147.01	1.47	12,500/-	3 माह
14.	छापीखेड़ा-नलखेड़ा मार्ग के किमी. 15 से 24 (कुल लंबाई-10 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	140.31	1.40	12,500/-	3 माह
15.	हीरापुर-बमनोरा मार्ग के किमी. 01 से 08 (कुल लंबाई-8 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	118.65	1.19	12,500/-	3 माह
16.	लुन्हेरा-माण्डव मार्ग के किमी. 05 से 12 (कुल लंबाई-7 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	113.82	1.14	12,500/-	3 माह
17.	पन्ना बायपास मार्ग किमी. 01 से 5.29 (कुल लंबाई-5.29 किमी.) में नवीनीकरण कार्य।	77.77	0.78	10,000/-	3 माह
18.	सेन्धवा-खेतिया मार्ग पर पानसेमल ग्राम के समीप स्थित वृहद पुल के सर्विस रोड लंबाई-140.00 मी. एवं वेंटड कॉजवे का निर्माण।	68.87	0.69	10,000/-	6 माह
19.	होशंगाबाद-पिपरिया-पचमढ़ी मार्ग के किमी. 244.625 से किमी. 245.955 में तवा नदी पर स्थित वृहद पुल का मरम्मत एवं पुनर्वास कार्य।	184.98	1.85	12,500/-	8 माह
20.	डबरा-भितरवार-हरसी मार्ग (डबरा शहरी भाग) में किमी. 0+900 पर आर.ओ.बी. के संधारण का कार्य **(चतुर्थ आमंत्रण)**।	18.88	0.38	2,000/-	3 माह
21.	सप्लाई इन्स्टालेशन टेस्टिंग एवं कमिशनिंग 1 नग 33 के.व्ही./0.415 के.व्ही. 200 के.व्ही.ए. ट्रान्सफॉरमर इंक्लुडिंग एच.टी. केबल 33 के.व्ही. ग्रेड, एस./एस. अर्थिंग, ए.बी. स्विच, एल.ए. इत्यादि डिस्कॉम के अनुसार। मुबारकपुर टोल प्लाजा को एचटी आपूर्ति के लिये आवश्यक विशिष्टता और 11 मील टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा को एच.टी. सप्लाई देने के लिये 1 नग 11/0.415 के.व्ही. 200 के.व्ही.ए. ट्रान्सफॉरमर इंक्लुडिंग ऑल एक्सेसरीज जैसे एच.टी. केबल, अर्थिंग, ए.बी. स्विच, एल.ए., डी.ओ. फ्यूज इत्यादि। **(द्वितीय आमंत्रण)**	14.68	0.295	2,000/-	1 माह

निविदा क्रय करने, निविदा जमा करने आदि का विवरण की-डेट्स में दिया गया है। निविदा प्रपत्र केवल वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** से **15.30 बजे दिनांक 08.10.2020 तक** क्रय किया जा सकता है। निविदाकारों को तकनीकी निविदा (एनवलप-ए एवं ब) एवं वित्तीय दर (एनवलप-स) केवल **ऑनलाइन** ही भरनी है। परिशिष्ट एवं शुद्धिपत्र (कोई भी) वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित किया जावेगा। निविदा खोलने के दिनांक को मध्यप्रदेश शासन द्वारा अवकाश घोषित करने पर उक्त कार्य अगले कार्यदिवस में संपादित किया जावेगा।
म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड को किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

म.प्र. माध्यम/98385/44341/2020

प्रबंध संचालक

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
समाज विज्ञान अध्ययन शाला

विज्ञप्ति

ICSSR की IMPRESS Policy के तहत एक Minor Project के लिए शोधार्थी को रखा जाना है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शोधार्थी समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर/एम फिल/नेट/पीएचडी अर्हताधारी होना चाहिये। भुगतान नियम व शर्तों के अनुसार किया जाएगा। आवेदन विज्ञप्ति दिनांक के 10 दिन के भीतर निम्नलिखित ईमेल एड्रेस पर मेल करें।

sdixit.sss@dauniv.ac.in, Contact No.-9926303470

निदेशक
डॉ. सारिका दीक्षित

विभागाध्यक्ष
प्रो. रेखा आचार्य

म.प्र. माध्यम/98387/44340/2020

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग स.क्र. -1 ग्वालियर

फोन नं. 0751 & 2371231, ई-मेल : eepwd1gwl@mp.nic.in

निविदा संशोधन सूचना

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्र. 5616/TC/TC2020-21 दिनांक 31.08.2020 द्वारा एन.आई.टी. क्र. 27 दिनांक 31.08.2020 को आमंत्रित की गई थी जिसका ऑनलाइन विज्ञापन नंबर - **O2020090205876** है एवं आपके द्वारा प्रदत्त ऑनलाइन जी-नम्बर **G13646/20** है, अतः उपरोक्त जी-नम्बर **G13646/20 द्वारा प्रकाशित** एन.आई.टी. को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जावे।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
संभाग क्र.1, ग्वालियर (म.प्र.), फोन 07512371231

जी-13788/44342/2020

बड़े बांधों और जलाशयों की स्थिति पर रखी जाये नजर

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को जिले के बड़े बांधों और जलाशयों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि बांधों और जलाशयों के लिये तैनात अमला पूर्ण सजग, सतर्क रहे। संभागीय कमिश्नर्स भी नियमित मॉनीटरिंग कर कठिनाई की स्थिति में समाधान निकालें। बारिश की स्थितियां जब-तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो जातीं, तब-तक राज्य एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे कार्य कर त्वरित रूप से रिस्पॉंस करें।

मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित मकान एवं फसलों में हुए नुकसान का सर्वे प्राथमिकता के आधार पर करवाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राजस्व अमले के साथ कृषि, उद्यानिकी विभाग, स्थानीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारियों की संयुक्त टीमें बनाकर सर्वे का कार्य समय-सीमा में पूरा करा लिया जावे। सर्वे कार्य के पश्चात पात्रतानुसार मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों से सोयाबीन की फसल में 'यलो मोजेक' कीट लगने की सूचना आई है। फसलों की इससे सुरक्षा के हरसंभव उपाय करें, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान न हो। सभी कलेक्टर्स अपने जिलों में इसकी रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में लगाये गये बाढ़ राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी, दवाईयां, बिजली, साफ-सफाई आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जिला कलेक्टरों को दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन कार्यों के लिये यदि जिलों से मांग प्राप्त होती है तो राज्य स्तर से आवश्यक सहयोग तत्काल किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव कम या खत्म होते ही डेंगू, हैजा, मलेरिया, डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का भय बना रहता है। अतः सुनिश्चित किया जाये कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई, दवाओं का छिड़काव, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायें, ताकि बीमारियां न फैलें।

श्री चौहान ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिये स्वास्थ्य विभाग को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम में दवाओं के डिपो होल्डर्स के पास सामान्य दवाओं का पूरा स्टॉक रखा जाना सुनिश्चित करें।

भोपाल जिले में 15 करोड़ रुपये के होंगे विकास कार्य

भोपाल, प्रदेश में भोपाल जिले का चयन अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले के रूप में किया गया है। इसके लिये केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस राशि से भोपाल में 3 अल्पसंख्यक प्री एवं पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन तैयार कर प्रारंभ किये गये हैं। इसके साथ ही जिले में आंगनवाड़ी और इंदिरा आवास भवनों का भी निर्माण किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा मंजूर राशि से 100 सीटर का एक पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भोपाल के काजी कैम्प में संचालित किया जा रहा है। भोपाल जिले में 158 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, इसमें से 143 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी

इंदौर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा ने इंदौर में उद्योगपतियों के साथ बैठक में कहा है कि मध्यप्रदेश शासन ने गुजरात सरकार से समुद्र के किनारे बंदरगाह बनाने के लिये जमीन माँगी है, जिससे प्रदेश के आयात और निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

श्री सखलेचा ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को सभी मूलभूत सुविधाएँ मुहैया करायी जा रही हैं। सिंगल प्लेटफार्म पर उन्हें नये उद्योगों की अनुमति दी जा रही है। उन्हें बिना गारण्टी के ऋण दिया जा रहा है। प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। राज्य शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को बिजली में रियायत देने पर विचार कर रहा है। नये उद्यम की स्थापना के लिये एक हजार एकड़ जमीन चयनित कर आरक्षित कर दी गई है।

बैठक में श्री सकलेचा ने यह भी कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की खोजों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में मूर्त रूप दिया जायेगा, जिससे उन खोजों का लाभ आम आदमी को मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को प्रदेश में अमल में लाया जा रहा है। मध्यप्रदेश के उत्पादों को हम देश-विदेश में निर्यात करेंगे। मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को माल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। श्री सखलेचा ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देना है। व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है और उनके स्वाभिमान और सम्मान की भी रक्षा करना है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से पूरे देश में आसानी से पक्का माल भेजा जा सकता है और कच्चा माल मंगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि इंदौर में सूचना प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां पर बिजली सरप्लस में है अर्थात दूसरे राज्यों को बेची जा रही है। हमें उद्योगों के साथ श्रमिक कल्याण पर भी ध्यान देना जरूरी है। सड़क, पानी और साफ-सफाई का दायित्व नगरीय निकायों का है। उनके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में यह काम करवाया जायेगा। इंदौर में 32 किलोमीटर के रेडियस में अनेक नये औद्योगिक क्षेत्र बनाये जा रहे हैं, जिसमें विकसित और अविकसित दोनों तरह के भूखण्ड होंगे। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्योग ऐसा क्षेत्र है, जिसमें कृषि के बाद सर्वाधिक रोज़गार मिलता है। अगले बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के हित में अनेक प्रावधान किये जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

उन्होंने कहा कि मजदूरों के लिये अस्पताल और टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। उद्योगपतियों के सुझावों को राज्य शासन निश्चित रूप से अमल में लायेगा। इंदौर में नया 'मेडिकल हब' विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा हर तीन माह में उद्योगपतियों से औद्योगिक विकास पर चर्चा की जायेगी। इंदौर में शीघ्र ही कान्फेक्शनरी, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिक वायर के लिये विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।

खेलचर्चा

बायो बबल पर 160 करोड़ रुपये खर्च करेगा सीए

मेलबर्न, कोरोना महामारी के कारण बंद पड़ी क्रिकेट गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने बायो बबल का खाका तैयार किया है। सीए इस बायो बबल का इस्तेमाल भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे और बिग बैश लीग के लिये करेगा। इस बायो बबल पर लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार, सीए ने सेवन वेस्ट मीडिया के साथ संबंध बनाये रखने और प्रसारण अधिकार को बचाने के लिये आगामी टूर्नामेंट्स के बायो बबल के लिये बड़ा बजट रखा है। उल्लेखनीय है कि बायो बबल एक प्रोटोकॉल है। टूर्नामेंट शुरू होने और टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को इस प्रोटोकॉल के अनुसार रहना होगा। इसमें खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों की कोरोना जांच भी शामिल है।

लियोन ने जीता महिला चैम्पियंस लीग का खिताब

सैन सेबेस्टियन, फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब लियोन ने महिला चैम्पियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में लियोन ने वोल्फ्सबर्ग को 3-1 से हराया। लियोन की तरफ से इयुगेनी ली सोमर, साकी कुमागाई और सारा ब्योर्क गुनार्सडोटिर ने गोल किए, वहीं वोल्फ्सबर्ग की तरफ से एकमात्र गोल एलेक्स पोप ने किया। लियोन ने लगातार पांचवीं बार तथा कुल सातवीं बार महिला चैम्पियंस लीग का खिताब जीता है।

इंग्लैंड-पाकिस्तान ट्वेंटी-20 सीरीज हुई ड्रॉ

मेनचेस्टर, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली गई तीन मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई है। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की, वहीं तीसरे मैच को पाकिस्तान ने 5 रन से अपने नाम किया।

सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 190 रन बनाए। विशाल लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पारी शुरू में लड़खड़ा गई। इंग्लैंड के चार विकेट महज 69 रन पर आउट हो गए। इसके बाद टॉम बैंटन (46) और मोइन अली (61) ने पारी को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 185 रन ही बना सकी।

ब्रायन बंधुओं ने लिया टेनिस से संन्यास

न्यूयॉर्क, अमेरिका की दिग्गज ब्रायन बंधुओं की जोड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन की जोड़ी टेनिस की सर्वकालिक महान पुरुष युगल जोड़ी मानी जाती है। ब्रायन बंधुओं ने अपने 22 वर्ष के टेनिस कॅरियर में 119 खिताब जीते हैं। इनमें 16 ग्रैंड स्लैम, 39 एटीपी मास्टर्स और चार एटीपी फाइनल्स खिताब शामिल हैं। यह जोड़ी 438 सप्ताह तक टेनिस रैंकिंग में पुरुष युगल वर्ग में शीर्ष पर रही है। इस जोड़ी ने वर्ष 2014 में शंघाई मास्टर्स जीतने के बाद अपना कॅरियर गोल्डन मास्टर्स पूरा कर इतिहास रचा था।

राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा

इनाम-उर-रहमान को मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार

भोपाल, प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़ी हस्तियों को खेलों में किये गये उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये राज्य-स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन कुमार जैन ने टी.टी. नगर स्टेडियम में राज्य-स्तरीय विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र, स्वर्गीय प्रभाष जोशी एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों की घोषणा की। श्री जैन ने जानकारी दी कि वर्ष 2019 के स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिये चयन समिति द्वारा किसी भी खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा नहीं की गई थी। श्री जैन ने बताया कि वर्ष 2020 के राज्य-स्तरीय पुरस्कारों के लिये नये नियम बनाये जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों एवं खेल संघों के सुझाव और समस्याओं का ध्यान रखा जायेगा।

संचालक खेल श्री पवन कुमार जैन ने बताया कि वर्ष 2019 के लिये भोपाल के ओलिम्पियन हॉकी खिलाड़ी श्री इनाम-उर-रहमान का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2002 से प्रारंभ किया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है, जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिये जीवन पर्यन्त योगदान दिया हो।

एकलव्य पुरस्कार-2019

व्यक्तिगत खेलों में भिण्ड के श्री अजातशत्रु शर्मा केनोइंग-कयाकिंग, देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, खरगोन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कु. गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कु. अंशिता पाण्डे वुशु, इंदौर के श्री परम पदम् बिरथरे तैराकी, भोपाल के श्री शंकर पाण्डेय फैंसिंग, उज्जैन के श्री अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले टेबल-टेनिस, धार के श्री प्रियांशु राजावत बैडमिंटन और राजगढ़ के श्री गोविन्द बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार के लिये चयनित किया गया है। दलीय खेलों में टीकमगढ़ की कु. शिवांगनी वर्मा सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. इशिका चौधरी हॉकी शामिल हैं। परम्परागत खेलों (ओलिम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में इंदौर की कु. नित्यता जैन शतरंज शामिल हैं।

मेजर ध्यानचंद के साथ मध्यप्रदेश के हॉकी खिलाड़ी इनाम-उर-रहमान।

विक्रम पुरस्कार-2019

व्यक्तिगत खेलों में भोपाल की कु. राजेश्वरी कुशराम केनोइंग-कयाकिंग, भोपाल के श्री फराज खान घुड़सवारी, इंदौर के श्री अद्वैत पागे तैराकी, जबलपुर की कु. मुस्कान किरार आर्चरी, देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस तथा भोपाल की कु. चिंकी यादव शूटिंग को वर्ष 2019 के लिये विक्रम पुरस्कार के लिये चुना गया है। दलीय खेलों में इंदौर की कु. पूजा पारखे सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कु. करिश्मा यादव हॉकी शामिल हैं। दिव्यांग वर्ग (ओलिम्पिक, एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल) में कु. जानकी बाई जूडो तथा परम्परागत खेलों (ओलिम्पिक एशियन गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल) में भोपाल के श्री चंद्रकांत हरडे थ्रो-बॉल को शामिल किया गया है।

विश्वामित्र पुरस्कार-2019

व्यक्तिगत खेलों में इंदौर के श्री अभिलाष एम.टी. तैराकी और भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव सैलिंग तथा दलीय खेल में इंदौर के श्री शरद जपे खो-खो को विश्वामित्र पुरस्कार के लिये चुना गया है।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में हुई वृद्धि

नई दिल्ली, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस वर्ष से राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में वृद्धि की है। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कारों की सात श्रेणियों में से चार के लिए पुरस्कार की राशि बढ़ाने की घोषणा की। इस घोषणा के तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अब 7.5 लाख रुपये की जगह 25 लाख रुपये दिये जायेंगे। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवनकाल) की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित) की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के विजेताओं को अब 5 लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। इस वर्ष खेल पुरस्कार के विजेताओं को बढ़ी हुई राशि का लाभ दिया गया है।

यू.एस. ओपन

सेरेना ने सबसे ज्यादा मैच जीतने का बनाया रिकॉर्ड

न्यूयॉर्क, अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के पहले राउंड का मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। सेरेना ने पहले राउंड में अमेरिका की क्रिस्टी एन को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराया। यह यूएस ओपन में सेरेना की 102वीं जीत है। सेरेना यूएस ओपन में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सेरेना से पहले यह रिकॉर्ड क्रिस एवर्ट के नाम था। एवर्ट ने वर्ष 1971 से 1989 के दौरान यूएस ओपन में कुल 113 मैच खेले थे, इनमें से 101 मैच में उन्हें जीत मिली थी। वहीं सेरेना ने वर्ष 1998 से अब तक यूएस ओपन में 115 मैच खेले हैं, इनमें से 102 मैच उन्होंने जीते हैं।

वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन

नोवाक जोकोविच ने जीता 35वां मास्टर्स खिताब

सिनसिनाटी, सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन की तैयारी को पुख्ता करते हुए वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में जोकोविच ने कनाडा के युवा खिलाड़ी मिलोस राओनिक को 1-6, 6-3, 6-4 से हराया। मैच में पहला सेट जीतकर राओनिक ने जोकोविच को टक्कर दी, लेकिन अगले दो सेटों में जोकोविच की तेज सर्विस और जबरदस्त बैकहैंड शॉट के सामने राओनिक टिक नहीं पाए। दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 11 मैच हुए हैं। जोकोविच ने सभी मैचों में जीत दर्ज की है।

यह जोकोविच के टेनिस कॅरियर का 35वां मास्टर्स खिताब है। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने राफेल नडाल के 35 मास्टर्स खिताब जीतने के रिकॉर्ड की न सिर्फ बराबरी की बल्कि सभी एटीपी मास्टर्स टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। यह जोकोविच के कॅरियर का 80वां खिताब भी है।

महिला वर्ग में अराजेंका बनीं विजेता

टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब बेलारूस की विक्टोरिया अराजेंका ने जीता। टूर्नामेंट के फाइनल में अराजेंका का सामना जापान की नाओमी ओसाका से होना था, लेकिन हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण ओसाका ने फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया। यह अराजेंका के टेनिस कॅरियर का 21वां डब्ल्यूटीए टूर खिताब है।

मध्यप्रदेश में मलखम्ब के लिए खुलेगी खेल अकादमी - मुख्यमंत्री

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल अलंकरण समारोह में प्रदेश के दो खिलाड़ियों श्री योगेश मालवीय को मलखम्ब प्रशिक्षक के रूप में द्रोणाचार्य अवॉर्ड प्राप्त करने तथा श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया को दिव्यांग तैराक के रूप में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवॉर्ड मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही श्री योगेश मालवीय को मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से 10 लाख रुपये की तथा श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया को 5 लाख रुपये की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोनों ही खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मलखम्ब मध्यप्रदेश का राज्य खेल है तथा इसे बढ़ाने के लिए सरकार ने खेल अकादमी खोलने का निर्णय लिया है। इस खेल अकादमी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त मलखम्ब प्रशिक्षक श्री योगेश मालवीय की सेवाएं ली जाएंगी। श्री योगेश मालवीय के सिखाए गए मलखम्ब खिलाड़ी देश और दुनिया में मलखम्ब का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा विश्वामित्र अवॉर्ड से तथा वर्ष 2018 में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मलखम्ब के शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि श्री सत्येन्द्र सिंह लोहिया दिव्यांग पैरा तैराक के रूप में 42 किलोमीटर की कैटलीना चैनल को 11 घंटे 34 मिनट की अल्पवधि में पार कर पहले एशियाई तैराक बने थे।

ऑनलाइन शतरंज ओलिंपियाड

भारत और रूस बने संयुक्त विजेता

नई दिल्ली, भारत ने ऑनलाइन शतरंज ओलिंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। विश्व शतरंज की शीर्ष संस्था फिडे ने भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलिंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया है। भारत ने पहली बार यह टूर्नामेंट जीता है।

कोरोना महामारी के कारण फिडे ने पहली बार शतरंज ओलिंपियाड का ऑनलाइन आयोजन किया। टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और रूस की भिडत हुई। इंटरनेट और सर्वर की खराबी के कारण फाइनल राउंड पूरा नहीं हो सका। इसके बाद रूस को विजेता घोषित किया गया। भारत ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन और दिव्या देशमुख सर्वर की खराबी के कारण निर्धारित समय में खेल पूरा नहीं कर सके थे। फैसले की समीक्षा के बाद फिडे ने दोनों देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया।

फिडे ने ट्वीट कर कहा कि फिडे अध्यक्ष अर्कादी डोवोरकोविच ने दोनों टीमों भारत और रूस को ऑनलाइन शतरंज ओलिंपियाड का विजेता चुनने का फैसला किया है। इसके बाद भारतीय शतरंज टीम के सदस्य और ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने ट्वीट कर कहा कि हम चैम्पियन बन गए हैं।

प्रधानमंत्री ने दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑनलाइन शतरंज ओलिंपियाड जीतने पर भारतीय शतरंज टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे शतरंज खिलाड़ियों ने फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलिंपियाड जीतकर इतिहास रचा है। टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। टीम की सफलता निश्चित तौर पर अन्य शतरंज खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी।

बेल्जियम ग्रांप्री के चैम्पियन बने हैमिल्टन

ब्रुसेल्स, ब्रिटेन के दिग्गज कार रेसर लुईस हैमिल्टन का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले तीन सत्र से लगातार फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप का खिताब जीत रहे हैमिल्टन इस बार भी खिताब की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। हैमिल्टन ने इस बार बेल्जियम ग्रांप्री रेस अपने नाम की है। 44 लैप की इस रेस को हैमिल्टन ने 1 घंटे 24 मिनट 08.761 सेकंड में पूरी की। रेस में वाल्टेरी बोटास दूसरे, मैक्स वर्स्टापेन तीसरे, डेनियल रिकियार्डो चौथे तथा एस्टावेन ओकेन पांचवें स्थान पर रहे। हैमिल्टन ने इस सत्र में पांच रेस अपने नाम की हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)

सामयिकी

भारतीय रेल ने 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण किया

अपनी सारी बिजली उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 100 प्रतिशत आत्मनिर्भर बनने तथा राष्ट्रीय सौर बिजली लक्ष्यों में योगदान देने के लिए भारतीय रेल ने अभी तक 960 से अधिक स्टेशनों का सौरकरण कर दिया है। 550 स्टेशनों, जो निष्पादन के अधीन हैं, के लिए 198 मेगावॉट सोलर रूफटाप क्षमता के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेल ने हाल में अग्रणी सौर बिजली डेवलेपरों की एक बैठक का आयोजन किया था, जिन्होंने 2030 से पहले 'निवल शून्य कार्बन उत्सर्जक' बनने की भारतीय रेल की यात्रा में साझीदार बनने की अपनी अपेक्षाओं को साझा किया था। भारतीय रेल 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक की अपनी सारी ऊर्जा उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा उत्पादित करने के लिए तैयार है। वर्तमान में वार्षिक आवश्यकता लगभग 20 बिलियन यूनिट की है।

भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत

भारत ने दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत तैयार किया है। इस इलाके में चीन ने 2009 से सैनिक और कृत्रिम द्वीपों का इस्तेमाल करके काफी विस्तार किया है। भारत के इस कदम पर चीन ने असंतोष प्रकट किया। युद्धपोत को उस इलाके में तैनात किया गया है, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने किसी भी अन्य फोर्स की मौजूदगी पर ऐतराज जताया था।

'मिशन कर्मयोगी'

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) को शुरू करने की मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफार्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। 'मिशन कर्मयोगी' का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी तथा प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे। आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में दो करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा।

- **लगभग 46 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को किया जावेगा कवर।**
- **वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपये की धनराशि का व्यय किया जाएगा।**
- **इस व्यय को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बहुपक्षीय सहायता द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित किया गया है।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि सिविल सर्विस क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम-मिशन कर्मयोगी सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य प्रणाली में मौलिक सुधार करेगा। यह सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए पैमाने और आधुनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, "आईजीओटी प्लेटफॉर्म कार्य-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन और निरंतर ज्ञान के लिए परिवर्तन सक्षम करेगा। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भविष्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को अधिक सृजनात्मक, रचनात्मक और नवोन्मेषी बनाना है।'

वैश्विक नवाचार सूचकांक

शीर्ष 50 देशों में भारत शामिल

वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन द्वारा तैयार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत 4 पायदान चढ़कर 48वें पायदान पर पहुंच गया है।

GLOBAL INNOVATION INDEX 2020

कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच यह भारत की विशेष पहलों को दर्शाता है। इससे भारत में मजबूत आर एंड डी परिवेश का पता चलता है। वर्ष 2019 में भारत 52वें पायदान पर रहा था और वर्ष 2015 में वह 81वें स्थान पर था। दुनिया भर में अत्यधिक नवोन्मेषी विकसित देशों की जमात में शामिल होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। डब्ल्यूआईपीओ ने भारत को मध्य एवं दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 2019 के अग्रणी नवोन्मेषी देश के रूप में भी स्वीकार किया था, क्योंकि इसने पिछले 5 वर्षों से अपनी नवाचार रैंकिंग में लगातार सुधार दर्ज किया है।

मुस्तफा अदीब लेबनान के प्रधानमंत्री बने

मुस्तफा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। वे फिलहाल जर्मनी में राजदूत के पद पर कार्य कर रहे थे। ज्ञात रहे कि लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए धमाके के चलते प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था। अदीब 128 में से 90 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। अदीब के प्रधानमंत्री बनने से लेबनान की जनता के बीच नयी उम्मीद जागी है।

सरकारी नौकरियों के लिए

खेल कोटे के अंतर्गत पात्र हुए 20 नए खेलों के एथलीट

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने 1 सितंबर को 20 नए खेलों के एथलीटों को खेल कोटा का लाभ दिए जाने के खेल विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्र खेलों की सूची में अब खेलों की संख्या 43 से बढ़कर 63 हो गई है। इन खेलों में मल्लखम्ब, टग ऑफ वार, रोल बाल जैसे स्वदेशी तथा पारम्परिक खेल भी शामिल हैं।

इस फैसले के बारे में केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह कदम न सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिहाज से अहम होगा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि इससे देश में खेलों के समग्र विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने में भी सहायता मिलेगी।" बता दें कि इस सूची को पिछली बार अक्टूबर, 2013 में संशोधित किया गया था।

पात्र खेलों की सूची में शामिल 20 नए खेल इस प्रकार हैं - वेसवाल, बॉडी बिल्डिंग (इसे पूर्व में जिम्नास्टिक के भाग के रूप में शामिल किया गया था), साइक्लिंग पोलो, डीफ स्पोर्ट्स, फेंसिंग, कुडो, मल्लखम्ब, मोटर स्पोर्ट्स, नेट बॉल, पैरा स्पोर्ट्स (पैरालम्पिक और पैरा एशियाई खेलों में शामिल खेल), पेनकेक सिलट, रोल बॉल, रग्बी, सेपक टकरा, सॉफ्ट टेनिस, शूटिंग बॉल, टेनपिन बॉलिंग, ट्राइएथलॉन, टग ऑफ वार और वुशु।

सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने

विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया

सीएसआईआर-सीएमईआरआई ने विश्व का सबसे बड़ा सौर पेड़ विकसित किया है, इसे सीएसआईआर-सीएमईआरआई की आवासीय कॉलोनी, दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। संस्था के निदेशक प्रो (डॉ.) हरीश हिरानी के अनुसार इस सौर पेड़ की क्षमता 11.5 केडब्ल्यूपी से अधिक है। इस सोलर वृक्ष में 12 हजार से 14 हजार यूनिट स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है। इस सौर वृक्ष को इस तरह से निर्मित किया गया है कि इसके प्रत्येक पैनल के द्वारा सूर्य के अधिकतम प्रकाश को प्राप्त करने और इसके नीचे के क्षेत्र में कम से कम छाया क्षेत्र को सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक वृक्ष में हर पैनल में 330 डब्ल्यूपी की क्षमता से युक्त कुल 35 सौर पीवी पैनल हैं। सौर पीवी पैनलों को पकड़ने वाले हत्थे का झुकाव लचीला है और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा सकता है।

प्रत्येक सौर वृक्ष की कीमत 7.5 लाख रुपये होगी। इन सौर वृक्षों को अस्थिर-मूल्य जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के रूप में कृषि के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक सौर वृक्ष में जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन के दौरान वायुमंडल के लिए पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में 10-12 टन CO_2 उत्सर्जन को बचाने की क्षमता है। इसके अलावा, अतिरिक्त उत्पन्न ऊर्जा को ऊर्जा ग्रिड में सुरक्षित रखा जा सकता है।

- **प्रत्येक वृक्ष में हर पैनल में 330 डब्ल्यूपी की क्षमता से युक्त कुल 35 सौर पीवी पैनल हैं।**
- **ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में 10-12 टन CO_2 उत्सर्जन को बचाने की है क्षमता।**

भारत सरकार द्वारा 118 मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाया गया

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 118 एप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। प्रतिबंधित एप में पबजी, बायडू, एप लॉक और लूडो वर्ल्ड जैसे एप शामिल हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए और संप्रभु शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों दोनों में उपयोग किए जाने वाले कुछ एप्स के उपयोग को अवरुद्ध करने का फैसला किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए इन एप्स को ब्लॉक करने का निर्णय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लिया है।

भारतीय नौसेना के लिये किया जायेगा पनडुब्बियों का निर्माण

भारतीय नौसेना के लिये पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया जल्द की शुरू की जायेगी।

इन पनडुब्बियों का निर्माण देश में ही उस रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत किया जायेगा, जो घरेलू कंपनियों को देश में उच्च सैन्य उपकरणों के उत्पादन करने और आयात निर्भरता को कम करने के लिये प्रमुख विदेशी रक्षा कंपनियों के साथ हाथ मिलाने की अनुमति देता है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की टीमों ने पनडुब्बियों की विशेषताओं और अन्य जरूरतों से जुड़ी आरएफपी (प्रस्ताव के लिये अनुरोध) को पूरा कर लिया है।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन

देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक प्रकट किया।

जुलाई 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे प्रणव मुखर्जी, प्रणव दा के नाम से मशहूर थे। उन्होंने लगभग 5 दशक राजनीति की। विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रणव दा को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुआ था। उन्होंने वीरभूम में स्कूली शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में कोलकाता में राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। उन्होंने 1969 में राजनीति में कदम रखा था। वे पांच बार राज्यसभा के सांसद चुने गये।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

कॅरियर की राहें

कृषि के क्षेत्र में बढ़ रहे कॅरियर के मौके

'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों के लिए 'कॅरियर की राहें' नाम से उपयोगी स्तंभ लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। अच्छे कॅरियर के लिए जरूरी है कि युवा कॅरियर की विभिन्न विधाओं से परिचित हों और अपनी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुरूप अपने लिए उपयुक्त कॅरियर का निर्धारण करें। पिछले 40 वर्षों से नई पीढ़ी के लिए कॅरियर संबंधी विषयों पर नियमित लेखन कर रहे डॉ. जयंतीलाल भंडारी युवाओं को कॅरियर के विभिन्न अवसरों से परिचित कराते हुए आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रहे हैं।

कोविड-19 के दौर में देश में कृषि सेक्टर में कॅरियर के मौके लगाकर तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संकट के समय भारत का कृषि सेक्टर देश सहित पूरी दुनिया के लिए एक संपत्ति की तरह दिखाई दिया है। लॉकडाउन के दो महीनों अप्रैल और मई 2020 में भारत ने दुनिया के कई देशों को खाद्यान्न सहित विभिन्न कृषि जिंसों का रिकॉर्ड निर्यात किया है।

देश की जीडीपी में कृषि सेक्टर की चमक

यकीनन इस समय कोविड-19 की चुनौतियों के बीच देश के करोड़ों लोगों को

खाद्यान्न संबंधी चिंताओं से बचाने और देश की आर्थिक तस्वीर को सुधारने में कृषि सेक्टर एक प्रभावी भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में देश के कई क्षेत्रों में गिरावट आई है। लेकिन इस बीच कृषि ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है, जिसमें 3.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि सेक्टर की विकास दर बढ़ाने में रबी फसलों के उत्पादन, खासतौर से गेहूँ की भारी पैदावार ने प्रभावी भूमिका निभाई है। ज्ञातव्य है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3 फीसदी ही थी।

उल्लेखनीय है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित विभिन्न आर्थिक संगठनों की नई रिपोर्टों के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भारत के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास की अहमियत बढ़ गई है। ज्ञातव्य है कि देश में रबी की बंपर पैदावार के बाद फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिला है।

सरकार के द्वारा किसानों को दी गई पीएम किसान सम्मान निधि, गरीबों के जनधन खातों में नकद राशि डालने जैसे कदमों से किसानों की मुट्ठियों में बड़ी धनराशि पहुँची है। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, कृषि रसायन, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई वस्तुओं के साथ-साथ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में भी तेजी से वृद्धि दिखाई दे रही है।

निश्चित रूप से अच्छे मानसून और कोविड-19 के बीच किसानों और ग्रामीण भारत के लिए दिए गए आर्थिक प्रोत्साहनों के साथ-साथ खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के लिए लाभप्रद हैं। पिछले दिनों सरकार ने 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

कृषि निर्यात क्षेत्र में कॅरियर

स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोरोना महामारी से जंग के बीच सरकार ने देश में

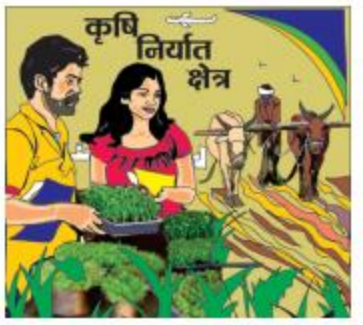

किसानों की आय बढ़ाने और कृषि व ग्रामीण विकास के लिए जो पहल की है, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। साथ ही इससे कृषि उत्पादन के और कृषि निर्यात भी बढ़ रहे हैं। अगस्त में कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी की गई कृषि निर्यात संबंधी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष में मार्च-जून 2020 के दौरान कृषि निर्यात करीब 23.34 फीसदी बढ़कर 25,552 करोड़ रुपये हो गया, एक साल पहले इसी अवधि में कृषि निर्यात 20,734 करोड़ रुपये था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इसी प्रकार फलों के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे उत्पादक देश है, लेकिन फल निर्यात के मामले में 23वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में भारत के उत्पादन के अनुरूप कृषि निर्यात का शीर्ष निर्यातक देश बनने की संभावनाओं को साकार करने के लिए रणनीतिक प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसे में कृषि निर्यात के क्षेत्र में कॅरियर के मौके बढ़ते जा रहे हैं।

कृषि सुधार से रोज़गार के नए मौके

निसंदेह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में कृषि सुधार के ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। ऐसे कृषि सुधारों के कारण कृषि के नए क्षेत्रों में रोज़गार बढ़ेंगे। ज्ञातव्य है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने के फैसले से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज की कीमतें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर भंडारण सीमा से स्वतंत्र हो जाएंगी। ऐसे में जब किसान अपनी फसल को तकनीक एवं वितरण नेटवर्क के सहारे देश और दुनिया भर में कहीं भी बेचने की स्थिति में होंगे, तो इससे निश्चित रूप से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

इस ऐतिहासिक कृषि सुधारों का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जब किसान अपने छोटे-छोटे खेतों से निकली फसल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, तो इससे जहाँ एक ओर बंपर फसल होने पर भी फसल की बर्बादी या फसल की कम कीमत मिलने की आशंका नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर फसल के निर्यात की संभावना भी बढ़ेगी। इसी तरह किसानों को अनुबंध पर खेती की अनुमति मिलने से किसान बड़े रिटेल कारोबारियों, थोक विक्रेताओं तथा निर्यातकों के साथ समन्वय करके अधिकतम और लाभप्रद फसल उत्पादित करते हुए दिखाई दे सकेंगे।

फल एवं सब्जियों के क्षेत्र में कॅरियर के मौके

देश में फल एवं सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भी कॅरियर के मौके बढ़ते जा रहे हैं। यह

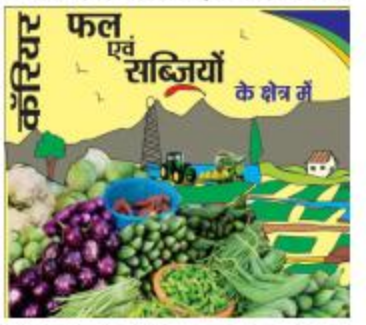

भी उल्लेखनीय है कि किसान ट्रेन कृषि एवं ग्रामीण विकास को नया आयाम देते हुए दिखाई दे सकेगी। 7 अगस्त को देश की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए शुरू हुई। यह ट्रेन महाराष्ट्र से संतरा और दूसरे फल तथा सब्जियाँ लेकर बिना समय गवाएँ बिहार पहुंची और वहाँ से लीची तथा दूसरे फल तथा सब्जियाँ लेकर महाराष्ट्र लौटी। इसका फायदा रास्ते में पड़ने वाले सभी गाँवों और शहरों को मिलेगा। इस तरह की सुविधाओं से खराब मौसम या दूसरे प्रकार के संकट के समय शहरों में ताजे फल और सब्जियों की कमी नहीं होगी। किसान ट्रेन से जहाँ उत्पादन करने वाले किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। वहीं उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर फलों तथा सब्जियों की प्राप्ति होगी तथा उत्पादकों को भी अच्छी कीमत मिलेगी। अब आने वाले समय में देश के विभिन्न भागों में भी ऐसी किसान ट्रेनें कृषि से आय में वृद्धि करेंगी। गाँव के नजदीक रोज़गार मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकेगी।

कृषि एवं ग्रामीण विकास के बुनियादी ढाँचे में कॅरियर के मौके

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जिस एक लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा को लॉन्च किया है। उससे भी कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कॅरियर के मौकों का नया अध्याय लिखा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि कृषि ऋण समितियों, किसान समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप्स और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी और ब्याज में 3 फीसदी सालाना की रियायत दी जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान से बढ़ेंगे रोज़गार के मौके

निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार बढ़ेंगे। इस समय ग्रामीण भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बातों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को खरीफ सीजन आने के पहले कृषि उत्पादन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण क्षेत्र के छोटे और कुटीर उद्योगों को सरल ऋण मिलना भी सुनिश्चित किया गया। खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फलों और सब्जियों के लिए लॉजिस्टिक्स सुदृढ़ किया जा रहा है। जिससे किसानों को बेहतर मुनाफा दिया जा सकेगा। खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी ऋण मुहैया कराई जा रही, जिससे वे कच्चे माल की खरीद कर सकें। ऐसे में कृषि संबंधित इन क्षेत्रों में कॅरियर के मौके बढ़ेंगे।

कृषि निर्यात के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से भी कॅरियर के मौके बढ़ेंगे। ज्ञातव्य है कि कृषि निर्यातकों के हित में मानकों में बदलाव किए जा रहे हैं जिससे कृषि निर्यातकों को कार्यशील पूंजी आसानी से प्राप्त हो सके। सरकार के द्वारा अन्य देशों की मुद्रा के उतार-चढ़ाव, सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे कई मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए चिन्हित फूड पार्कों विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं, शोध सुविधाओं, परीक्षण प्रयोगशालाओं, विकास केंद्रों और परिवहन लिंकेज के साथ मजबूत बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था, तकनीकी उन्नयन, लॉजिस्टिक सुधार और पैकेजिंग गुणवत्ता आसान पहुंच की मदद से खाद्य निर्यात क्षेत्र में आमूल बदलाव लाया जा रहा है। इससे नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी।

कृषि सेक्टर में कॅरियर के लिए जरूरी स्किल्स

जैसे-जैसे खेतों और किसानों तक नई टेक्नोलॉजी पहुँच रही है, वैसे-वैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छे कॅरियर का विकल्प बनता जा रहा है। कृषि क्षेत्र के विभिन्न कोर्स के बाद देश ही नहीं दुनिया में कॅरियर बनाया जा सकता है। अतएव यदि आपकी रुचि आधुनिक कृषि, फूड टेक्नोलॉजी, डेरी टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, फिशरीज साइंस, फ्लोरीकल्चर, हार्टिकल्चर, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर रिसर्च जैसे विषयों में है तो कृषि सेक्टर में कॅरियर की तरफ कदम बढ़ाए जाने चाहिए।

कृषि सेक्टर में कॅरियर के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यताएँ

गौरतलब है कि 10वीं के बाद एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमेस्ट्री के अलावा

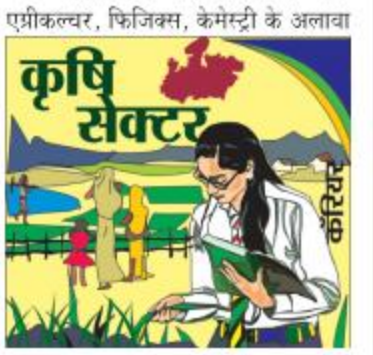

फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ्स या फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलॉजी विषय समूह रखने वाले छात्र भी कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कॅरियर बना सकते हैं। कृषि के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 12वीं के बाद राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं के अलावा केंद्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है।

कृषि सेक्टर से संबंधित प्रमुख पाठ्यक्रम

एग्रीकल्चर में कॅरियर बनाने के लिए बारहवीं उत्तीर्ण छात्रों हेतु कई प्रमुख

पाठ्यक्रम हैं।

इनमें बीएससी इन एग्रोनॉमी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल ईको एंड फार्म मैनेजमेंट, बीएससी इन एग्रीकल्चरल मीटिओरोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल बायो टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स, बीएससी इन एग्रोनॉमी, बीएससी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बीएससी इन बायो केमेस्ट्री एंड एग्रीकल्चरल केमेस्ट्री, बीएससी इन क्रॉप फिजियोलॉजी, बीएससी इन एनटोमोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। यदि आप कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कॅरियर बनाना चाहते हैं, तो कृषि स्ट्रीम को चुनकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ें।

मध्यप्रदेश एवं देश के विभिन्न कृषि से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कृषि के डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स उपलब्ध हैं। आप उपयुक्तता के अनुरूप अच्छे शैक्षणिक संस्थान का चयन करके कृषि के क्षेत्र में कॅरियर की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।

- डॉ. जयंतीलाल भंडारी

(स्तंभकार देश के सीनियर कॅरियर काउंसलर हैं)

चीजों को नजरअंदाज करने की काबिलियत हासिल करना मन की शांति प्राप्त करने का उत्तम तरीका है – सेंट पीटरसन

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक डॉ. सुदाम खाड़े, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.बी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।